हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 जुलाई, 1992

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 13 जुलाई, 1992

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(1)1
तांराकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)11
वैयक्तिक स्पष्टीकरण –	
श्री बंसी लाल द्वारा	(1)28
ताराकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(1)
29 नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)30
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)36
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ––	
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली शुल्क में की गई अभूतपूर्व बढ़ौतरी सम्बन्धी	(1)38
वक्तव्य –	
मुख्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(1)39

घोषणाएं	
अध्यक्ष द्वारा –	
(1)सभापतियों के नामों की सूची	(1)43
(2)याचिका समिति	(1)44
(3)सचिव द्वारा की जाने वाली घोषणा को पढ़े एवं मेज पर रखे जाने सम्बन्धी	(1)44
(1)मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव	(1)45
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1)45
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(1)46
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(1)47
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र	(1)47
सरकारी संकल्प ––	
संविधान (छिहत्तरवां संशोधन)विधेयक 1992 के अनुसमर्थन सम्बन्धी	(1)49
बिल –	
दि हरियाणा कोप्राप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट)बिल 1992	(1)51

मंत्रि–परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा	(1)55
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुनाय बतरा)द्वारा	(1)57
मंत्रि–परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)वैकक्तिक स्पष्टीकरण –	
सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा)द्वारा	(1)103
मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(1)104
वैयक्तिक स्पष्टीकरण ––	
श्री बंसी लाल द्वारा	(1)120
मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रसार पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(1)121
वैयक्तिक स्पष्टीकरण –	
प्रो० सम्पत सिंह द्वारा	(1)123
मंत्रि–परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(1)124
वैयक्तिक स्पष्टीकरण –	

श्री बंसी लाल द्वारा	(1)133
मंत्रि–परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(1)134
वैयक्तिक स्पष्टीकरण –	
श्री ओम प्रकाश जिन्दल द्वारा	(1)137
मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(1)138
मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान	(1)157

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 13 जुलाई, 1992

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान समा हाल, विधान भवन सैक्टर– 1, चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह)ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान अब औबिचुअरी रैफरैसिज होंगे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सत्र और इस सव के अर्से के बीच कुछ महानुभाव स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं उनके लिये औबिचुअरी रैजोल्यूशन पेश करता हूं।

श्री यश, संसद सदस्य एवं संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन संसद सदस्य तथा संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री श्री यश के 2 जून, 1992 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री यश का जन्म वर्ष 1919 में एक ऐसे परिवार में हुआ, जो देश सेवा के लिए सदा से समर्पित रहा है। उनमें देश

भक्ति के अंकुर बचपन से ही पनपने लगे थे। वे अपनी किशोरावस्था में ही आजादी के आन्दोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिये स्वतन्त्रता आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वे आजादी के आन्दोलन के दौरान सात साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे। स्वतन्त्रता संग्राम में महान योगदान के लिये उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया गया था।

श्री यश एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। वे वर्ष 1947 से ही मिलाप समाचार पत्र समूह के कर्णधार रहे। उन्होंने अपनी कलम सदा राष्ट्रीय हितों की रक्षा और जन–साधारण की आवाज को उठाने के लिये चलाई। राष्ट्रीय समस्याओं पर लिखे गये उनके सम्पादकीय सदा पथ प्रदर्शन का काम करते थे। वे एक प्रभावशाली वक्ता और प्रसिद्ध लेखक थे। साहित्य तथा समाज–सेवा में उनकी गहरी रुचि थी।

श्री यश ने राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वे वर्ष 1952 से 1962 तक पंजाब लैजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य रहे। वर्ष 1962 के आम चुनावों में वे पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और उसके पश्चात वे पुनः वर्ष 1972 तथा 1980 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1962 में पंजाब मन्त्रिमण्डल में शिक्षा राज्य मन्त्री रहे और 1972 में आबकारी तथा कराधान मंत्री बने। वे वर्ष 1992 में पंजाब में हुए चुनाव में लोक सभा के सदस्य चुने गए। श्री यश के निधन से देश ने एक महान स्वतन्त्रता सेनानी तथा प्रसिद्ध पत्रकार और अनुभवी सांसद खो

दिया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ए० जी० कुलकर्णी, संसद सदस्य

यह सदन संसद सदस्य श्री ए० जी० कुलकर्णी के 27 अप्रैल, 1992 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री ए० जी० कुलकर्णी का जन्म पहली मार्च, 1917 को हुआ। वे सहकारी संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ता थे तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं में प्रेजीडेंट व निदेशक के पद पर भी रहे। वे वर्ष 1967 से 1979 तक, 1970 से 1976 तक तथा 1978 से 1984 तक राज्य सभा के सदस्य रहे तथा पुनः 1986 में राज्य सभा के लिये चुने गए। इस अवधि के दौरान उन्होंने अनेक शिष्ट मण्डलों में प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न देशों की यात्रा की।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राजा भालेन्द्र सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राजा भालेन्द्र सिंह के 16 अप्रैल, 1992 को हुए दुखःद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

राजा भालेन्द्र सिंह का जन्म 19 अगस्त, 1919 को हुआ। वे वर्ष 1947 में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी के सदस्य चुने गए और इसके आजीवन सदस्य रहे। वे वर्ष 1959 से 1975 तक, उसके पश्चात वर्ष 1980 से 1984 तक, सबसे अधिक लम्बे समय के लिये भारतीय ओलम्पिक ऐसोसिएशन के प्रेजीडेंट रहे। वह भारतीय एमेच्योर एथलैटिक्स फैडरेशन तथा भारतीय स्वीमिंग फैडरेशन के भी प्रेजीडेंट रहे।

राजा भालेन्द्र सिंह ने खेल जगत में भारत का नाम०ंचा उठाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं भी कीं। वे वर्ष 1958 से वर्ष 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे।

राजा भालेन्द्र सिंह के निधन से देश एक प्रमुख खेल प्रशासक तथा अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सत्यजीत राय, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता

यह सदन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति–प्राप्त फिल्म निर्माता श्री सत्यजीत राय के 23 अप्रैल, 1992 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री सत्यजीत राय का जन्म 2 मई, 1922 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होने वर्ष 1940 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

उन्होने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से विश्व भारती, शान्ति निकेतन, में आर्ट की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1955 में ''पाथेर पांचाली'' फिल्म बनाई। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म जगत में एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया।

श्री राय ने 35 से भी अधिक फिल्में बनाई। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें फिल्म जगत में ' विशेष उपलब्धियों के लिये विश्व के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार ''विशेष आस्कर'' से सम्मानित किया गया। श्री राय को देश के सर्वोच्च सम्मान ''भारत रत्न'' से भी सुशोभित किया गया। फिल्मों के माध्यम से की गई महान सेवाओं के लिये श्री राय को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

उनके निधन से देश फिल्म जगत के एक महान कलाकार की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठोड़, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज

यह सदन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज श्री सुरेन्द्र सिंह राठोड़ के 22 मई, 1992 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री राठोड़ का जन्म 15 दिसम्बर, 1942 को हुआ। करनाल में वकालत करने के पश्चात वे 1972 में चण्डीगढ़ आ गए। वर्ष 1991 में उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया।

उनके निधन से देश एक प्रसिद्ध विधि–वेत्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अन्य

यह सदन गत मई मास में करनाल तथा सिरसा जिलों में तथा हाल ही में अम्बाला जिले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों तथा कुरुक्षेत्र और पटियाला जिलों में आतंकवादियों का बहादुरी से सामना करने वाले पुलिस कर्मियों की हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर सर, पिछले अधिवेशन और आज के अधिवेशन के बीच में काफी महान विभूतियां हमारे बीच में से चली गयी हैं। विधि का विधान है कि जो आयेगा, वह जायेगा भी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में से चले गये हैं, जो स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं कुछ लोग खेल प्रेमी रहे हैं और कुछ छाया जगत से संबंधित रहे हैं। स्पीकर सर,

पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री श्री यश जी का भी इस शोक प्रस्ताव में जिक्र किया गया है। वे बड़े ही देश भक्त थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाईयां लड़ी। आज देश को आजाद करवाने वाले बहुत कम हैं। आज देश के अन्दर प्रजातन्त्र है। देश के आजाद होने के बाद यहां पर जितनी भी सरकारें बनी, वे उन सब में कार्य करते रहे। इसके अलावा वे एक अच्छे पत्रकार भी थे। वे पंजाब विधान परिषद में भी रहे, पंजाब असैम्बली में भी रहे और हाल ही में वे पार्लियामैंट के लिये भी चुने गए थे। बड़े ही दुख की बात है कि उनका निधन हो गया है।

श्री ए० जी० कुलकर्णी राज्य सभा में चार बार सदस्य रहे हैं। वे बहुत ही अनुभवी पार्लियामैंटेरियन थे, जिनको आज देश खो चुका है। उनके चले जाने से भी देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।

राजा भालेन्द्र सिंह के बारे में सारे देश के खेल प्रेमी और खिलाड़ी जानते हैं। उनका नाम कई सालों तक भारतीय औलम्पिक ऐसोसिएशन के साथ जुड़ा रहा है और वे इसके प्रैजीडेंट भी रहे हैं। वे इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। विशेषकर खेल जगत को उनके चले जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है।

स्पीकर साहब, श्री सत्यजीत राय एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपनी फिल्मों की मारफत देश में जागृति पैदा की और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की कोशिश की। वे भी हमारे बीच नही रहे। उनको विश्व के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार ''विशेष आस्कर'' से सम्मानित किया गया। उनको देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से भी सुशोभित किया गया। उनके चले जाने का हमें बहुत ही अफसोस है।

श्री सुरेन्द्र सिह राठोड़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज थे उनके निधन का हमे बहुत ही अफसोस है।

स्पीकर साहब, करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र और पटियाला मे निर्दोष लोग तथा हमारे पुलिस अफसर मारे गए, उनके प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूं। उनके निधन का हमें बहुत ही दुख है। सीकर साहब, मैं मुख्य मन्त्री के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कल दोपहर तीन इनोसैट व्यक्ति अम्बाला में पुलिस की फायरिंग से मारे गए हैं। इनमें दो नौजवान थे और एक पांच–छः साल का बच्चा था। उनके प्रति भी शोक प्रस्ताव रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री बंसी लाल (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। एक

सैशन से दूसरे सैशन के बीच हमेशा कुछ न कुछ पुराने साथी बिछुड़ते रहते हैं। इस बार भी हमारे कुछ साथी हमसे बिछुड़ गए हैं।

श्री यश, पंजाब और हरियाणा जब एक था, पूरी पंजाब स्टेट के जाने माने फ्रीडम फाइटर, देश भक्त और एक बहुत अच्छा अखबार चलाने वाले व्यक्ति थे। स्पीकर साहब, एक बहुत अच्छे और काबिल पार्लियामैन्टेरियन हमारे बीच से चले गए हैं। कुछ महीने पहले ही वे लोक सभा के लिये चुने गए थे और अचानक ही उनका निधन हो गया। यह बडे अफसोस की बात है। स्पीकर साहब विधि का विधान है कि जो आता है, वह जाता भी है। उनके जाने का हमें बहुत ही अफसोस है।

श्री ए० जी० कुलकर्णी पार्लियामैन्ट के मैम्बर थे। वे देश के सहकारी संगठनों में विशेष रूप से रुचि रखते थे और पार्लियामैन्ट में वे मेरे साथ काफी लम्बे अर्से तक मैम्बर रहे। स्पीकर साहब, वे एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो बात ठीक समझते थे, उसे निर्भीक होकर कह देते थे। वे किसी की परवाह नहीं करते थे। वे थोडे दिन की बीमारी के बाद ही हमसे बिछुड़ गए। हमें उनके चले जाने का भहुत ही अफसोस है।

राजा भालेन्द्र सिंह खेल की दुनिया में एक जाने माने व्यक्ति थे। वे एक इन्टर– नैशनल फेम के व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु का हमें निहायत अफसोस है।

स्पीकर साहब, श्री सत्यजीत राय जो नोटिड फिल्म मेकर थे, उनका भी निधन हो गया। वे काफी लम्बे अर्से बीमार रहे। उनकी बीमारी के दौरान, शायद उनको पता नहीं लगा, प्रधान मन्त्री वहां गए और उनको 'भारत रत्न' का सम्मान देकर आए। मुझे पता नहीं कि लोगों ने उनको बताया या नहीं बताया। ऐसे व्यक्ति का इस दुनिया से जाना बुरा लगता है लेकिन विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती। मैं उनके परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकट करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह, जो पंजाब एड हरियाणा हाई कोर्ट के ऐडीशनल जज थे और एक साल या डेढ़ साल पहले ही हाई कोर्ट के जज बने थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। मैं उनके परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकट करता हूं।

स्पीकर साहब, कुछ व्यक्ति जो करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र पटियाला और दूसरी जगहों पर टैरोरिस्टस की हरकतों से मारे गए और कई जगह पर लोग उनका मुकाबला करते हुए मारे गए, उन सब के परिवारों के प्रति मैं सम्वेदना प्रकट करता हूं और अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारु): स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं भी इसमें सम्मिलित होती हूं और दिवंगत नेताओं और दूसरे व्यक्तियों का जो स्वर्गवास हुआ है,

उनके परिवारों की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करती हूं। श्री यश हमारे साथ एम० एल० ए० थे। वे बहुत ही अच्छे वक्ता थे और समाज सुधारक थे। आर्य समाज से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। अभी कुछ समय पहले ही वे एम० पी० चुने गए थे और इतनी जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया, इसका हमें बहुत ही अफसोस है। पंजाब में ऐसे मौके पर ऐसे नेताओं की जरुरत थी। उनके चले जाने का हंमें बहुत अफसोस है।

श्री ए० जी० कुलकर्णी सहकारी संगठनों से जुड़े हुए थे और ऐसे ही व्यक्ति की वजह से आज देश में सहकारी संस्थान चल रहे हैं। आज देश के अन्दर सब से ज्यादा सहकारी संस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में फल फूल रहे हैं। श्री कुलकर्णी की सहकारी संस्थानों को बहुत बड़ी देन है। मैं अपनी ओर से उनके परिवार को सम्वेदना प्रकट करती हूं।

राजा भालेन्द्र सिंह जी का खेल के मैदान में काफी योगदान रहा है। मैं समझती हूं कि जब वे प्रैजीडैन्ट नहीं रहे, उसके बाद खेल जगत में कुछ न कुछ गिरावट जरूर आई है और उनके जाने के बाद खिलाड़ियों के चयन में काफी पक्षपात होता रहा है। उनकी मृत्यु से हमें बडा गहरा दुख है। मैं उनके परिवार के साथ उनके दुख में शामिल होती हूं।

इसी तरह से सत्यजीत राय जी के निधन का हर देशवासी को बड़ा ही दुख है। वे फिल्म जगत की एक महान हस्ती

थे और हमने उनको तब रिकगनाईज किया जब वे अमेरिका में थे। हालांकि इससे पहले फ्रांस के प्रधान मन्त्री वहां जाकर उनको सम्मानित कर आये थे। ये सारी बातें भी यहां हाउस में आनी चाहिये थीं और शोक प्रस्ताव में ऐड होनी चाहिये थीं क्योंकि फ्रांस के प्रधान मन्त्री का आना और उनको सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात थी लेकिन क्योंकि आजकल अमेरिका छाया हुआ है और जब तक वह हमारे मां बाप को भी रिकगनाईज नहीं करता, तब तक हम भी उनको रिकगनाईज नहीं कर सकते। सत्यजीत राय जी के निधन से इस देश को और फिल्म जगत को जो गहरा धक्का लगा है, मैं उसके लिये अफसोस जाहिर करती हू।

इसी तरह से श्री सुरेन्द्र सिंह जी, अतिरिक्त जज जो थे, उनकी मृत्यु पर मैं उनके परिवार को अपनी ओर से सहानुभूति भेजती हू। साथ ही उग्रवादियों के हाथों करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र और पटियाला में मारे गये पुलिस कर्मियों के परि– वारों को भी मैं अपनी सहानुभूति भेजती हूं और यह जो शोक प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शत्के प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पिछले सैशन ते लेकर आज तक कुछ महान हस्तियां हमारे बीच में से चली गई हैं क्योंकि यह प्रकृति का नियम ही है। सबसे पहले मैं उतरी भारत के एक राष्ट्रवादी नेत–। श्री यश का जिकर करना चाहता हूं। श्री यश का एक महान राजनीतिक जीवन

था। इसके साथ साथ उनकी अपनी एक पहचान भी थी, अपने एक विचार भी थे। मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने पंजाब के उग्रवादियों के बारे में दो टूक बात कही थी। हालांकि उनका राजनीतिक दल उनको इस बात की इजाजत भी नहीं देता था लेकिन इस सब के बावजूद श्री यश ने बड़ी हिम्मत के साथ एक बात कही थी कि यह जो आतंकवाद है यह आज राष्ट्र के लिये एक समस्या बना हुआ है जोकि निर्दोष लोगों की जानें ले रहा है और उनके सामने निजाम ने अपने घुटने टेक दिये हैं। यह बात अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उस महान हस्ती ने कही थी। मैं उनके निधन पर शोक जाहिर करता हूं और उनके परिवार के लोगों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से राजा भालेन्द्र सिंह जी खेल जगत के बड़े उदयमान सितारे रहे हैं। उन्होंने खेल जगत पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके निधन से भारतीय खेल जगत से एक प्रतिभा उठ गई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसका हमें बड़ा भारी दुख है।

श्री सत्यजीत राय जी ने भी फिल्मी जगत में अपनी एक पहचान बनाई थी। अध्यक्ष महोदय, आज कल दुनिया में एक टैडेन्सी चल रही है कि जिस चीन को कंज्यूमर ज्यादा पसन्द करता है., लोग उसी ओर चल पड़ते हैं। सरबजीत राय एक ऐसी शख्शीयत थे जिसने फिल्म के माध्यम से भारत के संस्कार को दुनिया में स्थापित किया और जब तक भी फिल्म जगत की बान हमारे सामने आएगी, श्री राय को सदा ही याद किया जाएगा।

फिल्म जगत में श्री राय भारत का एक प्रतीक बन गये थे। फिल्म जगत में भारत के संस्कारों का जो दुनिया में बोलबाला था, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उसको बड़ी भारी ठेस पहुंची है और उनके चले जाने से उनकी जगह की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती।

श्री सुरेन्द्र सिंह जी राठौड़ हमारे माननीय न्यायाधीश थे, उनके निधन का हमें बहुत दुख है।

स्पीकर साहब, सदन के नेता ने इसमें जो बाद में जोड़ा है कि करनाल और सिरसा में जिन निर्दोष लोगों की जानें गई हैं वह तो सही किया परन्तु जो पुलिस के बहादुर जवान मढोली में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए उनका उल्लेख भी नाम से किया जाना चाहिए। उनमें एक बलजीत सिंह छछरौली का इन्स्पैक्टर था, एक रघुनन्दन लाल शर्मा नारनौल के ए० एस० आई थे, एक सोनीपत जिले का था और एक रोहतक जिले का था। इन चारों पुलिस के बहादुर जवानों के नाम का उल्लेख इस शोक प्रस्ताव में होना चाहिए। इस सुझाव के साथ मैं इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी फूल चन्द मुलाना (मुलाना–अनुसूचित जाति): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव सदन के सामने है और मैं अपनी भावनाएं सदन के नेता के साथ जोड़ता हूं। प्रो० यश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे और इन्हीं लोगों के बलिदान के कारण

आज हम इस विधान समा में बैठे हैं। आज वे हमसे जुदा हो गए। आतंकवादियों के खिलाफ भी वे लड़े। अध्यक्ष महोदय, धीरे धीरे यह पीढ़ी हमसे जुदा होती जा रही है। मैं इनके और इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री सत्यजीत राय ने जैसा कि सदन में बताया गया, भारतीय संस्कृति का प्रचार इस देश और विदेश में किया। श्री सत्यजीत राय का नाम फिल्म जगत में अग्रणी है।

राजा भालेन्द्र सिंह जी के बारे में अमी बोलते हुए सदन के नेता ने कहा कि वे वैसे भी राजा थे और खेल जगत के भी राजा थे। आज वे हमसे जुदा हो गए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मन विशेषकर जिस वजह से मान रहा था कि मैं बोलने के लिए खड़ा होऊं, वह सुरेन्द्र सिंह जी राठौड़ की वजह से मान रहा था। वे मेरे साथ ला कालेज में थे। हम इकट्ठे पड़े और इकट्ठे ला की शिक्षा पास की और इकट्ठे हम बास्कट बाल खेलते थे। सुरेन्द्र सिंह जी राठौड़ बास्कटबाल टीम के कैप्टन थे और हम उनके मैम्बर थे। वे बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, अच्छे दिल के थे, इन्टैलीजैंट थे और हमें मान था कि हरियाणा के चन्द जजों में उनका नाम था। आप बार में जाकर पूछें थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपनी एक ख्याति बनाई थी। वे ऐसे व्यक्ति थे कि बार के सदस्यों को भी कोर्ट में जाते महसूस नहीं होता था कि बार में बैठे हैं या कोर्ट में बैठे हैं। तो मुझे

बहुत दुख है कि हमसे एक साथी बिछड़ गया है। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। मैं विशेषकर उनके परिवार को इस सदन के माध्यम से अपनी विशेष संवेदना व्यक्त करता हूं।

सदन के नेता ने जो उग्रवादी हत्याओं का जिक्र किया चाहे वह हमारे प्रान्त में हुई या बाहर हुई और सुनने में आया है कि उन साथियों को रिवार्ड भी दिए गए हैं जिन्होंने उग्रवादियों का मुकाबिला किया। जहां इस प्रकार की कार्यवाही हुई वह ठीक हुई लेकिन कल की दुखद घटना ने हमारे हृदय को भी हिला दिया। अम्बाला के पास धूलकोट में पंजाब पुलिस ने तीन निहत्थे व्यक्तियों को केवल यह समझ कर कि ये आतंकवादी हैं, गोलियों का निशाना बनाया और उनको गांव में ही भून डाला। तो मैं उनके प्रति भी आदरणीय सदन के नेता से कहूंगा कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड दिया जाए और उनको सरकार की ओर से समुचित सहायता दी जाए। इन शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी के बारे में अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इन सब को अपने चरणों में स्थान दें तथा उनके परिवारों को यह सदमा सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, इस सदन के पिछले सैशन और इस सैशन के बीच के अर्से में बहुत सी महान विभूतियां हमारे बीच से चली गई हैं। इनमें श्री यश जी भी एक हैं। श्री यश जी एक जर्नेलिस्ट थे और मिलाप ग्रुप के वे संचालक थे। वे पंजाब

लैजिस्लेटिव कौंसिल के भी मैम्बर रहे, असैम्बली के भी मैम्बर रहे और लोक सभा के लिये भी इस बार चुने गए थे। वे इतने निर्भीक व्यक्ति थे जो स्वतन्त्रता से अपने दिल के उद्‌गार लिख कर और बोल कर जाहिर करते थे।

श्री ए० जी० कुलकर्णी कोआप्रेटिव मूवमैंट के ऐक्सपर्ट थे। वे भी बहुत लम्बे अर्से तक पार्लियामैंट के सदस्य रहे। उनके निधन पर मुझे दुख है।

राजा भालेन्द्र सिंह पटियाला खानदान से थे और खेल जगत में विशेषकर उनकी खास रुचि थी। वे सबसे अधिक लम्बे अर्से तक भारतीय ओलम्पिक ऐसोसिएशन के प्रेजीडेंट रहे। खेल भी अपनी जगह एक बहुत जरूरी चीज है। सरकार ने राजा भालेन्द्र सिंह को पूरी मान्यता दी है। वे ज्वायंट पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उनके निधन पर मुझे अफसोस है।

श्री सत्यजीत राय एक ऐसे प्रसिद्ध फिल्म मेकर और फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनको सारी दुनिया मानती है। वे टेलेन्टिड थे। भगवान की तरफ से कुछ गौड गिवन गिफ्ट होते हैं। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। सारी दुनिया उनको एक उच्च कोटि का कलाकार मानती है। उनके निधन पर भी मुझे बड़ा अफसोस है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज थे। उन्होंने करनाल में भी वकालत की थी। उनका

भी छोटी ही उम्र में संसार से चले जाना एक बहुत ही दुख की बात है।

उग्रवादियों की गोलियों से जो निहत्थे लोग मारे गए उनमें कुछ मुलाजिम थे, कुछ पुलिस के कर्मचारी थे और कुछ पब्लिक के आदमी थे। उन सबके मारे जाने पर हम सब को बड़ा दुख है।

मैं सभी एम० एल० एज० यानी सारे हाउस की भावनाएं इन सभी दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों तक भेज दूंगा।

अब मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन दिवंगत व्यक्तियों की मैमोरी में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

***286. Shri Jai Parkash :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) whether any cases involving loss to the Govt. exchequer in respect of the auction of liquor vends in Distt. Hisar during the financial years 1990-91 and 1991-92 has come to the notice of Govt; if so, the details thereof,

togetherwith the action taken to make good the said loss caused from liquor vends; and

(b) whether any officers/officials have been found guilty for dereliction of duty in the cases, as referred to in para (a) above; if so, the action taken against each of them ?

Excise and Taxation Minister (Shri A. C. Chaudhary) :

(a) There has been no loss to Government exchequer in the auction of liquor vends of Hisar district for 1990-91. However, in the auction for 1991-92, 17 L-2 vends in Hisar district had to be re-auctioned which resulted in short realisation of Rs. 233.85 lacs as compared to the first auction. Efforts are being made to recover this amount from the defaulting licensees of the first auction.

(b) Some irregularities during the first auction of the said vends had come to the notice of the Government and therefore an enquiry was ordered. The enquiry report has since been received and is being processed for taking action against the defaulting officers/officials.

10.00 बजे

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी और जिले में उनके नोटिस में यह बात आई है कि इस बार की औक्शन पिछले साल से कम की छुटी है और इस तरह की यदि उनके पास जानकारी आई है तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, सवाल तो यह 1991–92 का है और उससे पहले को यानी 1990–91 की दो बातें पूछी गई है। सैपरेट फिगर्ज तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत लम्बा चौड़ा खाता है। इस समय स्टेट में 381 तो अंग्रेजी शराब के और 820 देसी शराब के ठेके हैं। यदि मैम्बर साहब कोई खास बात पूछना चाहते हों तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने ठीक फरमाया कि अलग–अलग जिलों में प्रत्येक शराब के ठेके को ब्यौरा देना इस समय बहुत मुश्किल है लेकिन इतना ज्ञान तो मंत्री जो को होगा क्योंकि ये बड़े इन्टलीजैट मन्त्री हैं कि इस साल जो औकशन हुई है उसमें पिछले साल के मुकाबले में 10 परसैटं कोटा शराब का बढ़ाने के बावजूद रैवेन्यू की इन्क्रीज जो है वह पिछले साल से कम है। पूरे आकड़े तो आपके पास होंगे लेकिन मेरी इत्तलाह के मुताबिक पिछले साल 20– 22 परसैन्ट फालतू रैवेन्यू था जबकि इस बार 8 परसैन्ट इन्क्रीज रह गयी है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टोटल नुक्सान 50–60 करोड़ रुपये का इनकी नई औकशन नीति की वजह से नहीं हुआ है?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, इन्होंने अपने सवाल में कहा है कि हमने शराब का कोटा बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि यह इन्होंने अकल की बात की है। जो कोटा अब हम डिस्टिलरी का करने जा रहे हैं उस प्रोसीजर के बारे में पूछना कोई वाजिब

बात नहीं थी क्योंकि यह बात स्टेट के०पर ही तो आयेगी। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें डिक्रोन आई है लेकिन हर प्रोग्रैसिव स्टैप्स के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। इस बार हमने अहाते बन्द किए हैं। वह लानत जो देवी लाल जी और चोटाला जी सारे हरियाणा पर कालस के तौर पर छोड गए थे और सम्पत सिंह उसमें बराबर का हिस्सेदार था, उसे हमने दूर किया है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लागत हरियाणा में चौधरी देवी लाल जी और चौटाला जी छोड़ कर गए थे, उसे हमने दूर किया है। हर शराब के ठेके के साथ एक तरह से ढाबे खड़े कर दिए गए थे और गरीब से गरीब आदमी उन ढाबों से अट्रैक्ट हो करके शराब की लानत का शिकार होता था, वह लुटता था और उसके बच्चे दाने दाने को तरसते थे। हमने इन शराब के अहातों को बन्द किया। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि यह चौधरी भजन लाल जी की सरकार है। इस सरकार ने कु? और और पेहवा में उनका धार्मिक स्तर मान करके शराब के ठेके बन्द किये। हमें खुशी है कि हमने रैवैन्यू लौस को बर्दाश्त किया लेकिन लोगों को जो देवीलाल जी ने शराब की लानत लगा दी थी, उससे उनको बचाया है।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मती महोदय से जानना चाहता हूं कि यह पहली नीलामी कब हुई और दुबारा नीलामी कब हुई? इसके अलावा यह दुबारा नीलामी क्यों हुई तथा पहली नीलामी के समय कौन–कौन सी त्रुटिया पाई

गई, यह बताने का कष्ट करें। साथ ही यह भी बताएं कि इस मामले की जांच कब हुई और जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? पहली नीलामी के समय जो सिक्योरिटी बगैरा दी गई थी, उसको जप्त कर लिया गया है उसका क्या हुआ? यह भी बताने का कष्ट करें कि आदमपुर और हिसार में 1990– 91 और 1991–92 में जो ठेके दिए गए थे और अब जो हिसार और आदमपुर में ठेके दिए गए हैं उसमें कितनी राशि का अन्तर है और इसमें कौन कौन से ठेकेदार हैं जिन्होंने ये ठेके लिए थे? मैं यह भी मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जो ठेके दिए गए थे वे बेनामी ठेके दिए गए थे और जो बेनामी ठेके दिए गए उनको देने का क्या कानून था और वह कानून लागू किया गया या नहीं?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, पहली औक्शन 8 मार्च को हुई है। दस्तूर के मुताबिक 5 प्रतिशत पैसा मौके पर जम।– कराना होता है औररू विद–इन 10 डेज 11.23 प्रतिशत जमा कराना होता है। कुल पैसा 16 23 प्रतिशत जमा करना पड़ता है। 5 प्रतिशत पैसा जमा कराने के बाद पार्टी ने बाकी पैसे जमा नहीं करवाए। इस पार्टी ने 12 ठेके हिसार और 5 हांसी में यानि कुल 17 ठेके लिए। जब पार्टी ने बकाया पैसे जमा नहीं करवाए तो उस को 11 मार्च और 15 मार्च को नोटिस दिए गए और 20 मार्च को फाईनल नोटिस दिया गया। जब पार्टी ने नोटिस लेने और जवाब देने से इन्कार किया तो हमने 26 मार्च को दोबारा औक्शन की। मेरे भाई ने पूछा है कि इन्कवायरी रिपोर्ट कब आई तो यह

रिपोर्ट 2 तारीख को डिपार्टमैंट में आई है और वह प्रोसैस में है। स्पीकर साहब, इस औगस्ट हाउस में मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि चौधरी देवी लाल जी की पिछली सरकार ने जो मान्यताएं स्थापित की हैं उन मान्यताओं के लिए आने वाली नसलें हमेशा शर्मसार होती रहेंगी। जो दस्तूर था उसको पूरी तरह से वायलेट किया नग और बेनामी ट्रांजैक्शन अपने कारिन्दों के नोम से करके उन्होंने टैक्स इवेड करने की नाकाम कोशिश की शै। स्पीकर साहब, मैं इसके फिगर्ज भी हाउस में देत–। हू। (विध्न)अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ 2 लाख 35 हजार की औक्शन थी। इन्होंने अपने कारिन्दों को इन्वाल्व करके एक गलत मिसाल कायम की और पैसे जमा न करवा कर अपनी ताकत का नाजायज फारादा उठाने की कोशिश की। कानून के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति बौली देता है उसका नाम लिखा जाता. है और उसके दस्तखत करवाए जाते हैं। डी० सी० और डी० टी० सी० की मौजूदगी में यह तय किया जाता है कि जो बोली देने वाला है वह साहबे जायदाद या साहबे औकात है। जिन नामों पर बिड छूटी वह भी मैं बता देता हूं। ये चार ग्रुपस हैं राजधानी वाईन शाप, उसमें 4 दुकानें उसके बाद सिंगला वाईन शाप, सिंगला एण्ड कम्पनी की चार दुकानें, सन्नी वाईन की 4 दुकानें और सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी की 5 दुकानें। इन नामों से बोली छुडवाई गई। जब इन्होंने देखा कि 6 करोड़ रुपया देना पड़ेगा तो बड़े टैक्टफुली कानून का तथा अपनी सियासत का नाजायज फायदा उठा कर अपने कारिन्दों के नाम ही रि–औक्शन करवा कर 3 करोड़ 68 लाख में दौबारा ले

ली। मेरे भाई ने यह भी पूछा है कि हमने इस बारे में क्या ऐक्शन लिया है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ज्यों ही हमारी सरकार बनी और यह बात हमारे नोटिस में आई तो हमने एक तरफ से इन्कवायरी शुरु की और दूसरी तरफ रियलाईजेशन के लिए ऐक्शन लिया।

स्पीकर सर, ये लोग पूरे घाघ हैं तथा कानून और कोर्ट का सहारा ले कर स्टे ले लिया। जब हमने रियलाईजेशन की कोशिश की तो 6 आदमी लापता हो गए और 2 आदमी हमारे हाथ में आए। 40 दिन तक हमने उनको लॉक–अप में रखा। जो लोग उनके सरंक्षक बने हुए थे उन्होंने उनको लोकअप में रखना 'बेहतर समझा और उनको छुड़ाने के लिए वे सामने नहीं आए और मजबूरन 40 दिन के बाद हमें उनको छोड़ना पड़ा। अब हम इस मामले में वेट कर रहे हैं। बाकी जहां तक 3 फर्मों का ताल्लुक है, भाई ने पूछा है कि क्या ऐक्शन हुआ। अभी तो हमारी मजबूरी है क्योंकि कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और अगली डेट 24– 7– 1992 की है। ज्यों हो स्टे वैकेट होगा हम इस मामले में सख्ती से ऐक्शन लेंगे। (विध्न)इस बिनाह पर जो आदमी इन्होंने खड़ा किया वह सिर्फ पेपरों पर ही था। शायद वह आदमी शराब के ठेके की बोली तो क्या शराब की बोतल की बोली भी नहीं दे सकता है। इस बारे में मैं यह कह सकता हूं कि आज तक के पब्लिक रिपोर्ट मिली है उसमें चौटाला के सम्बन्धी का जिक्र है जिसका नाम शायद भीम सिंह है। अध्यक्ष महोदय, वह हमरि हाथ में नहीं आया

है, उसका अमी तक पता नहीं चला है। परन्तु हमने पूरी चौकसी बरती है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कराधान मंत्री जी से यह पूछना चाहता हू कि 1992–93 में पानीपत जिला के नारा और नढलोडा में जो बोली हुई थी वह बोली बहुत ही कम पैसों पर हुई थी और उसमें बहुत ही नुक्सान हुआ था तथा वे ठेके भी इन्होंने अपने आदमियों को दिए थे,क्या यह सच

Mr. Speaker : This question does not arise out of the main question.

श्री राजेंन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि अगर ग्राम पंचायते निर्धारित समय से पहले सरकार को रैजोल्यूशन पास करके भेज देगी कि उनके ग्राम में शराब के ठेके नहीं खोले जाएं तो वहां शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। परन्तु मेरे पास ऐसे बीसियों डाकुमैंन्ट्री प्रूफ हैं, ऐसे कई रैजोल्यूशन मेरे पास आए हैं जोकि रजिस्टर्ड ए० डी० के भेजे गए हैं कि वहां पर ठेके न खोले जाएं। मगर इसके बावजूद भी वहां पर ठेके खोले गए। इसके साथ ही मैं मती जी से जानना चाहूंगा कि क्या जितने भी हमारे मंत्री हैं वे अपने हिसाब से विभाग की पालिसी को विभाग को बताते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह जो शराब की लानत है यह हमारे युवाओं के लिए बहुत ही घातक

है और इसको रोकने के प्रबन्ध क्यों नहीं कर रहे हैं इसके क्या कारण हें?

श्री ए० सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे फाजिल दोस्त ने जो बात कही है उस बारे में शायद हम उनकी तसल्ली नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, जहां जहां समाज ने कुछ भी बात कही है उसे हमने माना है और बीसिय ऐसे रैजोल्यूशंज हमने पास करके ऐक्सैप्ट किए हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह इन अपोजिशन वालों की देन है और ये सरपंच को कहते हैं कि आप रेजोल्यूशन मत दें। अध्यक्ष महोदय, सरपंच ठेकेदार से पैसे लेकर कह देता– है कि ठेका खोल दो (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, जहा जायज मांग होतो है वह हम मान लेते हैं (शोर)जहां से भो ह में रैजोल्यूशन ग्राम पंचायतों से मिले है वहां पर हमने शराब के ठेके बन्द किये हैं ओर अगर कहों पर ये ठेके बन्द नहों हुए हैं तो बाकायदा ऐक्साइज एण्ड टैक्सेशन कमिशनर इन सारे प्रस्ताव को ऐग्जामिन करके ही ऐक्सैप्ट करते हैं या रिजैक्ट करते हैं। जहां तक पालिसी की बात है वह औक्शन के मुताबिक होती है और जब भी हम औक्शन करते हैं तो उससे पहले इसके बारे में डिक्लेयर करते हैं कि यह पौलिसी है। हम हरियाणा में सरकार की पौलिसी के बारे में लोगों से भी बात करते हैं। हम आगे भी लोगों को इस तरह की बातें बतायेंगे कि जो लोग शराब को न पीने वाले हैं वे इसको न पीये। साथ ही मैं आपसे भी आशा करता हूं कि आप लोग भी सरकार को इस बारे

में पूरा सहयोग दें। आने वाले वर्षों में इससे हमें जो पैसो मिलेगा उससे हम डिवैल्पमैंट के काम करेंगे।

Works Managers

***295. Sathi Lehri Singh :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the total number of Works Managers in the Transport Department as at present;

(b) the number of Works Managers, out of those referred to in part (a) above, belonging to Scheduled Castes; and

(c) whether there is any shortfall in the representation of the persons belonging to Scheduled Castes; if so, the reasons therefor togetherwith the time by which it is likely to be wiped off ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह) क, ख तथा ग कर्मशाला प्रबन्धकों के 19 स्वीकृत पदों में से केवल 13 पद भरे हुए हैं। सेवा नियमों की व्यवस्था अनुसार 5 पद (25 प्रतिशत)सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं जबकि अब तक केवल 2 पद भरे गए है।

वर्ग 'ख' पद होने के कारण कर्मशाला प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षण नहीं है। सीधी भर्ती के कोटे का 20 प्रतिशत, जो कि एक पद बनता है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाना है। रोस्टर अनुसार यह चौथा पद होगा।

हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास लम्बित मांग में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित एक कर्मशाला प्रबन्धक की भर्ती का पहले ही प्रावधान है।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब बड़ा तोड़ मरोड़ कर दिया है। मैंने मंत्री जी से सीधा सा सवाल पूछा था कि वर्क्स मैनेजर के 19 पद हैं उनमें से कितने एस० सी० के हैं? इसके अलावा मंत्री जी जहां तक चौथे पद की बात कर रहे हैं कि वर्क्स मैनेजर का आरक्षण के हिसाब से एस० सी० को चौथा पद जायेगा तो मैं मैली जी से जानना चाहूंगा कि यह चौथा पद अब से पहले क्यों नहीं भरा गया। इसी तरह से मंडी जी ने कहा कि एस० सी० का कोटा 20 प्रतिशत होना चाहिए तो इस हिसाब से भी 19 पदों में से चार पद एस० सी० के बनते हैं लेकिन आज एक भी वर्क्स मैनेजर एस० सी० का नहीं है। दूसरी बात मंत्री जी ने कही है कि एस० सी० के लिए प्रमोशन में कोटा नहीं है। तो मैं मैली जी को बतानों चाहता हूं कि यह जो 19 आदमी लिए हुए है यह प्रमोशन से नही लिए हुए हैं बल्कि डायरैक्ट रिक्रूटमैंट से ही लिए हुए हैं। अगर आपने पहले एस० सी० के कैन्डीडेट्स नहीं लगाये तो अब आप कहां से एस० सी० के कैन्डीडेट्स लेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्क्स मैनेजर के जो 19 में सैं चार पद बनते हैं, इनको कब तक भर लिया जायेगा? इसके अलावा कई ऐसे एस० सी० ओफिसर्ज हैं जिन्होंने ऐज वर्क्स मैनेजर काम किया है

लेकिन अब उनको रिवर्ट कर दिया गया है। तो क्या मंत्री जी उनको भी वर्क्स मैनेजर के पद पर लगाने की कृपा करेगे?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन का उत्तर तो स्पष्ट है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्क्स मैनेजर के जो 19 पद हैं उनमें से इस समय 13 पद भरे हुए हैं जिसमें से 11 पद प्रमोशन के द्वारा भरे गये हैं और दो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये हैं। बाकी 20 प्रतिशत के हिसाब से जो 5 पद में से एक पद बनता है उसको भरने के लिए हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा हुआ है हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को 10—3—92 को पत्र लिखा है। इससे पहले क्या हुआ है क्या नहीं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसमें 20 प्रतिशत के हिसाब से 5 पदों में से एक पद का कोटा एस० सी० का बनता है और रोस्टर के हिसाब से चौथा पद उनको जायेगा जब अगला कोई पद भरा जायेगा। इस तरह से हरिजन भाइयों को उनका पूरा डयू दिया जायेगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का ताल्लुक है कि आरक्षण 20 प्रतिशत है, इस बारे में मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस कैटेगरी में 75 प्रतिशत पोस्टें बाई प्रोमोशन भरी जानी होती हैं, इसलिये इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी यदि कोई हरिजन भाई क्वालीफीकेशन फुलफिल करता है, बाकायदा मैरिट के हिसाब से अगर वह सर्विस में है, तो उसको जरूर कंसीडर किया जायेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हरिजनों का आरक्षण पूरा नहीं करेंगे।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मंती जी ने अपने जवाब में भी बताया है और गवर्नर महोदय ने भी यह बताया था कि बैकलौग पूरा करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी यह कहा हुआ है कि हम बैकलौग पूरा करेगे लेकिन इस सवाल के जवाब से यह जाहिर होता हे कि न तो सरकार की नीयत ही ठीक है और न ही इस बारे में कोई नीति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पोस्ट्स को भरने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को कब लिखा गया? आप को क्या इनके लिये हरिजन उम्मीदवार नहीं मिले जिसकी वजह से यह पोस्ट्स पैंडिंग रही हैं। मैं इस बारे में यह पूछना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कब लिखा गया और नियुक्ति कब तक हो जायेगी।

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर सर, माननीय सदस्य महोदय ने मेरे ख्याल में मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं है। 10—3— 1992 को हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है। जो कोई भी त्रुटि हमारे विभाग के सामने इस बारे में आती है हमारी कोशिश यही होती है कि इन भाइयों को पूरे सम्मान के साथ पूरा कोटा मिले। समान रूप से आरक्षण प्राप्त हो। जहां पर इनके लिये आरक्षण है वहां पर इनकी नियुक्ति की जाये। इसी कोशिश के तहत हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है। हमें इन्तजार है। ज्यों ही हमें वहां से कैन्डीडेट्स आ जायेगे इनका कोटा पूरा हो जायेगा इसमें इनको कोई संशय नही होना चाहिये।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर सर मेरा स्पैसिफिक क्वैश्चन था। एक दो आदमी ऐसे हैं जो शड्यूल्ड कास्टस के हैं और वर्क्स मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं लेकिन अब उनको रिवर्ट कर दिया गया है। क्या उनको वर्क्स मैनेजर लगा दिया जायेगा। एक तो मेरा सवाल यह है और दूसरा यह है कि मान लिया कि 13 ही आदमी लगाये गये हैं। तो 13 में से 3 आदमी हमारे बनते हैं। रोस्टर में भी 13 में से 4 आदमी हमारे आने चाहिये थे लेकिन आपने कह दिया कि चौथा पद हमें मिलेगा। (व्यवधान व शोर)आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं खुद अनुसूचित जाति का हूं और चौधरी अमर सिंह जी भी इसी जाति से हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 13 में से 4 आदमी शडयूल्ड कास्ट्स के क्यों नहीं लिये गये हैं? (व्यवधान व शोर)मैं सबसे पहले कहता हूं कि बाल्मीकि को लगा दिया जाये, धानक को लगा दिया जाये या किसी चमार को लगा दिया जाये, हमें इस बारे में कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह पोस्ट्स शडयूल्ड कास्ट्स के लोगों को जानी चाहिये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य इस मामले में काफी उत्तेजित हैं और मामला भी काफी गम्भीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग चूंकि सदियों से दबे हुए रहे हैं और पिछड़े हुए रहे हैं इसी प्वायंट को लेकर रिजर्वेशन हमारे संविधान में की गयी। इनकी पिछली सरकार ने, जो 20 परसैन्ट का कोटा सिलेक्शन्ज में होना चाहिये, उसकी पूर्ति

करनी चाहिये थी लेकिन पिछले चार साल के दौरान जब चौधरी देवी लाल की सरकार इस प्रान्त में थी, इस बारे में कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार ने अपने आने के बाद सारे डिपार्टमैट्स को बुला कर एक फैसला किया कि जहां–जहां पर भी बैकलौग रह गया है, उस बैकलौग को पूरा करना चाहिये। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पुलिस की भर्ती हुई। 1800 पुलिस के जवान भर्ती किये गये। 1800 में से 600 हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के आदमी भर्ती किये गये। जहां तक आगे का सवाल है, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना भी कोटा हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज का है, उसको पूरा किया जाएगा। बैकलौग को पूरा करके आगे चलेगे जिससे समाज में जो दबे हुए लोग हैं उनको०पर उठाया जा सके। स्पीकर साहब, रोस्टर सिस्टम को पिछली सरकार ने रद्द कर दिया था उसको हमने चालू कर दिया है।

Pollution caused by factories in Bhiwani City

***305. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Forests be pleased to state—

(a) whether the Govt. is aware of the fact that pollution is being caused by B.T.M., T.I.T., Hindustan Gum and Chemical, Bhiwani Vanaspati Ltd. and Mohta Electro Steel Ltd., factories in Bhiwani City; and

(b) if so, the steps so far taken or proposed to be taken to check the pollution caused by above said factories?

Forests Minister (Rao Inderjit Singh) :

(a)& (b) : The information is laid on the Table of the House.

Information

All the five units have provided Air Pollution Control measures which are working to the satisfaction of the Haryana State Pollution Control Board. As far as Water Pollution is concerned Ks. Hindustan Gum and Chemical Industries, Bhiwani do not release any trade effluent. The domestic effluent goes into the sewer. The other four units namely Bhiwani Vanaspati Ltd., M/s. T.I.T., Mohta Electro Steel Ltd., and Bhiwani Textile Mills have installed treatment plants. The latest results of Bhiwani Vanaspati Ltd., and M/s. T.I.T. Bhiwani show a marginal increase over the permissible limits in pollution. They have been issued notices by the Board under the water (Prevention and Control) Act, 1974 to bring the results within the permissible limits. As far as Mohta Electro Steel Lta., and Bhiwani Textile Mill, are concerned, according to the latest report, their treatment plants are running satisfactorily.

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने खुद माना है कि प्रदूषण निर्धारित सीमा से कुछ अधिक है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह कितना अधिक है और क्या यह केवल भिवानी की ही पोजीशन है या दूसरे शहरों की भी यही पोजीशन है? स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हिसार में एक शराब की फैक्टरी लगी हुई है। वहां

से मीलों तक उसकी दुर्गन्ध आती है। वहां से लोग गुजर नहीं सकते। भिवानी और दूसरी जगहों पर आज बहुत अधिक पौल्यूशन है और विशेषकर हिसार की शराब की फैक्टरी तो वहां के निवासियों के लिए बहुत दुखदायी बनी हुई है। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी?

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, ऐंबर पौल्यूशन का जहां तक सम्बन्ध है सभी पांचों इंडस्ट्रीज हरियाणा स्टेट पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के पैरामीटर्ज को पूरा करती हैं। जहां तक वाटर पौल्यूशन का सम्बन्ध है, पांच इंडस्ट्रीज में से दो इंडस्ट्रीज पैरामीटर से ऐक्सीड करती हैं। एक इंडस्ट्री कोई भी ट्रेड ऐफ्लूऐंट रिलीज नही करती और बाकी चार ने ऐफ्लूऐंट ट्रीटमैंट प्लांट इंस्टाल किए हुए हैं। जो दो इंडस्ट्रीज पैरामीटर से ऐक्सीड करती हैं उनके नाम हैं मैसर्ज टी० आई० टी० और भिवानी वनस्पति लिमिटिड। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्रीज परमीसीबल ऐफ्लूऐंट पैरामीटर से कितना ऐक्सीड कर रही हैं। पी० एच० वैल्यू 5.5 से 9 होनी चाहिए लेकिन टी० आई० टी० भिवानी का 7. 65 है। यह ठीक नहीं है। टी० डी० एस० 2100 मिलिग्राम होना चाहिए लेकिन 2100 की बजाए 2170 है। इस तरह से 70 कि० ग्रा० ज्यादा हैं। वी० ओ० डी० और सोडियम के जो पैरामीटर्ज हैं वे सारे कनफौर्म करते हैं। इस इंडस्ट्री को नोटिस इशू कर दिया गया है कि आप मौडीफाई करें और अगर मौडीफाई नहीं करेंगे तो ऐक्शन लेंगे।

स्पीकर साहब, दूसरी इंडस्ट्री भिवानी वनस्पति लि० है। इनका इ० टी० पी० प्लांट ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। पी० एच० वैल्यू जो 5.5 से 9.00 होनी चाहिये वह 20 है यह कम हैं। टी० डी० एस० 2100 की बजाए 2260 है। पानी के अन्दर सोडीयम की परसैन्टेज 60 होनी चाहिये जोकि 61.2 है। 1.2 परसैन्ट ज्यादा है। इस दूनिट को 4— 6— 1992 को कह दिया गया है कि टी० डी० एस० ज्यादा है, सोडीयम की परसंन्टेज ज्यादा है और इ० टी० पी० पैरामीटर के हिसाब से नहीं है इसलिए इ० टी० पी० को ठीक किया जाए और दूसरी चीजें पैरामीटर के हिसाब से की जाएं। स्पीकर साहब, यह तो भिवानी की पोजीशन स्पीकर साहव, माननीय सदस्य ने साथ ही साथ हिसार के अन्दर एक डिस्टिलरी का जिक्र किया कि यह शराब की फैक्टरी प्रदूषण फैला रही है। स्पीकर साहब, हिसार के अन्दर ऐसोसिरटिड डिस्टिलरी है। इसमें इ० टी० पी० दो सात्र पहरने लगया था। डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से इ० टी० पी० की टैक्नोलोजी नीदरलैड से प्राप्त की गई थी। हरियाणा के अन्दर आज चार डिस्टलरीज है और सब से अच्छा ऐफ्लूऐंट ट्रीटमैन्ट प्लांट ऐसोसिएटिड डिस्टिलरी का है। स्पीकर साहब, ऐफ्लूऐंट ट्रीटमैंट के बाद जो पानी बाहर निकलता है वह किसान को फर्टीलाइजर के तौर पर उपलब्ध होता है। हिसार ऐग्रीक्लचरल यूनीवर्सिटी ने माना है कि यह जो पानी खेतो में लगता है वह फर्टीलाइजर से ज्यादा बेहतर होता है। स्पीकर साहब, यह प्लांट ठीक काम कर रहा है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अभी मन्त्री महोदय पोल्यूशन की बात करते करते हिसार डिस्टिलरी की बात भी कह गये और बड़ाई भी कर गये। उनका यह कहना स्वाभाविक है क्योंकि वे कैबिनेट स्तर के मन्डी हैं लेकिन जो उन्होंने बताया वह फैक्चुमल पोजीशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको मैं प्वांइट करता हूं, आप उस इलाके को विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि डिस्टिलरी के पास 24 घण्टे पानी खड़ा रहता है और बदबू मारता है, गन्दगी के कारण आस–पास के लोग बेहद दुःखी हैं। स्पीकर सर, जैसा इन्होने बताया कि कुछ कोड्ज होते हैं, रूल आफ ला है उसी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाहिये। कोई जंगल का ला नहीं कि जिस को चाहा पकड़ा और पकड़ कर अन्दर ठोक दिया। (विघ्न) मेरा सवाल यह है कि इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड को समाप्त क्यों कर दिया? कहीं इसका कारण यह तो नहीं था कि पौल्यूशन फोर्ड का जो चेयरमैन था, वह इनसे हटाया नहीं जा रहा था, उसको केवल हटाने के लिये पौल्यूशन बोर्ड समाप्त कर दिया हो? क्या मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे?

राय इन्द्रजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, पौल्यूशन बोर्ड का जो चेयरमैन था, वह इनके राज के दौरान बनाया गया था और वह एक सरकारी अधिकारी था। पौल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन एक ऐनवायरनमैन्टल सीनियर होना चाहिये, कुछ स्पैसीफिकेशंज थीं, उनके मुताबिक चेयरमैन बनाया जाना चाहिये था लेकिन इन्होंने इस पैरामीटर को ताक पर रखते हुए पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के

एक सरकारी अधिकारी को उस बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया था जोकि इनका फेवरिट था। अध्यक्ष महोदय, वह पौल्यूशन बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। हमने जब चेयरमैन को हटाने की बात कही तो वह आदमी कोर्ट से स्टे ले आया। बाद में भारत सरकार की ओर से हमारे पास आदेश आये, उन्होंने सैन्टर के अन्दर भी पौल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन पैरामीटर के मुताबिक बनाने की कोशिश की। उन्होंने बनाया और उसी तरह से हम भी यहां हरियाणा के अन्दर करने जा रहे हैं और हमने बनाया।

श्री अध्यक्षः पौल्यूशन के बारे मैं. आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा है कि सारे शहर में गन्दगी फैल रही है और बदबू 24 घण्टे वहां रहती है?

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, ये ऐसोसिऐटिड डिस्टिलरी की बात करते हैं। इनको तो उसका फोबिया हो गया है क्योंकि ये समझते हैं कि मुख्य मन्त्री महोदय के वे जानकार हैं। हरियाणा के अन्दरर अध्यक्ष महोदय, चार डिम्टिलरीज हैं। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि आज से दो साल पहले, सब से प्रथम अगर किसी फैक्टरी या डिस्टिलरी ने ऐफलूऐंट ट्रीटमैंन्ट प्लांट लगाया था तो वह ऐसोसिएटिड डिस्टिलरी, हिसार ने लगाया था और अब दूसरी यमुनानगर की डिसइटलरी लगाने जा रही है। इसलिए जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं वहां शहर के अन्दर इस कारण से किसी भी प्रकार की गन्दगी का सवाल ही पैदा नही

होता। सब से बेहतरीन फर्टीलाइजर के तौर पर उस डिस्टिनरी का पानी इस्तेमाल हो रहा है ओर वह कामयाब भी है।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के ध्यान में कोई इस तरह के प्लांट्स हैं जोकि गन्दगी पैदा करते हों, वातावरण को पौल्यूट कर रहे हों? अगर ऐसे प्लांट्स हैं तो क्या सरकार उन सब को आदेश जारी करेगी कि वे जल्दी से जल्दी अपने अपने ऐफलूऐंट ट्रीटमैन्ट प्लांट्स लगाएं ताकि शहरों में जो इस तरह का पौल्यूशन है, गन्दगी है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हौता है, इस पर रोक लगाई जा सके। इस बारे में, मैं सरकार की स्पष्ट तौर पर नीति जानना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में क्या पग उठा रही है?

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, सरकार पहले ही इस बात के लिये प्रयत्नशील है और हम यह महसूस भी करते हैं कि हरियाणा के अन्दर जो जो इंडस्ट्रीज पौल्यूशन फैलाती हैं उनके०पर कोई न कोई अंकुश अवश्य लगाया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रीज 1982 से पहले लगी हुई थीं, चूंकि उनका मैनुफंकचरिंग प्रोसैस पुराना हो चुका है और उनको मियाद की तिथि 31 दिसम्बर, 1993 तक हमने दे रखी है कि अगर आप इस तारीख तक अपना ऐफलूऐटं ट्रीटमैन्ट प्लांट न लगाओगे तो हम आपके खिलाफ ऐक्शन लेंगे और आपकी इंडस्ट्रीज को बन्द करने पर सरकार मजबूर हो जाएगी। जो 82 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन की टैकनीक

नई होने के कारण हमने उनकी मियाद घटाकर 31 दिसम्बर, 1992 तक की है उन्हें हमने कहा है कि अगर वे इस डेट तक अपना ऐफलूएन्ट ट्रीटमैन्ट प्लांट नहीं लगाते तो पैरामीटर के अनुसार उनके खिलाफ हम एक्शन लेगे। ऐसे प्रोजैक्ट को बन्द करने के लिये सरकार पहले ही वचनबद्ध है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, दादरी का भी मुझे पता है और दूसरी जगह पानीपत और यमुनानगर में तो पौल्यूशन की हद है लेकिन इनमें कुछ ऐसी फैक्टरीज हैं जो खतरनाक चीजें बनाती हैं वहां पर कोई बोर्ड नही लिखा होता और कुछ पता नहीं चलता कि वे क्या बनाती हैं। वे गन्दगी भी पैदा– करती हैं जिससे स्मैल आती है और गन्दगी का खेती पर भी असर पड़ रहा है। क्या सरकार की नालेज में हैं कि वे फैक्टरीज क्या बनाती हैं और वे बोर्ड क्यों नहीं लगातीं?

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, एयर एंड वाटर ऐक्ट के मुताबिक जो भी हरियाणा में इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको पहले पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से कनसैन्ट लेनी पड़ती है। उसके बगैर वह इंडस्ट्री लगा नही सकता। जो फैक्टरी लग जाती है उसका सालाना एयर और ऐफलूऐंट का सैम्पल टैस्ट होता है। अगर वह टैस्ट मे फैल हो जाता है तो उसको अगले साल फैक्टरी चलाने की इजाजत नही होती। अगर वह पास हो जाता है तो अगले साल के लिए फैक्टरी चला सकता है। फिर भी अगर इनके नोटिस में कोई फैक्टरी है जो पौल्यूशन बोर्ड की इजाजत के

बिना चल रही हो और हमको मालूम न हो तो उसके बारे में हमें लिख कर भेज दें, हम उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद जिले में भी करीब 70 प्रतिशत फैक्टरीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पौल्यूशन फैला रही हैं। इनके महकमे से या और महकमें से किसी प्रकार की उनको परमिशन नहीं है। नतीजा यह है कि गांव के गांव खाली होने की नौबत आ गई है। हमारे पलवल में भी दो ऐसी फैक्टरीज हैं जिनका पौल्यूशन बहुत जब्रदस्त है। इसी तरह से हथीन में मोदी के नाम से एक शराब की फैक्टरी है उसको पौल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, जो हथीन के अन्दर फैक्टरी है वह काफी पौल्यूशन कर रही है और हमने उसके खिलाफ नोटिस जारी करने का फैसला ले लिया है। अगर वह ट्रीटमैंट प्लांट नही लगाएगी तो हमने उसको बन्द करने की भी कार्य वाही चला रखी है, हम उसे बन्द करवा देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः स्पीकर साहब, पिछले सैशन में पौल्यूशन से संबंधित सदन में चर्चा हुई थी। फरीदाबाद उत्तरी भारत का सब से बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। उस में पौल्यूशन के बारे में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिलाया था कि फरीदाबाद में पौल्यूशन कन्ट्रोल करने के लिए विशेष कार्यवाही करगे। मैं जानना

चाहता हूं कि पिछले सैशन में जो आश्वासन दिया गया था उसके बाद अब तक वहां पर पौल्यूशन कम करने के लिए इन्होंने अपने विभाग में क्या क्या कदम उठाए हैं?

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, सब से पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद के अन्दर जो ज्यादातर पौल्यूशन है वह म्यूनिसिपल पौल्यूशन की वजह से है। वहां का म्यूनिसिपल वैस्ट यमुना के अन्दर जाता है उसकी वजह से काफी पौल्यूशन है। यमुना ऐक्शन प्लान के अन्दर फरीदाबाद भी 7– 8 शहरों में से एक है। इन शहरों में से पौल्यूशन कम करने के लिए हम एक कंबाइंड ऐफलूऐंट ट्रीटमैंट प्लांट लगाएंगे। इसके लिए पैसा हमें विदेश से मिल रहा है। जहां तक फैक्टरीज पौल्यूशन कर रही हैं उस बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया कि हर साल हम उनके सैम्पल टैस्ट लेते हैं, एक लीगल रिपोर्ट लेते हैं। अगर लीगल रिपोर्ट कन्फर्म करती है कि उसका टैस्ट ठीक है तो उस साल के लिए हम उनको इजाजत देते हैं यानी 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक इजाजत देते हैं। अगर सैम्पल फेल हो जाता है तो उनको आगे आप्रेट करने की इजाजत नहीं देते।

Sale of agricultural land

***321. Shri Mani Ram Keharwala :** Will the Chief Minister be please to state—

(a) whether it has come to the notice of the

Government that certain agricultural land has been sold at a much cheaper rate than the prevailing market price in village Lambi, Tehsil Dabwali, District Sirsa during the last three years and the registered deed has been executed accordingly; and

(b) if so, the action taken in this regard and the fate of the old tenants who had been cultivating the above said land for the last over 60 years ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल)

(क)तथा(ख)सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि ग्राम लम्बी तहसील डबवाली में लगभग 148 एकड़ भूमि कुछ व्यक्तियों द्वारा मार्च से जून, 1989 के दौरान खरीदी गई तथा मार्किट रेट से कम कीमत पर रजिस्टर करवाई गई। इन लेन–देनों के परिणाम स्वरूप स्टाम्प शुल्क की कम अदायगी हुई। कमी की अनुमानित राशि एक लाख रुपये से अधिक बनती है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47–ए के अधीन कम शुल्क की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है। जहां तक मुजारो का सम्बन्ध है, उनके पास लगभग 131 एकड़ भूमि का जोत अधीन कब्जा था इसमें से लगभग 84 एकड़ भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीद ली गई तथा अब मुजारों के पास लगभग केवल 47 एकड़ भूमि है।

श्री मनी राम केहरबालाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे अन्य व्यक्ति

कौन हैं और उन 15 हरिजन परिवारों का क्या हुआ जो उस जमीन को 1948 से काश्त करते आ रहे थे? उनको बेदखल कर दिया गया। उनको उजाड़ दिया गया। जिन लोगों ने उन हरिजन परिवारों को उजाड़ा है उनकी आज भी वहां पर दहश्त फैली हुई है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने अभी मेन सवाल के जवाब में बताया है कि गांव लम्बी, तहसील डबवाली, जिला सिरसा में है। उस गांव में 84 एकड़ जमीन चौधरी देवी लाल के परिवार ने मुजारों से खरीदी। उस जमीन पर मुजारों का 30 साल से भी ज्यादा अर्से से कब्जा था। जिन लोगों ने वह जमीन खरीदी उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जोकि रिकार्ड की बात है। उन मुजारों की जमीन जिन नामों से ली गई उनमें सर्वश्री दुष्यन्त कुमार सपुत्र अजय सिंह सपुत्र ओम प्रकाश चौटाला सपुत्र चौधरी देवी लाल, आदित्य सिंह अभिसेक सिहाग, अनुरोध सिहाग सपुत्र जगदीश सपुत्र चौधरी देवी लाल और अभय सिंह पुत्र ओम प्रकाश चौटाला पुत्र चौधरी देवी लाल निवासी तेजाखेड़ा। इन लोगों के नाम से यह 84 एकड़ जमीन खरीदी गई। अध्यक्ष महोदय, उस 84 एकड़ जमीन पर जिन मुजारों का 30 साल से भी ज्यादा अर्से से कब्जा था वे हरिजन थे, गरीब लोग थे। उनको डरा धमका कर बेदखल कर दिया गया। उस जमीन की 7– 8 हजार रुपए पर–एकड़ के हिसाब से रजिस्ट्री करवाई गई। रजिस्ट्री में बड़ी भारी अनियमितताएं की गई जबकि कलैक्टर रेट भी 17

हजार से 25 हजार रुपए पर एकड़ है। जो कलैक्टर रेट होता है वह बहुत कम होता है। जिस वक्त उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई उस वक्त की अगर बाजारी कीमत लगाई जाए तो वह जमीन उस समय सवा लाख या डेढ लाख रुपए पर एकड़ से कम नहीं थी। आज उस जमीन की कीमत अढ़ाई तीन लाख रुपए पर एकड़ है।

प्रो० सम्पत सिंह स्पीकर साहब, जो हिसार बीहड़ की लैण्ड थी उसमें फ्रीडम फाइटर्ज और डिसप्लेस्ड लोगों को साढ़े बारह साढ़े बारह एकड़ के प्लाटस अलाट किए गए थे। अलौटीज हरिजन भी थे और फ्रीडम फाइटर्ज भी थे। क्या वह जमीन स्वयं मुख्य मन्त्री के परिवार ने खरीदी थी, यदि खरीदी गई तो किस रेट पर रजिस्ट्री करवाई गई और उस वक्त वहां पर जमीन की क्या प्राईस थी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह सदन है और सामने लिखा है कि या तो सदन में प्रवेश न किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो सच बोला जाए। जमीन का लेन देन कोई भी आदमी कर सकता है। कोई एक आदमी भी यह कह दे कि मुख्यमन्त्री के परिवार ने या मुख्य मन्त्री के किसी रिश्तेदार ने किसी हरिजन आदमी की जमीन जिस पर उसका कब्जा था और उसके नाम गिरदावरी थी, ताकत के नशे में या राज की गद्दी पर होने की वजह से खरीदी और उसको बेदखल कर दिया तो मैं आज ही अपना इस्तीफा दे कर अपने घर चला जाऊंगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी इस तरह से कह करके सवाल के जवाब को टाल रहे हैं। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इनके स्वयं के परिवार ने हिसार बीहड़ में जिन हरिजनों और फ्रीडम फाइटर्ज को जो साढ़े बारह साढ़े बारह एकड़ के प्लाट अलौट किए गए थे वह जमीन खरीदी या नहीं खरीदी? स्पीकर साहब, में हाउस में औन ओथ कहता हूं कि मैं उस जमीन की रजिस्ट्री की नकल ला कर दे सकता हूं। इनके परिवार के लोगों ने वह जमीन खरीदी है। अगर नहीं खरीदी तो ये कह दें कि नहीं खरीदी और हम इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जमीन कोई भी आदमी खरीद सकता है। चाहे वह जमीन किसी को भी अलौट हो गई। चाहे वह फ्रीडम फाइटर्ज को अलौट हो गई और चाहे किसी और आदमी को अलौट हो गई अगर वह उस जमीन को बाजारी कीमत पर बेचना चाहे और उसको कोई आदमी खरीद ले तो कोई दोष नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह आपने जमीन ली है या नहीं ली है, यह बता दें। (शोर एवं विघ्न)।

चौधरी भजन लालः काफी समय पहले ली हैं। क्यों नहीं ली है? बाकायदा ली है, पैसे दे कर ली है। (शोर एवं

विध्न)आपकी तरह लोगों को घर से नहीं निकाला। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप बैठिए। पहले पूरी तरह से जवाब आने दो। (Noise & Interruptions)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि जमीन क्यों ली? मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई आदमी अपनी जमीन बेचना चाहे और कोई लेना चाहे तथा सरकारी रिकार्ड के मुताबिक ले और सरकारी कागजों में उसका नाम रजिस्ट्री हो तो उसको इंकार करने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? कोई यह कह दे कि गलत कर दिया या किसी को खेत से धक्के देकर निकाल दिया तो बुरी बात है। मेरे पास यह इडिंया टूडे है। यह बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है। आप सभी जानते हैं कि सारे देश में इसकी कितनी भारी प्रतिष्ठा है। इस इण्डिया टूडे में क्या लिखा है? (शोर)इसमें देवी लाल के कुनबे की करतूतों के बारे में लिखा है। यह मैं आपको दिखाता हूं। आप सुनने की कृपा करें। (शोर)

आवाजेंः हम आपकी भी बताएंगे।

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिये। (शोर एवं विध्न)

प्रो० सम्पत सिंह स्पीकर साहब, हें पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मैगजीन उस में कोट किया जा सकता है?

श्री अध्यक्षः हां कोट करके सुनाया जा सकता है।

चौधरी भजन लालः यह तो इसमें लिखा है। (शोर एवं विघ्न)जो इसमें लिखा है क्या इसके खिलाफ आपने दावा किया है? (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः आप चार साल पहले की इण्डिया टूडे भी पढ कर सुनायें।

चौधरी भजन लालः आप कभी की सुनायें। आपको कौन रोकता है? (शोर)हमें कोई एतराज नहीं है? (शोर)(इस समय कुछ सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)।

श्री अध्यक्षः आप सभी आपस में न बोलें। कादियान साहब, आप भी बैठिए। (शोर)पहले चौधरी बंसी लाल जी बोलेगे।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बताया है कि चौधरी देवी लाल जी के परिवार ने मुजारों से नाजायज तौर पर जमीन ली है। आम तौर पर हरिजन मुजारे होते हैं लेकिन बाकी भी छोटे मोटे मुजारे हो सकते हैं। लीडर औफ दी अपोजीशन ने भी मुख्य मन्डी पर जमीन लेने का आरोप लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री जी इन दोनों डील के बारे में हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इन्क्वायरी करवायेंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी की चान्ग गांव की जमीन का यहां पर जिकर नही कर रहा हूं जो इन्होंने खरीदी थी। उसकी बात मैं इस समय नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो क्वैश्चन आया है, उसकी यानी

उसका जवाब दे रहा हूं। आपकी बात की मैं चर्चा नहीं कर रहा। (शोर)मेरे कहने का मतलब यह है कि उसके बारे में जब ये कहेंगे तो बता दूंगा। मेरे पास लाल किताब पडी है। घबराओ मत। (शोर)

श्री बंसी लालः मेरे पास भी पूरी लाल किताब आपके बारे में पड़ी है। मैं भी आपके बारे में बताऊंगा। (शोर)

चौधरी भजन लालः चौधरी साहब आप एक कहेंगे तो उसका सवाया जवाब देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। (लोर)अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह पूछा गया था कि चौधरी देवी लाल जी के परिवार के लोगों ने जो जमीन लायी गांव में ली है उसके बारे में बताया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि 84 एकड़ जमीन तो मुजारों की थी और 16 एकड़ जमीन दूसरे गरीब लोगों की थी। उस वक्त किस तरह का वातावरण था आप सभी जानते हैं। शुक्र है कुछ पैसे इन्होंने दे दिए। ये लोग उस समय धक्के से कब्जा करते थे। 100 एकड़ जमीन इनके परिवार के आदमियों ने खरीदी और रिकार्ड भी यही कहतों है जो इसमें छपा है उसको भी हमने देखा है। पहले ही काफी सरप्लस जमीन चौधरी देवी लाल जी के परिवार की निकलती थी और यह जो 100 एकड़ जमीन इन्होंने ली इसका डैकलेरेशन अभी तक इन्होंने सरकार को नहीं दिया कि इतनी जमीन हमने और ले ली है और हमारी इतनी जमीन सरप्लस निकलती है। एक तो यह भी इन्होंने कानून' की

उल्लंघना की है। दूसरे जब रजिस्ट्री करवाई जाती है तो इन्कम टैक्स सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वह भी इसमें लिया गया या नहीं यह देखने की बात है। सदस्यों की जो चिन्ता है उसको देखते हुए हम इस बारे में जांच करेंगे और जो सरप्लस जमीन निकलेगी उसको गरीब लोगों में बांटने की कोशिश करेंगे।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने चांग की उस जमीन का अभी जिक्र किया है जो मेरे लड़कों ने करीब 20 साल पहले खरीदी थी। आज मैं इस बात को फलोर औफ दि हाउस पर कहता हूं कि मेरे लड़कों ने चांग में जो जमीन खरीदी थी या मेरे रिश्तेदारों ने खरीदी थी उस बारे में जो इल्जाम लगाए जाते हैं और चौधरी देवी लाल तथा चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ जो इल्जाम लगाए जाते हैं उन इल्जामों की जांच के लिये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की एक इन्कावयरी करवा ली जाए। मैं यह औफर करता हूं।

चौधरी भजन लालः मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया है बल्कि जो कहा है वह रिकार्ड के आधार पर कहा है। जमीन खरीद कर उसकी रजिस्ट्री करवाने का हर आदमी को हक है। इन्होंने कहा कि जो जमीन ली गई वह 20 साल पहले ली गई थी और इन्कवायरी बिठाने की बात भी इन्होंने कही है। पहले जब 125 एम० पीज० और 40 एम एल० एज० ने इनके खिलाफ लिख कर दिया था तब ये भाग गए थे। (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी सालः स्पीकर सर, इस बारे में मेरी पर्सनल ऐक्प्लेनेशन है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 125 एम० पीज० और 4० एम० एल० एज० ने मेरे खिलाफ यह लिख कर दिया था। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने 4 कैबिनेट मन्त्रियों की एक कमेटी बनाई थी। इन चारों कैबिनेट मन्त्रियों के नाम हैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री कुमार मंगलम सरदार स्वर्न सिंह तथा ला मिनिस्टर मिस्टर गोखले। स्पीकर साहब, मैं आफर करता हूं कि ये इस ईशू को रि–ओपन कर लें और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इन्क्वायरी करवा लें, इसमें झगड़ा ही क्या है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 4 मन्त्रियों का जिक्र किया लेकिन मेरे मामले में तो कुछ मन्त्रियों के सामने प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि भजन लाल जी इस में कोई केस ही नहीं बनता। मैंने उस समय श्री राजीव गांधी जी से कहा था कि सैन्टर में काग्रेस की सरकार है और मामला कांग्रेस के मुख्य मन्त्री के खिलाफ है इसलिये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज से जांच करवा ली जाए ताकि मामला साफ हो जाए और मेरे खिलाफ लगाए गए इल्जामों की जांच सुप्रीम कोर्ट

के रिटायर्ड जज से करवाई गई थी और उन्होंने मुझे बिल्कुल बरी किया था। (विघ्न)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने कहा है... (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी, ऐसा है कि यह मामला रजिस्ट्रियों का है और इसमें कोई इन्क्वायरी की बात नहीं है।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि इन्होंने इन्क्वायरी कमीशन को फेस किया। इन्क्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वह सदन में रखनी पड़ती है। उस इन्कवायरी रिपोर्ट की एक कापी ये हमें दे दें। साथ ही मैं यह आफर करता हूं कि मेरे खिलाफ और इनके खिलाफ जो ऐलिगेशन्ज हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज से इंन्कवायरी करवा लें।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री मनी राम केहरबालाः स्पीकर साहब, मेरा सप्लीमैंटरी यह है कि जिसने जो जमीन खरीदी थी उसकी टोटल अलौटमैंट कितनी थी और जो 6– 6 महीने के बच्चों के नाम जमीन लगाई गई क्या उनका यूनिट बनता है? इसके साथ ही मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी यह है कि जिन हरिजनों को वहां से निकाला गया था क्या उनको अदालत द्वारा बेदखल किया गया था या नहीं किया गया था?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया कि जो जमीन ली गई उसमें देबी लाल के परिवार के लोगों ने ली है वह जमीन 100 एकड के करीब थी। उसकी हम पूरी जाच करवायेंगे और जो जमीन सरप्लस में निकलेगी उसको बकायदा सरप्लस में निकालेगे। अध्यक्ष महोदय, उसके लिये डिपार्टमैंट जांच कर रहा है, उसमें जिस भी हरिजन की जितनी भी जमीन निकलेगी उसको हम देने की कोशिश करगे। जो हरिजन वहां से निकाले गए है उनके बारे में भी हमने डिप्टी कमीशनर और एस० पी० की जिम्मेवारी लगाई है कि उनके साथ बातचीत करें कि अव क्या पोजीशन है। उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं किया है, उन्होंने दरख्वास्त दी है या नही दी है क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त इतना भय था कि कोई भी गरीब आदमी बोल नही सकता था। कोई ऐप्लीकेशन नहीं दे सकता था। इसलिये अब हम उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं। अगर कोई भी ज्यादती की बात हमारे नोटिस में आई तो सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

Plantation

***299. Shri Satbir Singh Kadian :** Will the Minister for Forests be pleased to state whether the Forest Department has taken the land of Gram Panchayat, Assan Kalan in Panipat Distt. for plantation; if so, the details thereof togetherwith the total area of said land covered for raisnig plantation upto 30-4-1992 ?

वन मन्त्री (राव इन्द्रजीत सिंह): हां जी, श्रीमान, ग्राम पंचायत आसन कलां ने वन विभाग को 400 हैक्टेयर पंचायत भूमि पौधारोपण के लिये दी। इस भूमि में से केवल 191 हैक्टेयर भूमि पर दिनांक 30– 4–92 तक वन विभाग ने पौधारोपण किया तथा 28 हैक्टेयर पर पौधारोपण के लिये खड्डे खुदाई का कार्य करवाया गया।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मच्छी जी से जानना चाहूंगा कि 191 एकड़ में जो पौधारोपण हुआ उसमें कितने पैसे लगे और कितने पौधे सर्वाईव कर रहे हैं? इसके साथ ही जिन आदमियों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज है उनमें से एक कृषि मन्त्री के पी० ए० के पिता जी भी शामिल हैं और इस वजह से वहां पर ट्री प्लांटेशन नही हो रहा है। मैं इसका जवाब मन्त्री जी से जानना चाहूंगा।

राय इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, कुल मिलाकर के जो खर्चा इस पर हुआ है यह मैं आपको 1987–88 से लेकर के 1992– 93 तक बता देता हूं यह 13,90,556 रुपए है जोकि पौधे के०पर खर्च किया गया है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि लोगों ने इसको डिस्ट्राय कर दिया है अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि तीन रेजोल्यूशनज हमारे पास पंचायत बैक के लिये आए हैं और हरेक रैजोल्यूशन के बाद जब हमने इस पर काम करने की कोशिश की तो लोगों ने इसके०पर टैरक्टर चला दिया। जो खड्डे खोदे हुए थे उनको तहस–नहस कर दिया और

उनको दोबारा भर दिया। इसके लिये उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज' करवाई गई है। पहली एफ० आई० आर० 4–7–91 को और दूसरी 1 6–7– 91 को दर्ज करवाई गई है। उनके खिलाफ कोर्ट के अन्दर चलान पुट–अप कर दिया है और वह कोर्ट के अन्दर विचाराधीन है। जहाँ तक एक बात इन्होंने कही कि हमारे ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर का आदमी उसमें इन्वौलव्ड है, इस बारे में कोई बात साबित नही होती है। इसके अन्दर तो सहल सिंह एड कम्पनी इनवौल्व्ड है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है और जो देवी सिंह इस वक्त सरपंच है वह भी इसका सदस्य है। (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय मैं यह मानता हूं कि वहां काफी एरिया डिस्ट्राय हो चुका है।

Mr. Speaker : Question Hour is ever.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Copying in Examinations

***298. Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make copying in Matric, Ten, plus Two and College examinations as a cognizable offence; if so, the time by which such a proposal is likely to materialized ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): जी हां, मामला विचाराधीन है। विशेष समय बताना कठिन है।

Extension of Shikarpur Minor

***292. Shri Pir Chand :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the sanction to extend the Shikarpur Minor upto burji 4 to irrigate the barren land of Hisar and Mirzapur village has been accorded; and

(b) if so, the time by which the said minor is likely to be completed ?

सिचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा):

(क)हां, जी शिकारपुर माइनर को बुर्जी 14330 से बुर्जी 20500 तक बढाने की मंजूरी दे दी गई थी।

(ख)धन राशि/बजट की व्यवस्था होने के बाद इस माईनर को दो वर्ष के अन्दर अन्दर पूरा किया जा सकता है।

Expenditure incurred on T.A./D.A. etc., in respect of Chairman,

Haryana State Cooperative Supply & Marketing Fed. Ltd.

***316. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state the monthwise total expenditure incurred onaccount of bills of telephone, T.A./D.A. and residential accommodation of the present Chairman of the Haryana State Cooperative Supply & Marketing Federation Ltd. (Hafed) from the date of his appointment todate ?

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): वर्तमान अध्यक्ष (श्री फूसा राम एम० एल० ए०)के सम्बन्ध में टेलीफोन टी० ए० /डी० ए० एवं निवास स्थान के बिलों पर हुए खर्चों का विवरण इस प्रकार है:—

टेलीफोन बिल (कार्यालय)माह	खर्चा (रु० में)
25-7-91 - 25-9-91	7,885
26-9-91 - 25-11-91	6,284
26-11-91 - 25-1-92	8,651
26-1-92 - 25-3-92	11,825
26-3-92 - 23-5-92	12,428
कुल	47,073

टेलीफोन बिल (निवास) माह	खर्चा (रु० में)
20-1-92 (किराया इत्यादि)	1,300
15-12-91 - 14-2-92	2,176
15-2-92 - 15-4-92	9,362
कुल	12,838

टी० ए० / डी० ए०

माह	खर्चा (रु० में)
7/91	700,00
8/91	1000-00
9/91	1000-00
10/91	1000-00
11/91	1000-00
12/91	1000-00
1/92	1000-00
2/92	1000-00
3/92	1000-00
4/92	1000-00
5/92	1000-00
6/92	1000-00
कुल	11700-00

निवास स्थान

माह	खर्चा (रु० में)
1/92	14,780-44

2/92	5,355-73
6/92	5,840-00
कुल	25,976-17

Laying of the sewerage system

***310. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Public Health Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to lay out the sewerage system in the area of Bhiwani City where sewerage system has not been provided so far; if so, thy time by which the said scheme is likely to be implemented ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह): हां भिवानी शहर की बची हुई गलियों में सीवर लगाने के लिए 56.05 लाख रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन पहले ही प्रदान किया हुआ है। इस अनुमोदन के विरुद्ध भिवानी शहर की गलियों में सीवर लगाने का काम जारी है और इसके वर्ष 1993– 94 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है यदि इसके लिये उचित राशि मिलती रहे।

Loss suffered and profit earned by Haryana Roadways Bus Depots

***319. Shrimati Chandravati :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the depot-wise and year-wise profit earned by Haryana Roadways during the period from June, 1987 todate;

(b) the depot-wise and year-wise amount of loss

suffered by Haryana Roadways during the period from April, 1991 todate; and

(c) the officers/officials, if any, held responsible for the loss, as referred to in part (b) above, togetherwith the action taken against them ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह):

(क)तथा (ख)हरियाणा राज्य परिवहन का वर्ष 1989–90, 1990– 91 तथा 199 1– 92 का डिपोवार तथा वर्षवार लाभ/हानि (जोकि अन्तिम तौर पर रिकंसाईल्ड है तथा महा लेखाकार द्वारा आडिट किया जाना है अनुबन्ध में दिया गया है)।

वर्ष 1987–88 तथा 1988–89 के लाभ/हानि के आकड़ों का रिकंसिलियेशन चल रहा है।

(ग)राज्य परिवहन की वाणिज्यक कारगुजारी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे किराये का ढांचा मुख्य कलपुर्जो की लागत, आदोलन, यदि कोई हो, विभिन्न वर्गो के यात्रियों को दी जाने वाली रियायतें और ये सब हरियाणा राज्य परिवहन के नियंत्रण से बाहर हैं। उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो अपने कर्त्तव्यों में कोताही के लिये कसूरवार पाए जाते हैं।

अनुबन्ध

रुपये (लाखों में)

क्रम सं०	डिपो का नाम	1989– 90	1990– 91	1991– 92
1	2	3	4	5
1	अम्बाला	69.67	(-)12.02	68.88
2	चण्डीगढ़	94.55	(-)130.36	(-)114.00
3	करनाल	(-)15.86	(-)50.63	(-)81.61
4.	जींद	0.46	(-)36.75	(-)29.99
5	कैथल	(-)15.49	(-)54.14	(-)49.86
6.	सोनीपत	67.33	76.71	160.42
7	यमुनानगर	70.97	(-)78.62	(-)19.14
8.	कुरुक्षेत्र	(-)0.76	(-)87.21	(-)88.99
9.	गुड़गांव	57.10	(-) 1.21	4.05
10.	रोहतक	(-)57.66	(-)105.97	(-)100.07
11.	हिसार	(-)57.64	(-)184.10	(-)132.35
12.	रिवाड़ी	(-) 6.87	(-)115.20	(-)79.31
13	भिवानी	(-)189.78	(-)296.13	(-)201.43

14	सिरसा	(-)63.15	(-)179.17	(-)54.28
15.	फरीदाबाद	(-)34.70	(-)105.74	(-)25.58
16.	दिल्ली	89.01	89.16	116.39
17	फतेहाबाद	(-)23.44	(-)108.51	(-)8.13
18	दादरी			(-)98.40
	योग	(-)16.26	(-)1379.89	(-)807.40

Buildings of Government Primary Schools

***301. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the buildings of Government Primary Schools No. 1 and 2 of Palwal City have been declared unsafe; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to repair or reconstruct the buildings of the above said schools

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): जी हां, इन दोनों स्कूलों के भवन असुरक्षित स्थिति में हैं। इन भवनों के पुनः निर्माण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन

Recognition of Government Polytechnic Institutes

***320. Chaudhri Verender Singh :** Will the Minister of State for Technical Education be pleased to state—

(a) whether any admission was made in diploma course in Pharmacy in Government Polytechnics namely

Ambala, Jhajjar, Sirsa, Sonepat and Nilokheri during the year 1989-90; and

(b) whether the Institutions, as referred to in part (a) above are recognised by the Pharmacy Council of India, if not, the reasons thereof together with the steps taken or proposed to be tak. n to get the said Institutions recognised ?

तकनीकी शिक्षा राज्य मत्री (प्रो० छत्तरपाल सिंह):

(क)जी हां।

(ख)जी नहीं।

फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया ने इन संस्थाओं का निरीक्षण कर लिया है और अनुमोदन प्रतीक्षित है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Declaration of Jakhal Mandi as Sub-tehsil

43. Shri Pir Chand : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Jakhal Mandi as Sub-tehsil; and

(b) if se, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क)जी नहीं।

(ख)प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Tehsil & Block building at Ratia

44. Shri Pir Chand : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any lard has been acquiied/purchased for the construction of Tehsil and Block building at Ratia; and

(b) if so, the time by which the construction work of the above said building is likely to be started/completed ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क)रतिया में तहसील भवन वो लिये भूमि अर्जित कर ली गई है। ब्लौक भवन के लिये कोई भूमि अर्जित/खरीद नहीं की गई है क्योंकि वहां पहले से ही ब्लौक कार्यालय भवन है।

(ख)तहसील भवन का निर्माण कार्य धन राशि उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

Sewerage system at Ratia

45. Shri Pir Chand : Will the Public Health Minister be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to lay out sewerage system at Ratia; and

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह):

(क)नहीं।

(ख)प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Opening of I.T.I. at Ratia

46. Shri Pir Chand : Will the Minister of State for Industrial Training & Vocational Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Industrial Training Institute (I.T.I.) at Ratia during this financial year ?

औद्योगिक प्रशिक्षण राज्य मंत्री (चौधरी तेजेन्द्र पाल मान): जी नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली शुल्क में की गई अभूतपूर्व बढ़ौतरी सम्बन्धी

11.00 बजे

Mr. Speaker : Hon'ble members, I received a notice of an adjournment motion from Shri Verender Singh, M.L.A. regarding unprecedented hike in electricity tariff by Haryana State Electricity Board in the State, which I have converted and admitted as calling attention motion. Shri Verender Singh,

M.L.A., may read his motion. (Noise)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, आप हाउस को आर्डर में कीजिए।

Mr. Speaker : You may read your motion.

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो ऐडजर्नमैंट मोशन को कालिंग अटैन्शन मोशन में कंवर्ट किया है, इससे इसका सारा परपज ही डिफिट हो गया है। यह ऐडजर्नमैंट मोशन बड़ा ही महत्वपूर्ण हे क्योंकि पावर रेट्स में बहुत हाईक आई है और 40 परसैन्ट तक बिजली के रेटस को०ंचा किया गया है। कालिग अटैन्शन मोशन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? स्पीकर सर, इस पर तो मैं एक या दो सवाल ही पूछ सकता हूं जबकि इस विषय पर पूरी तरह से डिसकशन होनी चाहिये। पावर की स्टेट में आज क्या पोजीशन है, कितने घंटे पावर मिल रही है, कैनाल वाटर कितना मिल रहा है, इन सब विषयों पर डिसकशन ऐडजर्नमैंट मोशन द्वारा ही हो सकती है। स्पीकर सर, केवल इतनी ही बात नहीं है, इस बार स्टेटं में न तो व्हीट की मूवमैंट हो पायी है तथा फार्मर्ज को जो सबसिडी मिलती थी वह भी इन्होंने विदड्रा कर ली है। इस बार फार्मर्ज पर इतनी मार पढ़ी कि इन्होंने उसकी खाद की सबसिडी भी विदड्रा कर ली, व्हीट की मूवमैंट भी नहीं होने दी जिससे उसको अच्छा भाव मिल सकता था। इसके अलावा, फार्मर्ज पर तीसरी मार यह पड़ी कि सरकार द्वारा 40 परसैन्ट बिजली के रेट बढ़ा दिये गये हैं। इसलिए

मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको ऐडजर्नमैंट मोशन ही ऐडमिट करें ताकि पूरा सदन इस पर बोल सके, अपने विचार व्यक्त कर सके। यह ऐसा मामला है जिस पर सारे हरियाणा के फार्मर्ज की किस्मत जुड़ी हुई है। स्पीकर सर, केवल इतना ही नहीं इंडस्ट्रियल रेट्स भी बढ़ाये गये हैं। इंडस्ट्रियल रेट्स पहले भी बढ़ाये गये थे और अब फिर बढ़ा दिये गये हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट भी इस प्रदेश में बिल्कुल रुका पड़ा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूगा कि it may be admitted as an adjournment motion ताकि पूरा सदन इस पर डिसकशन कर सके।

Mr. Speaker : It has been converted into calling attention motion. You may read your motion.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह स्पीकर सर, इससे तो परपज हल नहीं होगा।

Mr. Speaker : It will serve the purpose. There will be discussion on No Confidence Motion also. You can again speak about it on that motion.

Chaudhri Verender Singh : Mr. Speaker, Sir, **I** want to draw the attention of this august House towards a matter of public importance that the recent unprecedented hike in electricity tariff by Haryana State Electricity Board has gravely affected the economy of the farming class and has given a set back to the industrial development. As a result of present hike there is great resentment amongst the people of

Haryana. The matter is of great public importance and urgent. **I,** therefore, request the Government to make a stetement in this regard on the floor of the House.

वक्तव्य––

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now the Chief Minister may make a statement.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य के निरन्तर विकास के लिए बिजली की पर्याप्त माता में आपूर्ति अनिवार्य है। राज्य में बिजली की खपत प्रतिवर्ष 15– 20 प्रतिशत की गति से बढ़ती जा रही है। भविष्य में भी इसकी मांग इतनी या इससे अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में न केवल उद्योग बल्कि भारी माता में कृषि उत्पादन भी बिजली पर ही निर्भर है। इस मांग की आपूर्ति में असफलता राज्य के बहुमुखी विकास के लिए अत्यन्त हानिकारक होगी। बिजली क्षेत्र में यथेष्ट माला में पूंजी–निवेश सुनिश्चित करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1,702 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में से 687 करोड़ रुपये बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर और 848 करोड़ रुपये वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर खर्च किये जाने हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि इन परियोजनाओं के लिए बिजली बोर्ड को वांछित धन राशि उपलब्ध हो।

2. इसके अतिरिक्त, मुद्रा स्फीति के फलस्वरूप, दिन प्रति दिन बिजली उत्पादन का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए भी यह आवश्यक है कि बिजली के निर्धारित शुल्क में समय–समय पर वृद्धि होती रहे अन्यथा बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति में गिरावट आयेगी और विकास योजनाओं में बाधा पहुंचेगी।

3. इन्हीं कारणों के दृष्टिगत बिजली की दरों में समय–समय पर वृद्धि होनी स्वभाविक है। हरियाणा बनने के पश्चात इस प्रकार की वृद्धियां कम से कम 16 बार की गई हैं। और यह वृद्धि चौ० वीरेन्द्र सिंह के समय में भी की गयी थी जब वह ईरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे और जब बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी की गयी थी। गत पांच वर्षों में इस प्रकार की वृद्धियां, 1 दिसम्बर, 1987, 1 सितम्बर, 1988 और पुनः 1 दिसम्बर 1990 को की गई थीं।

4. राष्ट्र भर में बिजली क्षेत्र के आर्थिक अभाव एवं इससे उत्पन्न बिजली की पर्याप्त आपूर्ति पर आने वाले वर्षों में सम्भावित कु–प्रभाव के विषय पर सभी बिजली मन्त्रियों का एक सम्मेलन 4 अप्रैल, 1992 को देहली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सर्व सम्मति से सभी राज्य सरकारों ने यह स्वीकार किया कि बिजली बोर्डों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से उन्हें अपने पूंजी निवेश पर कम से कम 3 प्रतिशत वार्षिक का लाभ जुटाना होगा। वैसे भी बिजली

आपूर्ति अधिनियम 1948 के अन्तर्गत बिजली बोर्ड बाध्य है कि अपनी पूंजी पर हर वर्ष कम से कम 3 प्रतिशत का लाभ कमाए। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया था कि कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली की न्यूनतम दर 50 पैसे प्रति यूनिट से कम न हो।

5. हरियाणा राज्य में बिजली की आपूर्ति की लागत करीब 1 रु० 25 पै० प्रति यूनिट है। इसकी अपेक्षा वर्तमान संशोधित दरों पर भी घरेलू क्षेत्र के उप– भोक्ताओं से प्रथम 40 यूनिट की खपत पर केवल 65 पैसे प्रति यूनिट ही वसूल किया जा रहा है। इस श्रेणी की दरों पर कोई बुद्धि नहीं की गई है। अगले 60 यूनिट की खपत पर पहले 75 पैसे लिया जाता था जिसे 15 पैसे बढा कर अब 90 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है जो दर भी 1 रु० 25 पैसे की लागत के मुकाबले में अब भी काफी रियायती दर है।

6. जहां तक कृषि क्षेत्र का प्रश्न है, 50 पैसे प्रति यूनिट की वर्तमान दर अब भी लागत से काफी कम है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में फलैट रेट पर अदायगी करने की सुविधा है। अधिकतर कृषि उपभोक्ता इस प्रणाली का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली के अनुसार प्रति हार्स पावर की आम दर को 25 रुपये से बढ़ा कर 35 रुपये कर दिया गया है। कृषि दृष्टिकोण से कम उपजाऊ क्षेत्र में जहां पानी स्तर गहरा है अथवा इसकी मात्रा कम है वहां अब भी पहले की तरह अन्य इलाकों के मुकाबले में

रियायती दरें लागू रहेंगी। ऐसे कुछ स्थानों पर गहरे कुओं के लिये मीटर के द्वारा दी जाने वाले सप्लाई की दर अब 21 पैसे से 30 पैसे प्रति यूनिट और फलैट रेट पर 16 रुपये से 22 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति मास कर दी गई है।

7. औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि सामान्य रूप से 10 पैसे प्रति यूनिट की गई है जो कि बढ़ती हुई कीमतों के अनुरूप है।

8. इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होने वाली न्यूनतम मासिक अदायगी (मिनिमम मन्थली चार्जिज)में भी संशोधन किया गया है ताकि यह वर्तमान दरों के अनुरूप हों। इसी प्रकार केवल औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की एडवान्स कन्जम्पशन डिपाजिट की दर में, जो इशु सिक्योरिटी के नाम से जानी जाती थी, भी कुछ वृद्धि की गई है।

9. स्पष्ट है कि बिजली दरों में जो वृद्धियां की गई हैं वे बढ़ती हुई कीमतों के दृष्टिगत तथा बिजली क्षेत्र में पूंजी निवेश को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही की गई हैं। घरेलू क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इसके बावजूद भारी रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध होती रहेगी परन्तु यह भी परम आवश्यक है कि सभी क्षेत्र और विशेष कर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र को भविष्य में भी पर्याप्त माता में बिजली मिलती रहे।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह स्पीकर साहब, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दिसम्बर 1987 और सितम्बर,

1988 में जब रेट्स में बढ़ौतरी की गई, ऐग्री० कलचरल सैक्टर में कितनी सप्लाई थी और अब कितनी सप्लाई है?

चौधरी भजन लाल अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली सप्लाई का ताल्लुक है जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक जितनी बिजली की सप्लाई हमने ऐग्री– कलचरल सैक्टर को की उतनी किसी भी सरकार ने नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त बिजली का रिकार्ड उत्पादन है और जब से हरियाणा बना इतना उत्पादन आज तक्र कभी नहीं हुआ। इस समय 343 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन है और इसमें से 205 लाख यूनिट हम ऐग्रीकलचरल सैक्टर को देते हैं।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बताया है कि हम 343 लाख यूनिट बिजली पैदा करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यमुनानगर, अम्बाला और कुरूक्षेत्र में कृषि के लिए कितनी बिजली सप्लाई की जाती है? अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में केवल दो घंटे बिजली आती है और इन दो घंटों में भी पन्द्रह–पन्द्रह मिनट के लिए बिजली ट्रिप कर जाती है। इस बिजली को किस खाते में वे गिन रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बिजली की हालत बहुत खराब है और रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। रेट बढ़ाने के बावजूद बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है। स्पीकर साहब, आज किसान रेट को नहीं देखता। रेट चाहे बढ़ जाएं लेकिन किसान को बिजली लगातार आठ घंटे मिलनी चाहिए। अगर बोर्ड लगातार घाटे में जा रहा है तो आप

प्राईवेट सैक्टर में बिजली बोर्ड को दे दीजिए जैसे कि बम्बई और कलकत्ता में है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, चौधरी लहरी सिंह की यह बात ठीक है कि पिछले पन्द्रह बीस दिन पहले कुरूक्षेत्र जिले में बिजली की थोड़ी बहुत दिक्कत रही है। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि मशीनरी किसी वक्त भी खराब हो सकती है। पानीपत में तीन यूनिट बैठ गए लेकिन हमारे इंजीनियर्ज ने लगातार काम करके सात दिन में इनको चालू कर दिया। स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र जिले को बी० बी० एम० बी० से बिजली आती है और उस बिजली पर बी० बी० एम० बी० का कन्ट्रोल है। बी० बी० एम० बी० जब बिजली काट देता है तो बिजली की कमी हो जाए है। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद बी० वी० एम० बी० के चेयरमैन से बात की और बात कर के यह फैसल किया कि भविष्य में वे इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम हरियाणा में बिजली का कट नहीं होना चाहिए। कुरूक्षेत्र जिला, अम्बाला और करनाल जिले राइस ग्रोइंग जिले हैं और इनको ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए। लहरी सिंह जी आप महसूस कर रहे होंगे कि कोई पांच छः दिन से बिजली की कोई कमी नहीं है। आज को ई कट बिजली का नहीं है। इंडस्ट्री और खेती के लिए बिजली पूरी अवेलेबल है।

स्पीकर साहब, मुश्किल यह है कि पिछली सरकार ने पिछले पांच सालों में एक भी नई तार नहीं लगाई और न कोई लाईन ठीक की। आज अगर हम बिजली देना भी चाहें तो भी

किसान के ट्यूबवैल को बिजली नहीं पहुंचती। इन्होंने अपने समय में कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनाई और न कोई तार लगाई गई।

श्री अध्यक्षः चौधरी लहरी सिंह के कहने का मतलब यह है कि थर्मल प्लांट की बिजली इनके इलाके में नहीं पहुंच रही है और मैं समझता हूं कि उमरी का बिजली घर बनने से इनके इलाके में बिजली पहुंचेगी।

प्रो० राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि बिजली की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं। इनको किसान की असुविधा की बहुत चिन्ता है। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हिमाचल सरकार ने पन बिजली पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार को कोई औफर दी थी? दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि हरियाणा में जितने भी थर्मल प्लांटस या पावर जनरेटिंग प्लांटस हैं, क्या हरियाणा में कोई सौभाग्यश दिन आया जिस दिन वे सारे चालू रहे हों और क्या किसी प्लांट ने अपनी यूटीलाइजेशन कैपेसिटी के पचास परसैन्ट से०पर बिजली जनरेट की है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी की एक बात बिल्कुल ठीक है। हिमाचल सरकार के साथ नाथपा–झाकड़ी प्रोजैक्ट को लगाने की बात बहुत आगे चली गयी थी। जब मैं मुख्यमन्त्री था उस समय हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध

में बहुत काम किया था लेकिन बाद में ऐं सी सरकार आ गई जिसने यह सारा प्रोजैक्ट ही खत्म कर दिया। अब हमने इस बारे में नये सिरे से हिमाचल सरकार के साथ बातचीत शुरु की है। इस सम्न्बन्ध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री से मेरी बातचीत हुई है और हमारे अधिकारियों की भी अधिकारी स्तर पर बातचीत हुई है लेकिन अभी तक हम किसी फाईनल स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। चूंकि आप, स्पीकर साहब, जानते हैं कि पानी से बिजली बनती है और वह बिजली सस्ती भी पड़ती है। हिमाचल हरियाणा के बिल्कुल पड़ोस में भी है, इससे लाईन लौसिज भी कम होंगे। इसलिये हमारी यह कोशिश होगी कि उनके प्रोजैक्ट के साथ शेयर करके एक बिजली प्रोजैक्ट वहां भी लगाएं। दूसरा इन्होंने यह भी पूछा कि क्या सारे के सारे प्लांट्स चलते रहे थे या नहीं? मैं इनको बताना चाहता हूं कि सारे प्लांट्स चलते रहे हैं। कभी कभी मशीनरी वगैरह खराब हो जाने के कारण से वे बन्द भी होते होंगे, यह स्वाभाविक ही है। जहां तक प्लांट फैक्टर लोड का ताल्लुक है कि कितनी कैपेसिटी में चले, इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उनके नापने का तरीका दूसरा हे। एक तरीका तो यह है कि एक प्लांट 90 परसैन्ट चलता है और दूसरा प्लांट केवल 20 दिन चलकर फिर बन्द हो गया तो इस तरह से ऐवरेज में अन्तर अवश्य पड़ेगा। उस की ऐवरेज बन्द होने के समय को देख कर ही निकाली जा सकती है। एक तरफ यदि हम चलने वाले प्लांट की ऐवरेज को देखें और दूसरी तरफ बन्द होने वाले प्लांट की ऐवरेज को बन्द हुए समय को निकाल कर देखें तो ऐवरेज में अवश्य ही

काफी अन्तर आएगा। उसकी ऐवरेज कुदरती तौर पर कम रहेगी। समय समय पर इन सारी बातों को हमारे अधिकारी रिव्यू करते रहते हैं और देखते रहते हैं। आप भली प्रकार जानते हैं कि इसी वजह से आज हरियाणा के अन्दर बिजली उत्पादन में रिकार्ड तोड़ वृद्धि हुई है। यह एक रिकार्ड की बात है। यह कोई फर्जी बात नहीं है, टरकाऊ बात नहीं है या कागजी बात नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आगे के लिये हमारी यह भरसक कोशिश होगी कि किसानों को बिजली के मामले में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

घोषणाएं

अध्यक्ष द्वारा–

(1)सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairmen :-

1. Chaudhri Phool Chand Mullana.
2. Kanwar Ram Pal Singh.
3. Shri Dhir Pal Singh.
4. Shri Amar Singh Dhanak.

(2)याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble members, **I** nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

1. Shri Sumer Chand Bhatt, Deputy Speaker, Ex-officio Chairman.

2. Shri Phool Chand Mullana.

3. Shri Rajinder Singh Bisla.

4. Shri Amar Singh Dhanak.

5. Shri Jaipal Singh.

(3)सचिव द्वारा की जाने वाली घोषणा को पर एवं मेज पर रखे जाने सम्बंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, as you are aware, the Secretary, Haryana Vidhan Sabha is the Assistant Returning Officer for the Presidential Election which is in progress now. Therefore, the statement showing the Bills, which were passed by the Haryana Legislative Assembly during the Session held in March, 1992, and have since been assented to by the Governor and a copy each of the documents received from the Council of States regarding the ratification of the Constitution (Seventy-sixth Amendment)Bill, 1992, may be taken as read and laid on the Table of the House.

(1) Statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session, held in March, 1992 and have since been assented to by the

Governor.

1. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1992.

2. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1992.

3. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1992.

(2) Documents received from the Council of States regarding the ratifl cation of the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992

(i) Letter dated the 15th May, 1992, received from the Secretary-General, Rajya Sabha, New Delhi;

(ii) The Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992 (English and Hindi versions), as introduced in the Council of States;

(iii) The Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992 (English and Hindi versions), as passed by the Houses of Parliament;

(iv) Lok Sabha Debate on the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992; and

(v) Rajya Sabha Debate on the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992.

मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a notice of No-confidence motion against the Council of Ministers from Sarvshri Sampat Singh, Dhirpal Singh, Satbir

Singh Kadian, Ramesh Kumar, Balwant Singh, Mani Ram Rupawas, Ram Kumar Katwal, Krishan Lal, Amar Singh Dhanday, Jaswinder Singh and Jaipal Singh, M.L.As, which runs as follows—.

"This House expresses its want of confidence in the Council of Ministers headed by Chaudhri Bhajan Lal."

Hon'ble members, I hold the motion in order.

Now, I request those members, who are in favour of leave being granted to move the motion, to please rise in their seats.

(At this stage all the members of Janata Party, Haryana Vikas Party, Janata Dal Party and Bhartiya Janata Party, present in the House, rose in their seats.)

Mr. Speaker : The leave is granted.

Hon'ble members, this motion will be taken up for discussion after the conclusion of the business entered on the order paper today. I fix two hours for its discussion.

प्रो० सम्पत सिंहः दो घंटे का समय तो बहुत कम है।

श्री अध्यक्षः कोई बात नहीं, बाद में बढ़ा देंगे। (विष्य)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): पांच बजे तक वोटे पड़ेगी, आप तब तक बोलते रहना।

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble members, now I report the

time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met on Sunday, the 12th July, 1992 at 4.00 p.m. in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that on Monday, the 13th July, 1992, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on Monday, the 13th July, 1992 be transacted by the sabha as follows :—

1. Obituary references.

2. Questions Hour.

3. Presentation and adoption of the first Report of the Business Advisory Committee.

4. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.

5. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.

6. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.

7. Official Resolution-Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992-Ratification thereof.

8. Legislative Business.

9. Any other business, if any."

Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory. Committee.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved=

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—.

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule 'Sittings of the Assembly, indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of rule 'Sittings of the Assembly, indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to

move—

That Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motiot moved—

That the Assemoly at ito rising this day shall stand

adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assemoly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए /पत्र रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now, the Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to re-lay on the Table-

1. The General Administration Department Notification No. G.S.R. 3/Const./Art. 320/92, dated the 10th January, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) (First Amendment) Regulation, 1992 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

2. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 5/Const./Art. 320/92, dated the 13th January, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), 2nd Amendment Regulations, 1992 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

3. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 6/Const./Art. 320/92, dated the 13th January, 1992 regarding the Haryana

Public Service Commission (Limitation of Functions), 3rd Amendment Regulations, 1992 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

4. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 7/Const./Art. 320/92, dated the 13th January, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), 4th Amendment Regulations, 1992 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

5. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 8/Const./Art. 320/92. dated the 13th January, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), 5th Amerdment Regulations, 1992 as requited urder Article 320(5) of the Constitution of India.

6. The Excise and Taxation Departmert Notification No. G.S.R 77/H.A. 20/73/S. 64/91, dated the 26th December, 1991. regarding the Haryana General Sales Tax (Sixth Amendent) Rules, 1991 at required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I also beg to lay on the Table-

7. The General Administration Department (General Ser vices) Notification No. G.S.R. 28/Conrt./Art. 320/92, dated the 10th April, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Sixth Amendment Regulations, 1992 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

8. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 33/Const./Art. 320/Amd. (9)/92 , dated the 10th June, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Ninth Amendment Regulations, 1992 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

9. The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 1988-89, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

10. The Annual Report and Accounts for the year 1988-89 of the Haryana Dairy Development Corporation Limited as required under Section 619(A)(3) of the Companies Act, 1956.

11. The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1990-91, as required under Section 39(2) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

12. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1991 No. 2 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

सरकारी संकल्प–

संविधान (छिहत्तरवां संशोधन)विधेयक, 1992 के अनुसमर्थन सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move the Resolution regarding ratification of the Constitution (Seventy sixth Amendment) Bill, 1992.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि–

यह सदन भारत के संविधान के उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2)के परन्तुक के खंड (क)की व्याप्ति में आता है तथा संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (छिहत्तरवा संशोधन)विधेयक, 1992 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मत्ति से पास किया जाये। यह रैजोल्यूशन दिल्ली और पांडेचरी को असैम्बली का दर्जा दिए जाने के बारे में है ताकि ये दोनों राज्य बन सकें और वहां पर असैम्बलियों का गठन हो सके। पार्लियामैंट के दोनों सदन इस बिल को पहले ही पास कर चुके हैं। अब

सारी स्टेटस के पास इस रैजोल्यूशन को भेजा गया है क्योंकि किसी भी ऐसी रैटी– फिकेशन के लिए यह जरूरी है कि तमाम स्टेटस की असैम्बलियों में से कम से कम 50 प्रतिशत

असैम्बलियों से यह पास हो। इसलिए इस जरूरी कार्यवाही के लिए ही यह रैटीफिकेशन यहां पर आई है ताकि इस पर आगे की कार्यवाही हो सके। अतः मैं सदन से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत्ति से पास किया जांये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House ratifies the amendment to the Constitutions of India falling within the purview of clause (a) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992, as passed by the Houses of Parliament.

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मैं इस रैटीफिकेशन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदन पहले ही पास कर चुके हैं और किसी बिल की रैटीफिकेशन के लिए जरूरी है कि उस रटीफिकेशन को स्टेटस की असैम्बलियां भी पास करें तभी जा कर उस पर आगे की कार्यवाही हो सकती है। इसके बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि पाडेचेरी में तो असैम्बली का गठन कर लिया गया है लेकिन अभी तक दिल्ली के अन्दर असैम्बली का गठन नहीं किया गया है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि राष्ट्रपति के इलैक्शन से पहले यदि दिल्ली के अन्दर भी स्टेट असैम्बली का गठन कर लिया जाता तो अच्छा होता क्योंकि फिर वहां के जन प्रतिनिधियों के वोट भी राष्ट्रपति के इलैक्शन में पड़ते। दिल्ली के बारे में एक डी–लिमिटेशन कमीशन बैठाया हुआ है। यह

डी–लिमिटेशन कमीशन कब अपनी रिपोर्ट देगा यह किसी को कुछ नहीं पता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जमूहरियत में होना यह चाहिए था कि राष्ट्रपति के चुनाव से पहले ही वहां पर असैम्बली का गठन होना चाहिए था। यदि वहां के लोगों को भी राष्ट्रपति के इलैक्शन में राईट औफ वोट मिल जाता तो बहुत बेहतर होता और जिसको हम वोट देना चाहते हैं उसको और ज्यादा वोट मिलते। खैर, मेरी भी यह राय है कि यह रैटीफिकेशन यूनानीमसली पास होनी चाहिए। चूंकि इसके लिए स्टेट की रैटी–फिकेशन होनी जरूरी है इसलिए इस के पास करने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति सिर्फ यही है कि अब दिल्ली में असैम्बली नही होने के कारण वहां की मैट्रोपोलिटन कौसिल के सारे काम ठप्प पड़े हैं। इस समय वहां पर कोई काम नही हो रहा और असैम्बली के गठन को लटकाया जा रहा है। यदि वहां पर असैम्बली होगी तो सारे काम ठीक ढंग से होंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि वहां पर असैम्बली का गठन करके जल्दी से जल्दी चुनाव करवाये जाएं ताकि वहां पर सुचारू रूप से काम हो सके। अंत में मैं इस रैटीफिकेशन का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, श्री अमर सिंह बहुत काबिल वकील हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रैटीफिकेशन को पूरा नहीं पढ़ा। इस रैटी– फिकेशन में लिखा है कि दिल्ली को भी एक स्टेट असैम्बली का दर्जा दिए जाने के लिए

ही यह रैटीफिकेशन यहां पर आई है। दिल्ली में कब इलैक्शन होंगे या नहीं होंगे इसमें हमारी स्टेट का कोई दखल नहीं है। इसमें केन्द्र सरकार ने ही सब कुछ करना है और हमारा कोई दखल नहीं है।

श्री अमर सिंहः मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर असैम्बली न होने के कारण कोई काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। अगर असैम्बली का जल्दी से जल्दी गठन हो जाता है तो वहां पर सारे काम सुचारू रूप से चल सकेंगे।

चौधरी भजन लालः ठीक है।

Mr. Speaker : Question is—

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (a) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992, as passed by the Houses of Parliament.

The motion was carried

बिल—

दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now, the. Cooperation Minister will introduce the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill, 1992 and also move the motion for its consideration.

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन)विधेयक, 1992 प्रस्तुत करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि–

दि हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन)विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by

clause

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—.

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill. The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—.

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Cooperation Minister will move that the Bill be passed.

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं

कि बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

साथी लहरी सिंह (रादौर अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, इस बिल में शूगर मिल्ज की गन्ना खरीदने की जो वर्किंग है उसके बारे में संशोधन करने का प्रस्ताव है। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों का गन्ना, जब तक खेतों में खड़ा है तब तक मिल चलाए जाने चाहिएं। (विघ्न) स्पीकर सहिब, जो लिमिट 50 हजार की बजाय 5 लाख की गई है यह वास्तव में बिल्कुल ठीक है। अब की बार जो मिलों ने हाल किया है वह बहुत ही खराब है और उसने जमीदारों का गन्ना नही खरीदा और उसको आग लगाई गई। गन्ने को लक्कड़ के भाव पर भी नही खरीदा गया। जो लिमिट हम बढ़ा रहे हैं यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका फायदा जमींदार को होगा। स्पीकर साहब, किसान सारा साल खून–पसीना एक करके गन्नों पैदा करता है लेकिन इस साल लास्ट में जो हालत गन्ने की हुई है वह नहीं होनी चाहिए। वर्कर्ज ने जमींदारों को लूट कर खा लिया। मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करूंगा कि सरकार इस और ध्यान दे। फील्ड में जो गन्ना बोया जाता है उसकी एक–एक पोरी की कीमत किसान को मिलनी चाहिए इसके लिए चाहे इन्श्योरैस ही क्यों न करानी पड़े। स्पीकर साहब, जो 50 हजार से 5 लाख तक की लिमिट बढाने का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं तथा आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): स्पीकर साहब, कोआप्रेशन मिनिस्टर जी ने जो यह अमैंडमैंट रखी है, मैं इस पर

बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सहकारिता का मतलब है कि मिल–जुल कर काम करना और एक दूसरे में भाई चारे की भावना पैदा करना कोआप्रेटिव ऐक्ट के बारे में ऐडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्टिव व्यूज हैं और अधिकारियों ने उसके०पर पूरा कब्जा किया हुआ है। जितनी भी शूगर मिल्ज हैं उनका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार डिप्टी – कमिश्नर 3–3 मिलों के भी चेयरमैन होते हैं। इसलिए इस ऐक्ट में यह अमैन्डमैंट भी की जानी चाहिए थी कि चुने हुए प्रतिनिधि जो बोर्ड आफ डावरेक्टर्ज है उनमें से चेयरमैन हो ताकि वह मिल को सुचारू रूप से चला सके। और सभी किसानों का तथा सभी उपभोक्ताओं का लाभ हो। प्रदेश का हित भी इसमें सुरक्षित है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों करनाल में सहकारी बैक में इलैक्शन डिक्लेयर हो गए थे लेकिन इन्होंने इलैक्शन की जगह नोमिनेशन कर दिया। इलैक्शन के सिर्फ दो दिन पहले 21 तारीख की इन्टरव्यू पोस्टपोन करके 23 तारीख को इन्टरव्यू लेकर 100 लड़के करनाल सहकारी बैक में लगाए गए। जो लड़के जहां लगाए गए वे मंत्रियों के और मुख्य मली के थे क्योंकि इलैक्शन के द्वारा इनके प्रतिनिधियों के आने की कम संभावना थी। इनको सिर्फ यही डर था। हमारे माननीय सदस्य तजेन्द्र पाल और नलवा साहब भी यहां बैठे हैं ये भी उनके विरोधी थे। परन्तु सरकार ने किस मन– माने तरीके से इस कोआप्रेटिव ऐक्ट का हनन किया इसकी तस्वीर बहन जी के सामने भी जीती जागती है। कोआप्रेटिव के जितने भी चेयरमैन हैं उनको यह अधिकार हो कि वे मैनेजिंग डायेरेक्टर की

सी० आर० लिख सके, अपनी ही कलम से कुछ कर सके। ऐसी अमैन्डमैंट लाने की जरूरत थी। अमैन्डमैंट तो यह भी ठीक है और हम इसका पब्लिक इन्टैरस्ट में समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहने के लिए खड़ा हुआ था। धन्यवाद।

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): अध्यक्ष महोदय हम यह जो अमैन्डमैंट लाए हैं इसका इन्हें खुशी से समर्थन करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जो अनियमितताएं हैं और इन्होंने जो कुछ भी पहले की बात कही हैं, उसके बारे में अर्ज है कि भाई धीरपाल जी भी मेरे साथ बंगलौर अधिवेशन में थे। जिस मौडल ऐक्ट की तरफ इनका इशारा है उसी को मददे नजर रखते हुए हमने 50 हजार से 5 लाख की लिमिट को बढ़ाया है और यही सहकारिता में किसानों को गवर्नमैंट का सबसे सहयोग होगा, मैं ऐसा मानती हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले 1984 में यह अमैन्ड– मैट हुआ था, इसलिए हमने यह आवश्यकता समझी नैश कि बहुत दिन हो गए हैं इसमें फिर अमैन्डमैंट होनी चाहिए। उस समय गन्ना भी बहुत कम था, किसान की पैदावार भी कम थी और वे इतनों इन्टैरस्ट भी नहीं रखते थे लेकिन आज हरियाणा का हर व्यक्ति यह सोचता है कि उसका सरकार के हर हिस्से में सहयोग होना चाहिए। सहकारिता का भाग होने के नाते हम यह भी समझते हैं कि जनता का और सरकार का आपसी ताल–मेल होना भी जरूरी है। इन सभी बातों को देखते हुए हम ऐक्ट में यह अमैन्डमैंट लाए हैं। मैं समझती हूं कि जिस भाग की तरफ भाई

कादयान ने इशारा किया है वह कोई अनियमितता नहीं है। मैं तो यह कह सकती हूं कि जो सिलेक्शन हुआ वह ठीक हुआ क्योंकि उसी समय जो अधिकारी थे वही इन्ट्रव्यू ले रहे थे और उन्हीं के माध्यम से वहां लडके लगे हैं।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायन्ट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इलैक्शन की प्रतिक्रिया को रोककर सिलेक्शन किया गया और इलैक्शन बाद में हुआ। जब इलैक्शन हो रहा था तो इलैक्शन होना चाहिए था। यह तो एक किस्म का तमाशा हो गया है।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय यह तो इनकी सोच है। अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद जानते हैं और आपका तो इससे ताल्लुक भी रहा है। इलैक्शन और सिलेक्शन के बीच में चार महीने की अवधि थी। इसलिए में अनुरोध करूंगी कि सबको इस बिल का समर्थन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह भी बड़ी खुशी की बात है कि सारे भारत वर्ष में हमारे हरियाणा की शूगर मिलें फर्स्ट, सैकिन्ड और थर्ड आई हैं और हरियाणा का नाम०ंचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो भी अच्छा कार्य हो गया उसमें ये अपना श्रेय कहते रहेंगे। यह तो सब जानते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया है। इसलिए तो हमें जनता ने स्वीकार किया है और आज ये विपक्ष में बैठे हैं। मैं चूंकि ऐसी बातें कहने की आदि नहीं हूं इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करती हूं कि इस बिल को सम्मान जनक ढंग से पास कर दें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

मंत्रि–परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

Mr. Speaker : Now, Shri Sampat Singh may please move his motion of No-Confidence against the Ministry.

Prof Sampat Singh : Sir, I beg to move—

That this House expresser its want of confidence in the Council of Ministers headed by Chaudhri Bhajan Lal.

1.46 बजे

Mr. Speaker : Motion moved—.

That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers headed by Chaudhri Bhajan Lal.

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कला): स्पीकर सर, आपने जो यह नो काफिडैस मोशन ऐडिमिट किया है इसके लिए आपका बहुत–बहत धन्यवाद। स्पीकर सर, वैसे तो इस सरकार में हमारा कभी पहले भी विश्वास नहीं रहा है और चुनाव में भी जब ये लोग जीतकर आये थे। उस समय भी कोई पब्लिक के विश्वास की बात नहीं थी। वह तो कहीं महामहिम की कृपा हो गयी और कहीं सिम्बल की कृपा हो गयी जिसकी वजह से ये लोग चुनाव जीतकर आ गये। जहां तक आज के मुख्यमंत्री का सवाल है, इस बारे में

अर्ज है कि चुनाव के समय पार्टी अपने नेता का नाम लेकर, पार्टी के सिद्धांतों को नाम लेकर लोगों से वोट मांगती है लेकिन स्पीकर सर, आपको भी यह मालूम है कि चुनाव के समय जब वोट मांगे जा रहे थे तो कहीं पर भी श्री भजन लाल का नाम नहीं लिया गया क्योंकि इनकी पार्टी को पता था कि अगर कहीं पर भी इनका जिक्र किया गया तो पार्टी को वोट नही मिलेंगे। लेकिन आज आपके सामने जैसी हालत है उसको देखकर लोग ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं हैं कि कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, कैसी सरकार बना दी। आज इनकी सरकार को एक साल से भी ज्यादा समय हो गया और इस एक साल में जो कुछ इन्होंने किया है, जो कुछ इनकी उपलब्धि हुई है वह सब हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं। इन लोगों ने जो उपलब्धि की है अगर उसका लेखा जोधा किया जाये, आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा करके बैलेंस शीट तैयार की जाये तो कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। इनके क्रेडिट में जो बातें आती हैं वे हैं प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, रोज के मर्डर, रोज की मिलीटैन्ट ऐक्टीविटीज और पोलिटिकल लोगों को तंग करके उन पर झूठे मुकदमें बनाना। एस० वाई० एल० और टैरिटरी के मामले में तो सरकार ने हरियाणा के हित को बेच कर ही रख दिया है। हरियाणा के लोगों पर रोज अत्याचार हो रहे है तो ये सब बातें ही इनके क्रैडिट में बची हैं। आज कोई भी नया प्रोजैक्ट इस प्रदेश में नहीं आ रहा है। स्पीकर साहब, कैसे लोग इनकी सरकार में विश्वास करें? आज यह जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसी तरह से इनकी सरकार

के विधायक एवं मन्त्री सारे के सारे मजबूरी में ही इनके साथ बैठे हुए हैं। ये सब लोगों का विश्वास खो चुके हैं। इनके मस्ती पब्लिक में अनाउन्स करते हैं कि प्रदेश में आज जो माहौल है हम उसको बदल कर रहेंगे, इनके सब विधायक इनकी आलोचना करते हैं सरकार के मन्त्री इनकी आलोचना करते हैं। स्पीकर सर, इस का सीधा सा मतलब क्या है? या तो इनकी कोई मजबूरी है कि ये उन लोगों को अपनी सरकार से निकाल नही पा रहे हैं या वे लोग जो इनकी आलोचना करते हैं और आज यहां इनके साथ बैठे हुए हैं वे बाहर से कुछ और भाषण देते हैं और अन्दर से इनसे मिले हुए हैं? मैं तो उन लोगों से यह कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने अपनी असलियत बतायें। बार बार मीटिंगों में जाकर जब ये इनके खिलाफ बातें करते हैं तो आज जब अपोजीशन के लोग एक मत से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं तो उन्हे उसका समर्थन करना चाहिए। मैं तो यी कहूंगा कि जो लोग बाहर मीटिंग करते हैं, उन मीटिंगों से बात बनने वाली नहीं है। केवल मात मीटिंग्ज करके कानफैसिज करके या केवल जलसे करके आप इस सरकार को या इस मुख्य मन्त्री को नही बदल सकते। अगर आप लोगों में कुछ हिम्मत है, अगर थोड़ी –बहुत भी आप लोगों में गैरत है तो आपको हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये। उन रेलियो की बजाये अगर आप यहां पर समर्थन करेंगे तो आपकी मन्शा भी पूरी होगी और हरियाणा के लोगों की मन्शा भी पूरी होगी। अगर आप इस प्रस्ताव को समर्थन नही करते है तो आप खुद ही अन्दाजा लगायें, लोग

आपके बारे में क्या सोचेंगे? वे यह 'सोचेंगे कि उनको केवल बेवकूफ बनाने के लिये यह सारे का सारा तमाशा किया जा रही है। हरियाणा प्रदेश के इन्ट्रैस्ट्स को बेचकर ऐसो कन्ट्रोवर्शियल बातें करके लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश को जा रही है। इसके अलावा और कुछ नही है। इसलिये स्पीकर साहब, मैं इनसे यह कहना चाहता हु कि लौग ज्यादा देर तक बेवकूफ नही बनाये जा सको। स्पीकर साहब, अगर मैं एक एक बात का जिक्र करु तो आपको पता चलेगा कि लोगों का इन्होंने कान्फीडैंस खो दिया है। सबसे पहली बात यह है कि जहां तक एस० वाई० एल० की नहर की बात है, खुद मुख्य मन्त्री महोदय ने बनते ही यहां पर विधान सभा में एक बहुत बडा दावा किया था। पब्लिक मीटिंग में भी उन्होंने यह दावा किया था कि बौर्डर रोड आर्गेनाईजेशन के काम करने के आर्डर हो रुके हैं। ये आर्डर तो 28 फरवरी, 1991 को हो चुके थे। इस सरकार के आने से पहले हो चुके थे यह उस वक्त आर्डर हुए थे जिस वक्त चन्द्र शेखर जी प्रधान मन्त्री थे। लेकिन तब से आज तक जब से इनकी सरकार आयी है, एक ईच भी काम नहीं हुआ है। एस० वाई० एल० का काम जहां पर हमारी सरकार छोड़ कर गयी थी, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इन लोगों ने एस० वाई० एल० की नहर को बनाने का जरा सा भी काम नहीं किया है। नहर बनाने की बात तो दूर की बात है। पानी आने की बात तो बहुत दूर की बात है। इन्हेंने तो नये– नये मुद्दे नये–नये इशूज खोल दिये हैं। जब से पंजाब में सरदार बेअन्त सिंह की सरकार आयी है, यह उनकी बड़ाई करते हुए थकते नहीं हैं। चौबीसों घंटे

उनकी बड़ाई करते रहते हैं। उनकी बड़ाई करते हुए थकते नहीं हैं। पता नहीं न जाने कौन सी आपस में बैठकर जलेबी खा ली, आपस में बैठकर पता नहीं क्या कर लिया। इन्होंने ऐसा लगता है कि आपस में मिल कर कोई न कोई साजिश रची है, ऐसी सोजिश रची है ताकि हरियाणा के इन्ट्रैस्ट को बेचा जा सके, वरना यह कैसे कहें कि वे बड़े अच्छे आदमी हैं, फ्रीडम फाईटर हैं और हमें बहुत पसन्द हैं। हम मिल बैठकर आपस में बात कर लेंगे। स्पीकर साहब वे बार बार कह रहे हैं, अभी रीसैटली उनका ब्यान आया था कि जब तक थीन डैम नही बनेगा तब तक पानी का शेयर डिसाईड नहीं होगा। थीन डैम बनने के बाद पानी का शेयर डिसाईड होगा। उसके बाद एस० वाई० एल० नहर की बात हम करेंगे। इसका मतलब क्या लगाया जाये? इसका क्या मतलब है? इन्होंने पिंडारा बौक्स दोबारा से खोल दिया है। बार बार जो कमीशन्ज और ट्रिब्यूनलज बैठे हैं, उन्होंने बार बार फैसला किया है। फैसले हो चुके हैं। आज हम फिर क्या 15 साल पहले की स्टेज पर जाना चाहते हैं? इस तरह की बातों को लेकर हरियाणा प्रदेश के लोग बहुत चिन्तित हैं। वे महसूस करते हैं कि एस० वाई० एल० नहर बनने की बात तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म करवा दी है। आज बार बार उनका ब्यान आ रहा है। क्यों यह सैटल्ड इशूज को री–ओपन करवा रहे हैं। अकेली एस० वाई० एल० कैनाल ही नहीं, यमुना कैनाल की बात भी हो रही है। जैसे हमारी लाईफ लाईन एस० वाई० एल० है, उसी तरह से हमारे यहां दो सिस्टम एक भाखड़ा सिस्टम और दूसरा यमुना सिस्टम से पानी

मिलता है। एक यमुना वाटर्ज का 1954 का एग्रीमैट था। उसके मुताबिक 273 शेयर हमारा था और 13 शेयर यू० पी० का था। उस शेयर की बात के बारे में जो ऐग्रीमैंट था उसको भी तोड़ मारा। इन्होंने यह बात कही थी कि हम 3 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में एस०वाई० एल० नहर का पानी लायेगे लेकिन स्पीकर साहब, यमुना वाटर के इशू को दोबारा खुलवा दिया। 1981 में यही श्रीमान मुख्यमन्त्री थे 1980–81 के यमुना इशू से राजस्थान को जुड़वा दिया, हिमाचल प्रदेश को जुडवा दिया और दिल्ली को साथ जुड़वा दिया। राजस्थान तो यह कहता है कि हमें डैजर्ट के लिये पानी चाहिये और हिमाचल प्रदेश कहता है कि हम ताजेवाला के०पर पानी लिपट करेंगे। इसी तरह से दिल्ली यह कहता है कि हमें तो पीने के लिये पानी चाहिये। शेयर किसका जायेगा यह तो स्पष्ट हुई है। हरियाणा का शेयर जायेगा। 1980–81 में एक कमेटी इसके लिये बनायी गयी थी जिसके चेयरमैन सैंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन थे। यह काम उसको सौंपा गया था। जो प्रोजैक्ट आलरैडी बन चुके हैं, यू० पी० में और हरियाणा में, उनको तो पानी मिलेगा लेकिन इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तीन स्टेट्स और जुडवा दीं। बाद में अगर पानी कुछ बचता है तभी डिसाईड किया जायेगा कि कितना शेयर किसको दिया जायेगा। सैट्रल वाटर कमीशन ने तय करना था कि हरियाणा व यू० पी० अपने तैयारशुद्धा नहरों– खालों के इन्फरास्ट्रक्चरज से कितना कितना यमुना का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दो राज्यों के पानी के प्रयोग के बाद पानी

सरप्लस बचता है तो इन बाकी राज्यों को भी हिस्सा दिया जायेगा। स्पीकर साहब, ये पानी का शेयर सैन्ट्रल वाटर कमीशन से तय करवायेंगे। स्पीकर साहब, सैन्ट्रल वाटर कमीशन दिल्ली का है दिल्ली भी एक पार्टी है और वह दिल्ली का इन्ट्रैस्ट सेव करेगा न कि हरियाणा का चाहे दिल्ली स्टेट अब बनेगी लेकिन इंट्रैस्ट तो वह कमीशन दिल्ली का सेव करेगा। यह कमीशन तो हमें पानी कम ही देगा। स्पीकर साहब, कितने अफसोस की बात है कि इसके साथ तीन और स्टेट्स जोड़ दी गई। आज कहा जा रहा है कि बेअन्त सिंह बहुत अच्छा आदमी है। स्पीकर साहब, बेअन्त सिंह कह रहा है कि यमुना में भी हमारा शेयर है। एस० वाई० एल० का बनना तो दूर की बात है वह तो कहता है कि हमारा शेयर तो यमुना के पानी में भी है। वह कह रहा है कि यमुना के पानी में हमारा शेयर दो। स्पीकर साहब, यह सरकार हरियाणा का इंट्रैस्ट बचाने में नाकामयाब रही है। इसलिये इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। स्पीकर साहब, जहां तक टैरिटरी का सवाल है, हम टैरिटरी के बारे में इनके कौन से बयान पर यकीन करें। कभी ये कहते हैं कि मैं पांच गांव पंजाब को दे दूंगा। कभी कहते हैं कि मैं एक इंच भी जमीन नही दूंगा। कमी कहते हैं कि पंजाब के मिलिटैट्स अगर मिलिटैसी खत्म कर दें तो मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। स्पीकर साहब, पंजाब के मिलिटैट्स न कोई इलाका मांग रहे हैं और न कोई जमीन मांग रहे हैं। वे जो कुछ मांग रहे हैं सब को पता है। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री पहले ही उनको जमीन की औफर दे रहे हैं। स्पीकर साहब, उनके तो कुछ और ही

इरादे हैं। इसलिये स्पीकर साहब, हम इनके कौन से बयान का यकीन करें ? यह तो रोजाना अपने बयान बदलते रहे हैं।

स्पीकर साहब, हरियाणा एक ऐग्रीकलचरल स्टेट है और यहां पर बिजली और वाटर की दोनो फैसीलिटीज ठीक रहनी चाहिये। अगर दोनों चीजें ठीक रहती है तो स्टेट की तरक्की होगी ओर अगर ये दोनों चीजें ठीक नहीं होगी तो हरियाणा की तरक्की नहीं ही सकती। जहां तक इरिगेशन का सवाल है मैंने अभी एस० वाई एल० और यमुना के पानी के बारे में जिक्र किया और टोटल इरीगेशन का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक साल के अन्दर टोटल इरीगेशन का भट्ठा बिठा दिया है। अगर मैं सारी बातें बयान करूं तो हाउस की आंखे खुल जाएंगी। मैं तो कहता हूं कि ये अब भी ठीक कर लें तो भी स्टेट का भला हो सकता है। देर आयद दरुस्त आयद। इन्होंने इ० आई० सी० ऐसे ऑदमी को लगाया हुआ है जिसने कोई काम इरिगेशन की तरक्की के लिये नहीं किया। वह तो मैनिनिकल साईड का आदमी है। उसने इरिगेशन का भट्ठा ही बिठा दिया। इरिगेशन के क्षेत्र में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। इरिगेशन की कुछ स्कीम्ज के लिये वर्ल्ड बैक से पैसा आता है। वर्ल्ड बैक फेज– 2, 31 मार्च 1992 को खत्म हो गया है लेकिन इरीगेशन का सारा काम नौसिखियों के हाथ में दे दिया और कंस्ट्रक्शन का कोई काम नही हुअ।– पता नहीं उस आदमी को रखने में इनका क्या इंट्रैस्ट है? स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी कंस्ट्रक्शन

का काम था, जितना लाइनिंग का काम था और नए प्रोजेक्टस का काम था उसके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा आना था लेकिन फेज थी ऐप्रूव न होने के कारण सारा सिस्टम फेल हो गया। स्पीकर साहब, इस सरकार ने एम० आई० टो० सी० का 19.22 करोड़ रुपए का बजट रखा है और उसमें प्रोवीजन रखा है कि दस करोड़ रुपया स्टेट बजट से मिलेगा और वर्ल्ड बैक से 9.22 करोड फेज थी में मिलेगा लेकिन फेज थी मन्जूर नही हुआ। स्पीकर साहब, ऐस्टैबलिशमैंट पर दस करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फेज थी ऐप्रूव न होने के कारण दस करोड़ रुपया ऐस्टेबलिशमैट पर तो खर्च हो जाएगा लेकिन वर्ल्ड बैक से जो 9.22 करोड़ रुपया आना था वह नही आएगा। इसलिये वर्कस पर खर्च करने के लिये इसके पास कोई पैसा नही है। स्पीकर साहब, इससे बड़ी कोताही और क्या हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त की उन्नति इरिगेशन पर निर्भर करती है। प्रदेश की एक एक इंच भूमि आज प्यासी है।

12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से फलड कन्ट्रोल के लिये पौने नो करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें से 8 करोड़ 74 लाख 60 हजार रुपया ऐस्टैबलिशमैंट पर खर्च होगा और केवल चालीस हजार रुपया वर्कस के लिये रखा गया है। स्पीकर साहब, यह सरकार कहती है कि हम हरियाणा का इंट्रैस्ट सेव कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आज हरियाणा के अन्दर सारे का सारा काम बन्द

पड़ा है। स्पीकर सर, आज इस तरह के हालात इस सरकार ने पैदा कर रखे है कि कही पर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग पानी न मिलने के कारण से दुखी हैं, परेशान हैं अध्यक्ष महोदय, मैं 23 तारीख को इनके हल्के आदमपुर में खुद गया था और जब हम हिसार के अन्दर इनकी करतूतों का खुलासा बताने के लिये रैली कर रहे थे तो इनके हल्के के लोग हमें मिले और कहने लगे कि हम इस सरकार के कारनामों से बेहद दुखी हैं। कम से कम अध्यक्ष महोदय, इनको अपने आदमपुर हल्के के बारे में तो सोचना चाहिये था। केवल अपने रिश्तेदारों के सेफगार्ड के लिये, एक बाल सम्बन्ध सब ब्रांच है, जोकि इनके हल्के में जाती है। उस ब्रांच का कट किया गया। इनकी डिसटिलरी का गन्दा पानी जोकि वहां पर जमा रहता है, जिसके कारण से उस इलाके के लोग बेहद दुखी रहते हैं, वह गन्दा पानी नहर कट के पानी में मिलकर डाईल्यूट हो जाए और दूर दूर तक खेतों में फैल जाए। उस ब्रांच के कट करने के कारण एक हफते तक लोगों को पानी नहीं मिला। साथ में सात रोड गांव पड़ता है। हुआ क्या कि लोगों ने उस पानी को पुलिया क्रौस नहीं करने दी क्योंकि उस इलाके के लोगों को उस पानी से नुक्सान हो रहा था। अब उस पानी को निकालने के लिये इरीगेशन के पम्प ऐकटिव हो गये हैं। स्पीकर सर, इस हाउस की एक कमेटी इस काम की जांच के लिये बनाई जानी चाहिये ताकि वह कमेटी देख सके कि आज वे पम्प केवल उस नहर का पानी निकालने में ही लगे हुए हैं या इनकी डिसटिलरी का गन्दा– पानी पम्प आउट हो रहा है। देखने की बोत तो यह है कि एक तरफ

तो सरकार के पास फलड कन्ट्रोल के लिये पैसा नहीं है दूसरी तरफ पता नही सरकार कहां से पैसा लाकर इन पम्पों का दुरुपयोग कर रही है? इस तरह से इनका इरीगेशन का सारा सिस्टम पैरालाईज हो चुका है। इसी तरह से पावर का भी बुरा हाल है। लोगों को एक एक हफ्ता बिजली नहीं मिलती है जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं और दूसरी तरफ बरसात न होने के कारण पैडी का सारे का सारा इलाका सूखा पड़ा है। लोगों को दोनों तरफ से मार पड़ रही है लेकिन ये सरकार किसानों की बहबूदी के लिये कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। अगर आज ये सरकार किसानों को बिजली ठीक मात्रा में सप्लाई करे तो बाकायदा खेती करवाई जा सकती है। स्पीकर सर, 1987– 88 में जब ड्राउट था, चौधरी देवीलाल जी का राज था उस समय में हमारी पापुलर सरकार ने लोगों को बाकायदा बिजली की सप्लाई जारी रखी और खेती करवायी। लोग कहते थे कि ताऊ गया तो साथ में बिजली भी गयी। बिजली गई तो साथ में पानी भी गया। हर गांव गांव में यह चर्चा है।

इसी तरह से इनके वाटर वर्कस का हाल है। वाटर वर्कस को बिजली न होने की वजह से पानी नहीं मिल रहा है। जोहड़ों में पानी नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम घर घर में पानी दे रहे हैं लेकिन बिजली न होने की वजह से आज लोगों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। लोग परेशान हैं। इस तरह की वेग स्टेटमैंट इस सरकार को देनी नहीं चाहिये। कम से कम

इनको कलीयर कट स्टेटमैंट के साथ आना चाहिये। इस तरह से गल्त आश्वासन लोगों को देने से काम नहीं चलेगा। साथ में इन्होंने कह दिया कि इनके समय में लाईनें नहीं लगीं इनके टाईम में ट्रांसफार्मज नहीं लगे थे। कोई ट्रांसफार्मर्ज बदले रही गये थे। सारे के सारे पड़े थे। अगर इनकी यह स्टेटमैंट सही थी तो हमने इनके आने से पहले लोगों को बिजली की सप्लाई कैसे की थी? अगर हमारे वक्त में लोगों को बिजली की सप्लाई मुतवातर नहीं मिलती थी तो लोगों के ट्रांसफार्मर्ज कैसे जलते थे समय पर जले ट्रांसफार्मर्ज न बदलते तो बिजली कैसे मिलती थी। खेती कैसे होती थी? समझ नहीं आ रही कि आज बिजली कहां चली गई? इनको कलीयर कट स्टेटमैंट के साथ आना चाहिये था कि उस सरकार के वक्त में पर–इयर कितने ट्रांसफार्मर्ज बदले गये, कितने सब स्टेशन ईयर वाईज बनाये गये थे। केवल यही कहने से बात नहीं बनेगी कि उस सरकार ने लोगों की भलाई के लिये कुछ नहीं किया था। इस तरह को बातें करके यहां पर टाला नहीं जा सकता। थर्मल प्लाटस की जो हालत है, वह देखने योग्य है। थर्मल प्लाटस भी आज सभी बन्द पड़े हैं। महीना महीना बन्द रहते हैं। थर्मल प्लांटस में जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है है उसमें आग लगी हुई है लेकिन इनके पास फायर फाइटिंग सिस्टम का कोई प्रबन्ध नही है। एक साल हो गया है, अभी तक आग लगी हुई है। बुझ नहीं पा रही है। इस का मतलब यह हुआ स्पीकर सर, आग कोयले में नहीं लगी हुई, आग हरियाणा प्रदेश के लोगों के अन्दर लगी हुई है। दूसरी बात, स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता'

हू कि कोयले का जिस ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी बड़ा चिन्ता का विषय है। जहां कोयले की दो हजार पर टन के हिसाब से प्राईस है वहा उस प्राईम को अब निगलैक्ट करके 518 रुपये पर टन के हिसाब से वहां से कोयला निकाल। जा रहा है। इससे ज्यादा गड–बड़ और क्या हो सकती है? एक तरफ तो थर्मल प्लांट बदबू मार रहा है, उसकी मशीनरी का बुरा हाल हो रहा बै और दूसरी तरफ सारे का मारा माल बुरी तरह से लूटा जा रहा है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा पा है। इन हालात के अन्दर ये लोगों को बिजली क्या देंगे? एक तरफ तो बिजली की सप्लाई दे नहीं रहे और दूसरी तरफ टैरिफ की मार भी०पर से मार रहे हैं। केवल 21 से 30 रुपये करने को दांत नहीं है परन्तु इन्होंने तो लगभग 45 परसैन्ट के करीब टैरिफ में इंक्रीज किया है ओर किसके कहने से किया है? दिल्ली में प्राईम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी उसमें सभी स्टेट्स के बिजली बोर्ड के चेयरमैनों और चीफ मिनिस्टर्ज को कहा गया कि आप पावर टैरिफ बढ़ाए क्योंकि इसमें घाटा चल रहा है। स्पीकर साहब, किसी भो स्टेट ने नहीं मीना या फिर ये बता दें अगर किसी स्टेट ने माना हो। केवल हरियाणा प्रदेश इस बात को अगुवाई करता है। जितने भूडे और बुरे काम हैं वे सारे के सारे उनकी चापलूसी करने के लिए और उनको सलाम करने के लिए ये करते हैं। किसान पर 45 प्रतिशत का बोझ डाल दिया, डोमैस्टिक कंज्यूमर दर 40 प्रतिशत बोझ डाल दिया और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पर 10 प्रतिशत का बोझ डाल दिया।

स्पीकर साहब, यह सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है। स्पीकर साहब, इन्होंने वाटर वर्कस का जिक्र किया था कि हमने हर गांव में वाटर वर्कस बना दिए। निर्मल सिंह जो अमी नए नए आए हैं, जो करतूत आपका पहला मन्त्री कर गया उसको समझने में आपको बहुत देर लगेगी। स्पीकर साहब, 1990 में 1,058 गाव बचे थे ओर हमने टारयोट बनाया था कि दिसम्बर, 199० तक इन सारे गांवों को पानी मिन जाएगा। स्पीकर साहब, मार्च, 1991 तक 1,058 गांवों में से 705 गांवों को पानी दिया जा चुका था और जो 353 गांव बचे थे उन गांवों को टारगेट पूरा करने के लिए इस सरकार ने पानी दिया। स्पीकर साहब, आप इन्क्वायरी करवा ले 353 में से 50 प्रतिशत से फालतू गांवों में एक तो नल्का लगवा दिया केवल मात आकड़े पूरे करने के लिए। स्पीकर साहब, आप जानते है कि बड़ा गांव होता है और उसका सर्कुलर रास्ता जो होतो है उस पर अगर जगह–जगह आप टैप्स लगाएंगे तब जाकर बात बनेगी लेकिन इन्होंने सिर्फ टारगेट के लिए काम कर दिया। यही हालत आज ऐजूकेशन की है। सदन में बहिन शांन्ति राठी और मुख्य मन्त्री जी बैठे है। स्पीकर साहब, आज हर आदमी जानता है कि प्रदेश में ऐजूकेशन के क्या हालात हैं? जो आलम हरियाणा प्रदेश के अन्दर नकल का हुआ, जिस प्रकार से पेपर लीक किए गए, अनसर शीटस बाहर भेजी गई वह आपको पता है। स्पीकर साहब, सारे के सारे सैटर औकशन हुए और उनके ठेके छूट गए कि सुप्रिन्टैडैट को बोस हजार रुपए इकट्ठे करके दो या पचास हजार रुपए इकट्ठे करके दो। स्पीकर साहब, कई जगह

केसिज रजिस्टर हुए। लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन ने कई जगह काम किया, केसिज किए, लोगों को गिरफतार किया और फोटो स्टैट करवा–नें वालों को. गिरफतार किया। पलवल में 12 स्टूडैटंस भी गिरफतार हुए लेकिन सरकार टस से मैस नहीं हुई। इन्हेंने एक भी पेपर कैंसिल नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने नकव करनी थी वह तो कर गए, दो, चार या पांच लोगों के खिलाफ केस करने का मतलब क्या है। यह प्राइमा फेसाई बात बनती है कि वे पेपर जो हुए हैं वे सारे के सारे गलत हुए हैं। लड़कों की गलत मदद की गई है जो पेपर लीक करवा कर की गई बै, नकल करवा कर और आनसर शीटस बाहर भिजवा कर की गई है। इसका मतलब क्या हुआ और आप उसके०पर कोई भी कार्यवाही न करें, एक पेपर तो सरकार कैंसिल करती है। उल्टा इन्होंने ऐजूकेशन बोर्ड का चेयरमैन ऐसा लगा रखा है जिसको करतूतें रोन छाती हैं। उसने वहां के सैक्रेटरी की ऐसी हालत कर रखी शै कि वहां पर कोई सैक्रेटरी टिकता ही नहीं औंर रोज सरकार को वहां का सैक्रेटरी बदलना पड़ता है। अब सरकार ने वहां पर और सैक्रेटरी लगाया तो उस चेयरमैन ने उसके दफतर को ताला लगवा दिया। अब देखते हैं कि वह ताला सरकार पुलिस से खुलवाती है या किससे खुलवाती है। जो लड़का फेल हो जाता है उसे चेयरमैन कहता है कि पांच नम्बर या सात नम्बर मैं दे दूंगा और इस तरह से वह पास हो जाता है। सैकड़ों लड़कों को इस तरह से पास कर दिया। क्यों कर दिया क्योंकि इसके लिए कसिड्रेशन मनी है। (विध्न)स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि उदाहरण दो। हम नाम देने

के लि तैयार हें जिन लड़कों को पास किया गया। सोकर साहब, मैं उनकी लिस्ट भेजने के लिए तैयार हूं कि पहले वे लड़के फेल थे और बाद में उरको वैसे लेकर पास किया गया। इसका सबूत मैं देने के लिए तैयार हूं लेकिन फिर भो वह आदमी वहीं बैठा है। उसकी अपनी लैड ऐक्वायर हुई और आज वह खुद चेयरमैन है। उसकी लैंड का दो लाख रुपए का मुआविजा निश्चित हो गया। चेयरमैन खुद है ओर लैड का मॉलिक भी खुद है तो उसने मुआवजे के लिए ऐप्लाई कर दिया। उस मुआवजे के लिए बोर्ड का वकील मान गया और खुद भी लिख कर दे दिया कि हम सहमत हैं लेकिन उसकी साढ़े 6 लाख रुपए का मुआविजा दे दिया। सोकर साहब, बोर्ड को लुटाया जा रहा है क्या जुडिशियरी में किसी की फेवर लेने के लिए कमी ऐसा हुआ है कि जुडिशियल अफसर को भी बोर्ड का मकान दे रखा है। ऐजूकेशन बोर्ड एक औटोनौमस बौडी है। वहां किसी जुडिशियल अफसर को कोई मकान दे दिया या किसी को कुछ और दे दिया जैसे कि वह अपनी वही जायदाद हो। तो हम क्या विश्वास करें उस सरकार मे जिसने इस तरह ऐजूकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया।

इसी तरह से, स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हम कोआप्रेटिव अदायरों से किसानों द्वारा लिए गए लोन को इन्टैरस्ट माफ करेंगे और कहा कि हम इन्ट्रैस्ट का 100 करोड रुपये माफ करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे। स्पीकर साहब, बिल्ली थैले से बाहर आ गई ओर इन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए इन्ट्रैस्ट के माफ कर

दिए। इन्होंने 50 करोड़ रुपए इन्ट्रैस्ट के कौन से माफ कर दिए? इन्होंने लोगों से कहा कि पहले आप सारा पैसा जमा करवा दो फिर इन्ट्रैस्ट का पैसा ले जाओ। स्पीकर साहब, रिकवरी को बहुत बुरों हालत हुई। स्पीकर साहब, आपका पुराना जिला कुरुक्षेत्र रहा है इसलिए आप कुरूक्षेत्र जिने के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। मैं आगको आपके पुराने डिस्ट्रिक्ट कुरूक्षेत्र के शाहबाद लैण्ड डिवैल्पमैंट बैक की हालत के बारे में बताना चाहूंगा। लैण्ड डिवैल्ग्मैंट बैक शाहबाद वाले एक कालासिह नाम के आदमी को पकड़ कर लाए क्योंकि उसके अगेंस्ट 18 हजार रुपए कर्जे के बकाया थे। उसको पकड़ कर लाने के बाद बैंक वालों ने कालासिंह की जो हालत की वह बहुत ही दर्दनाक है। उसको वे 24 जुलाई को पकड़ कर लाए और 26 जुलाई को उसे जान से मार दिया। उसको मारने के बाद पहले तो यह कोशिश की गई कि यह सुईसाइड का केस बना दिया जाए। स्पीकर साहब, उस कालासिह के खिलाफ केवल 18 हजार रुपए कर्जे के बकाया थे जबकि बिजली बोर्ड के 300 करोड़ रुपए बड़े–बड़े लोगों में बकाया पड़े हैं उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है उसके लिए ये कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उस आदमी ने केवल 18 हजार रुपए मुर्गी पालन के लिए कर्जा लिया था उसको जान से मार दिया और कह दिया कि यह सुईसाइड का केस बना दो। लेकिन वह सुईसाइड का केस बनाने से पहने डाक्टरों ने लोगों का स्वाद चख लिया था, लोगों का रीएक्शन देख लिया था क्योंकि इनसे पहले कामोदां का केस हुआ था उसके बारे में मैं

आपको बाद में बताऊंगा। उसके अन्दर डाक्टरों ने देख लिया था और सोच लिया था कि सही रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन के सामने झुक कर रिपोर्ट देंगे तो लोग बख्शेंगे नही। उसके बाद 302 का केस दर्ज किया। स्पीकर साहब, सवाल उसको मारने का नहीं है। सवाल 302 का केस दर्ज करने का नहीं है। सवाल केवन यह है कि 18 हजार रुपए के लिए एक आदमी को इस तरह से मार दिया फिर ये कहते हैं कि कोआप्रेटिव अदायरों का इन्होंने किसानों का इन्ट्रैस्ट माफ कर दिया। इसी तरह से स्पीकर साहब, जो लोग नौकरियों में लगे हुए थे उनको नो करो से निकाल दिया। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमने हमारे वक्त में 20 फार्म गाइडैं आफिसर्ज लगाए थे। इन्होंने उनको कहा कि जाओ तुम्हारी जरूरत नहों है। इन्होंने उनकी छुट्टी कर दी। आज उन पोस्टों को ये नया नाम दे रहे हैं। ये उन पोस्टों का नया नाम प्रोजैक्ट आफिसर देंगे। वह क्यों देंगे? केवल मात्र अपने लोगों को लगाने के लिए, अपनी बिरादरी के लोगों को लगाने के लिए और अपनी कास्टिचुऐंसी के लोगों को लगाने के लिए नया नाम देंगे और दूसरी कोई बोर नही। सारे का सारा यही तमाशा कर रहे हैं। स्पीकर साहब, ये नौकरियों में लगे हुए लोगों के साथ किस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं मैं उसका सबूत दे सकता हू। मैं कोआप्रेटिव बैक के बारे में आपके सामने तीन छोटे से उदाहरण देता हू। हरकों बैक में तीन पोस्टें असिस्टैट मैनेजर की थीं जिनमें से एक पोस्ट बिश्नोई को, दूसरी पोस्ट आदमपुर के बैकवर्ड को और तीसरी पोस्ट कोआप्रेटिव मिनिस्टर के दामाद को

दी। लछमन दास अरोड़ा, मांगे राम गुप्ता वीरेन्द्र सिंह बेरी साहब, निर्मल सिंह, कैप्टन साहब और राजेश शर्मा कहां जाएंगे क्योंकि जब सारे के सारे लोग इस तरह से लगाए जा रहे हैं? केवल मात अपने लोगों को ऐडजस्ट करने के लिए उन फार्म गाईडैस औफिसर्ज को नहरी से निकाल दिया। इसी तरह से स्पीकर साहब, आज फिर ये मीटिंग कर रहे हैं। जिन लोगों को असिस्टैट मैनेजर लगे हुए दो साल हो गए हैं आज ही उनके दो साल पूरे हो रहे हैं और आज ही इन्होंने उनकी पोस्टों को खत्म करने के लिए बोर्ड की मीटिंग बुला रखी है। (विध्न)उनको नौकरी से निकालने के लिए वह मीटिंग बुला रखी है। स्पीकर साहब, इस तरह से राज नहीं चलता। Government is a continuous process. पोलिटिकल सैटअप तो चेंज होता रहता है। पार्टियों के राज बदलते रहते हैं। आज ये इस कुर्सी पर आ गए कल हम आ जाएंगे। स्पीकर साहब, यह तो चलता रहता है। यह तो डैमोक्रेटिक सिस्टम है। यह किसी के बाप की जायदाद नहीं है। किसी की बपौती नही है। डैमोक्रेसी के और यह आना जाना चलता रहता है। आज वह मीटिंग इसलिए कर रहे है ताकि उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। स्पीकर साहब, यही हाल मार्किटिंग बोर्ड का है। आज सुबह गुप्ता जी ने बोलते हुए यह कहा कि ठेके यूं हो गए, ठेके यू हो गए। मैं कहता हूं कि यह पता लगाया जाए कि मार्किटिंग बोर्ड द्वारा जितनी सडके बनाई जा रही हैं उनका ठेकेदार कौन है। स्पीकर साहब, मार्किटिंग बोर्ड में पैसा कहां से आता है? मांर्किटिंग बोर्ड में सारे का सारा पैसा किसानों से आता है और उस पैसे से

किसानों को उनका अपना अनाज मंडियों में लाने के लिए ऐप्रोच रोडज बनाई जाती है लेकिन आज सौ परसैंट सड़कें मार्किटिंग बोर्ड द्वारा शहरों में बनाई जा रही हैं। हम यह नही कह रहे कि शहरों में सडकें क्यों बनाई जा रही हैं। स्पीकर साहब, मैं तो कहता हूं कि जिनका हक है उनका हक मत मारो। शहरों के अन्दर सडकें बनाने के लिए पैसा दो। गुप्ता जी हाउस में बैठे हैं। ये लोकल बौडीज के लिए बजट में पैसे का प्रावधान करें, ग्रांट दें। शहरों की सड़कें सुन्दर बनाओ हमें कोई एतराज नहीं है। शहरों में फव्वारे लगाओ हमें कोई एतराज नहीं है। स्पीकर साहब, जो पैसा गांवों की सडकें बनाने के लिए था वहां पर एक भी सड़क बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है और जहां पर वह पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था वहां पर करोड़ों रुपया सड़कें बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। ठेकेदार चेयरमैन के अपने रिश्तेदार हैं। सारा पैसा खाया जा रहा है। सारे पैसे का गबन किया जा रहा है। यही हालत नौकरियों में नियुक्तियों में की हुई है। इन्होंने असिस्टैट सैक्रेटरीज लगाए। आज वे मन्त्री यूं ही बेकार बैठे हुए हैं। उनकी हालत बन्धुआ जैसी हो रही है। असिस्टैंट सैक्रेटरीज की 9 पोस्टें जनरल साइड की थीं और 9 में से 6 बिशनोई। ये छः कौन हैं वह मैं आपको बताता हूं। पहला एक राम कुमार नाम का पंजाब से है, यह बिशनोई है। इसी तरह से जो दूसरा लिया है रमेश गोदारा बिशनोई लिया है। तीसरा आदमी आत्मा राम बिशनोई ले आये चौथा राम प्रताप बिशनोई सिसवाल का और पांचवा बाबू लाल बिशनोई सदलपुर का और

छटा निहाल सिंह बलापुर का ले आये। ये सारे के सारे बिशनोई हैं और इनके हल्के के हैं। 9 में से 6 जनरल के और इसी प्रकार से रिजर्व कोटे का भी कल्याण करके रख दिया। सारे के सारे रिजर्व कोटे में से कौन आये हैं वह भी मैं बताता हूं। एक तो कृष्ण आ गया। यह कौन है वह मैं बताता हूं। यह सिरसा से जो मैम्बर पार्लियामैंट हैं और केन्द्र में वजीर हैं उनका नाती है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या रिजर्व कोटे का इनके अलावा और कोई नहीं मिला, क्या सिर्फ वही मिला? एक जो हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के चेयरमैन मि० छबीलदास हैं उनके लड़के को ले आये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनको और कोई रिजर्व कोटे का आदमी नहीं मिला? ये जो लहरी सिंह जी बैठे हैं या दूसरे साथी बैठे हैं ये क्या करेंगे? इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज कोटे में भी बुरा हाल किया है। एक तो ऐक्स एम० एल० ए० जो पहले हमारे साथ होते थे और जैसे कि इनकी आदत है उसके अनुसार उसे ये हमारे से अपने पास ले गए। वे हैं मि० जयनारायण वर्मा। उनको इन्होंने इलैक्शन लड़ा दिया। स्पीकर साहब, क्या यही लोग इलीजिबल हैं? (विष्य)अरे भले आदमियो अब भी क्या तुम्हारा हक बनता है कि इस आदमी का साथ दो? एक तो किसी के हल्के के आदमी को नौकरी नहीं दी जा रही और फिर भी तुम इसकी मदद करते हो। तुम्हें थोडा बहुत सोचना चाहिए लेकिन आप तो०पर से हंसते हो। (विघ्न) स्पीकर साहब आप तो अपनी बात कह नहीं सकते क्योंकि आपकी चेयर इंडीपैडैट है। हम आपका आदर करते हैं। लेकिन हम तो आपकी बात उठा सकते हैं। आप तो अपनी

बात कह नहीं सकते लेकिन मैं तो आपके हल्के की बात कह सकता हूं। ऐसे हालात स्पीकर साहब इन्होंने सब जगह कर रखे हैं। (विघ्न) स्पीक र साहब, इसी प्रकार से इन्होंने पैंशन का बुरा हाल किया हुआ है। स्पीकर साहब, जो लोग ओल्ड एज पैंशन के लिए इलोजिबल थे, वे सारे काट मारे, पता नहीं कहां कहां से ला कर 30–40 साल के पैंशन लेने के लिए लिस्ट में ठोक दिए। इसी प्रकार से जो स्टेट लाटरी है इसको भी प्राईवेट कर रहे हैं। इस स्टेट लाटरी से 12– 13 करोड़ रुपये की आमदनी हो रही हे और अब उसका दिवाला निकाल कर प्राईवेट करके अपने किसी आदमी को ठेका देने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। यही हालत दूसरे महकमे की है। जहां तक कास्टिज्म का सवाल है इन्होंने इसका नंगा नाच किया हुआ है। सारे प्रदेश में जात–पात का जहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। पुलिस का बहुत बड़ा महकमा है। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर क्या हालत है वह सब को पता है। पुलिस में जातपात का जहर फैलाया जा रहा है। इस बारे में ये सभी लोग बाहर लौबी में बैठ कर कहते हैं कि हमारी बात भी उठाना क्योंकि हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। हमें हर तरह से इग्नोर कर रखा है। स्पीकर साहब, इस समय 3 आई० जी० की पोस्टें खाली पड़ी हैं, 3 डी० आई० जी० की पोस्टें खाली पड़ी हैं, 9 एस० पी० की पोस्टें खाली पड़ी हैं और 15 डी० एस० पी० की पोस्टें खाली पड़ी हैं। अफसोस यह है कि इनको भरने में किसी विशेष कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं इसलिए उनको कहा जा रहा है कि प्रमोट नहीं

करेंगे। ठीक है ये न करें। वीरेन्द्र सिंह जो बैठे हैं। इनके अपने रिलेशन का आदमी भी दो–तीन नंबर पर आ रहा है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। ये बोल नहीं सकते इनकी मजबूरी है। आज तो इनको बोलना चाहिए क्योंकि आज बोलने का मौका मिला है। इन्होंने हर तरफ जहर फैला दियां है। इसी तरह से अप्वायंटमैट में, रिक्रूटमैंट में और प्रमोशन में या डैपुटेशन में यानी सब जगह ऐसा जहर फैला रखा है और जो हालत क्रप्शन की है उसको देखते हुए आज के ऐडमिनिस्ट्रेशन में इतनी बू आ रही है कि उसका कोई आदमी अन्दाजा नहीं लगा सकता (विघ्न) ये कहते हैं कि क्रप्शन का उदाहरण दें। स्पीकर साहब, औन रिकार्ड मैं उदाहरण दे कर बात कहूंगा कि कैसे क्रप्शन कर रहे हैं। चाहे क्रप्शन नौकरियों को बेचने में कर रहे हैं, चाहे किसी जगह पर कब्जा करने की कर रहे हैं, चाहे जिन लोगों के किसी जगह पर 20– 20 साल से कब्जे हैं उनको छुड़वाने की बात कर रहे हैं और चाहे कोई और महकमों में गलत बात कर रहे हैं इन सभी बातों के बारे में मैं उदाहरण देकर बताता हूं। सवेरे ए० सी० चौधरी साहब बड़े ढंग से इस बात को टाल गए कि अहातों की वजह से रैवेन्यू गिरा है। स्पीकर सर ऐसा नहीं है। अगर अहातों की वजह से रैवेन्यू गिरा है तो क्या कोटा कम हुआ है क्या शराब की खपत कम हुई हे? नो सर, 10 परसैंट शराब का कोटा बढ़ा है और 10 परसैंट पिछली बार बढ़ाया था, कोई ज्यादा कोटा नहीं बढ़ाया था। आज जो रैवेन्यू इन्क्रीज आई है वह 7 परसैंट आई है।

इससे पहले भी कोटा 10 परसैंट बढ़ता था लेकिन रैवेन्यू इन्क्रीज 27–28 परसैंट आती थी। आज ऐक्साईज पौलिसौ से 60– 70 करोड़ रुपये का रैवेन्यू लौस हुआ है। स्पीकर साहब, यह सारा पैसा स्टेट ऐक्सचौकर में नहीं जाएगा बल्कि प्राईवेट हाथों में जाएगा। स्पीकर सर, ये कह रहे हैं कि आज अहाते बन्द हैं लेकिन इन लोगों ने अन–अथोराईज्ड अहाते खोल रखे हैं। पहले जो अहाते थे उनका पैसा– गवर्नमैंट खजाने में आता था जब कि आज वह सारा पैसा इन लोगों की जेबों में आता है क्योंकि प्राईवेट अहाते खुले हुए बै। स्पीकर सर, इसी तरह के हालात इन लोगों ने टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग में मचा रखे हैं। ये लोग किसी को करप्ट करने में नही बख्शते। तकरीबन 1,800 प्लौटस डिसक्रिशनरी कोटे में से लिये हैं और उन प्लाटों में जो तहलका मचा और जो पैसा खाया गया वह करोड़ों में है। चिट ले आईये और प्लौट ले जाईये। स्पीकर साहब, चिट किस बात की। चिट इस बात की रसीद थी कि पैसा ले लिया। स्पीकर साहब, फिर इस मामले पर झगड़ा मचा। जिनके टाईम में अलौटमैंटस हुई हैं वे चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, अब वे इनके अपने स्टाफ में आए हैं। लेकिन बात क्या हो गयी कि बाप बेटे में पैसा खाने पर झगड़ा हो गया। यह झगड़ा होने के बाद उस आदमी को वहां से निकाल दिया और खुड्डे लाईन लगा दिया। स्पीकर साहब, इस सबसे क्या मैसेज जात।. है? इस मामले में धांधली हुई है और पैसा खाया गया है। अलौटमैंट करने वाला कहता है कि आपके पुत्र की चिट आती थी और मैं डी० क्यू० में से अलौटमैंट कर

देता था, मैं क्या करूं मेरे पास हिस्सा नहीं आया उस का। इस तरह के हालात आज हैं। दूसरी तरफ औफिसर्ज को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। को–आप्रेटिव हाउसिंग सोस।–ईटीज बना करके उनको लैड अलाट की जा रही है। एक–एक अफसर 6– 6 या 7– 7 सोसाईटीज का मैम्बर बन रहा है जबकि उनको इस बात का ऐफिडेविट देना पड़ता है कि वे किसी और सोसाईटी के मैम्बर नहीं हैं। उन लोगों को गुड़गांव, पंचकूला और फरीदाबाद में जमीन दी जा रही है। स्पीकर सर, करप्शन की जो हालत है वह आज आपके सामने हैं। स्पीकर सर, गुड़गांव के अन्दर नाथुपुर गांव है वहां की करोड़ों रुपये की पंचायत की लैड कौड़ियों के भाव दे दी। यह सारी बात मुख्य मन्त्री को मालूम है। इस जमीन की औक्शन के बाद स्टे मिल गया लेकिन उसके बाद दिल्ली के अन्दर नई कम्पनी फलोट करके जमीन उसको सस्ते भाव पर दे दी। उस जमीन की कीमत 6–7 करोड़ रुपये है जब कि वह जमीन 80 लाख रुपये में फारिग कर दी और अब फिर 82 एकड़ जमीन का रैजोल्यूशन भेज रहे हैं। इस तरह से पंचायतों की जमीनों को लूट कर खाया जा रहा है। (विघ्न) रोहतक की म्यूनिसिपल लैड का मामला भी मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में है। (विघ्न) इसके लिए सुभाष बतरा जी का धन्यवाद है। स्पीकर साहब, पता नहीं क्या कारण था उनको हिस्सा नहीं मिला या क्या हुआ कि वे इसके लिए मुख्य मन्त्री जी के पास आए। एक मन्त्री जो खुद रोहतक जिले के रहने वाले हैं और इनके खासम खास चेले हैं उनके और उनके रिश्तेदारों के नाम म्यूनिसिपल कमेटी की

जमीन सस्ते दामों पर अलॉट करवा दी। जब उसने आ कर कहा कि मुझे हिस्सा नहों मिला तो इन्होंने सोचा कि मामला गड़बड़ है, डिसिडैटस तों पहले ही हैं, यह एक और नया डिसिडैट हो जाएगा। पता नही फिर इसका क्या हल निकला। स्पीकर साहब, इसी तरह से वित्तमन्त्री जी का मामला है वे आज यहां पर बैठे हैं। बड़े ही पाक, साफ आदमी हैं। कोर्ट का जो फैसला है वह सब को मालूम हे। मैं लम्बी बात में नहीं जाना चाहता हूं केवल एक लाईन में कन्कलूड करना चाहता हूं। अखबारों में लिखा था कि action of the Minister in getting re-numbering of the plots was with a mollified and ulterior motive. स्पीकर साहब, इसका क्या मतलब है? एक मन्त्री के खिलाफ कोर्ट एक ऐसा फैसला दे दे और वह आदमी फिर भी मन्त्री बनी हुआ है। इन्हें तो चाहिए था कि चिदम्बरम को फौलो करते हुए इस्तीफा दे देते। खुद ही लोकल बौडीज मिनिस्टर और प्लौटों के नम्बर चेंज करवाए लिये। स्पीकर सहिब, इसी तरह से कब्जों का आलम है। मुख्य मन्डी जी कहते रहते है कि 95 परसैंट कब्जे रिलीज करवा लिये है। जिनके कब्जे रिलीज हुए हैं वे कौन लोग हैं उनके नाम बता दीजिए। स्पीकर सहिब, मैं कहता हू कि इस बारे में ये व्हाईट पेपर ईशू करें कि किन–किन के कब्जे थे जो कि हटाए गए। केवल कहने से कोई बात नहीं बनती। स्पीकर साहब, हिसार में डाबडा चौक पर म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर मुख्य मन्त्री जी ने कब्जा करवा कर वहां ठेका खुलवा दिया। (विघ्न) ये कैबिनेट के मंत्री ऐसे हालात कर रहे हैं, यों जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। तो कैसे

हालात होंगे। अध्यक्ष महोदय, हिसार की बाम्बे डाईग की दुकान का– जिक्र मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं। 3– 4 आदमियों ने उसको बुलाया और कहा कि दुकान को खाली करो और आज बाकायदा वहां पर शोरूम बन रहे हैं और जो दुकानदार वहां थे उन पर केस करके निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक चिट्ठी आई है और मुख्यमंत्री जी के पास भी आ गई होगी अगर नहीं आई है तो मैं दे दूंगा। उस आदमी का नाम अनिल कुमार है। उसकी दुकान का नाम मैसर्ज मनोज मैचिंग सैन्टर्ज है। वह कहता है कि मैं 10 साल से वहां दुकान कर रहा था। 8– 5– 92 को वहां पर राजाराम बिशनोई नाम का आदमी और उसके साथ एक पुलिस वाला स्टेनगन लेकर आया और कहने लगा कि दुकान खाली कर दो। उसको मारा पीटा और पुलिस थाने ले गए। फिर भी उसने दुकान खाली नहीं की। तो अध्यक्ष महोदय, हिसार अनाज मंडी में 11 नम्बर दुकान है वहां पर मुख्यमंत्री जी का भाई रहता है, उस दुकान में ले जाकर उस आदमी को पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े आदमी का भाई ऐसे काम करे तो कितनी ओछी बात है।

इसी तरह से हिसार के बढ़वाल–ढानी से मान सिंह सैनी नामक व्यक्ति को उसके ट्रक समेत उठाकर ले गए और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। इसी तरह से बिशगेई मन्दिर के साथ बिशनोई धर्मशाला है ठीक उसके सामने दुकान है उसको खाली करवाने के लिए इनके लोगों ने पहले उस दुकान की छत

तोड़ी और सोचा कि बरसात का सीजन है अपने आप खाली कर देगा। परन्तु जब वह नहीं गया तो वहां कर्ण सिंह और सूरजभान नामक दुकानदारों को जिनकी वह दुकान थी, पीटा ओर उन पर मुकदमा चला दिया। इस तरह से कब्जे किए है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह कैथल में 3 म्यूनिसिपल कमेटी के मैम्बर है और उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, शायद मुख्यमंत्री को मिल गया होगा। मुख्यमंत्री जी के अलावा उन्होंने डी० सी० को भी इस्तीफा भेजा है। उनके नाम परदुमन सिंह, सुभाष और हुक्म सिंह हैं और तीनों म्यूनिसिपल कमीश्नर हैं। उनका कहना है कि बस अड्डे के पास एक मंत्री जमीन पर कब्जा करने जा रहा है जो कि हम बर्दाश्त नही कर सकते। वह हमारी बात नहीं मानता है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे इतने मजबूर हो गए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। कल को ये कहेंगे कि वे सुरजेवाला या बीरेन्द्र सिंह के आदमी थे या किसी और के होंगे। इसी तरह से पेहवा में जो कुछ हुआ है वह आपको भी पता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वह लैड अलॉट की थी। वह उन आदमियों को अलॉट हुई थी जो 5 साल से पहले वहां बैठे हुए थे। इन्होंने पांच लोगों की अलाटमैंट कैसिल करा के अपने कांग्रेस के पांच आदमियों को कहा कि वहां जाओ और कब्जा कर लो।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप टाईम का भी ध्यान रखे।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत कुछ बोलना है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आपको 10 मिनट और दिए जातै हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः धन्यवाद मर। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐट्रो सिटीज की बात कर रहा था। चाहे वूमैन हो, माईनर हो, एस० सी० हो, बैकवर्ड क्लासिज के हों, चाहे माइन्योरिटी से हों उनके साथ रोज ज्यादतियां हो रही हैं। छोटी–छोटी उम्र की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बड़ा दावा करते थे कि रात को 12 बजे कोई भी बहन या बेटी गहने पाकर निकल जाए तो कोई भी उनकी तरफ नजर उठा कर नही देखेगा–। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा जिक्र नही करना चाहता परन्तु ये बहुत से ऐसे केसिज हैं जो छोटी उम्र के और हरिजन जाति के हैं। स्पीकर साहब, इन केसों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। एक तो कमोडा बस स्टैड की बात है। वहां पर एक पिता अपनी 13 साल की बेटी के साथ और 10 साल की साली के साथ जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, उन लड़कियों को उठा लिया गया और उनका रेप किया गया। इससे बुरी बात क्या कोई हो सकती है? ये कहते हैं कि हम यह कर देंगे और वह कर देंगे। यही हालत स्पीकर साहब, ज्ञानवती हरिजन लड़की के साथ हुई। उसे भी हर आदमी जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। गुरमीत कौर अम्बाला की थी। अध्यक्ष महोदय पहले तो उसके साथ रेप किया गया और बाद में

उसका मर्डर करके मिल्क प्लांट के पास फैंक दिया। छः दिन के बाद उसकी लाश लोगों को मिली। ऐसे हालात स्पीकर साहब, हो रहे हैं। इसी तरह से उनींदा का कांड है। वहां पर सरला नाम की एस० सी० लड़की के साथ रेप हुआ जिसकी उम्र सिर्फ सात साल थी और बाद में उसका मर्डर कर दिया। इसी तरह से खुद कैदी की औरत कोर्ट परिसर में सोनीपत के अन्दर अपने पति से मिलने के लिए आयी लेकिन उस बेचारी के साथ कोर्ट परिसर में ही रेप किया गया। स्पीकर सर, यह इनका ला एंड आर्डर है। यह उनको सेफ्टी दे रहे हैं। इसी तरह से इन्द्री थाने के अन्दर सातड़ी गांव में एक विडो के साथ यह कहकर रेप किया गया कि हम तुमको जौब देंगे, रोजगार देंगे। इस तरह का झांसा उसके साथ किया गया। इसके अलावा, ऐसा ही महेन्द्रगढ में भी हुआ है। पुन्डरी का आपको मालूम ही है कि वहां पर भी रेप हुआ। वह बेचारी करनाल से अपने रिश्तेदारों के यहां से पुन्डरी आ रही थी। स्पीकर सर, यह बड़ा जघन्य काड है। नौ दिनों तक इस केस में कोई कार्यवाही नहीं हुई और उसके वदि जो कार्यवाही करते हैं वह ऐसी करते हैं कि जो प्रोटैक्ट करता है ये उसको ही जेल के अन्दर डाल देते हैं। स्पीकर सर, यह डैमोक्रेसी है, लोगों को अधिकार है कि वे प्रोटेस्ट करें। आज इस तरह के हालात इन लोगों ने कर रखे हैं। इसी तरह से मुंड़ारका (नारनौल)में भी हुआ। वहां सरेआम गांव के सामने चौक में एक लड़की के साथ रेप किया गया तथा फिर उसके बाद उसको ट्यूबवैल पर घसीटकर ले गये और वहां पर भी उसके साथ रेप किया गया। इसी तरह से

सोनीपत जिले के अन्दर मोहम्मदाबाद की एक 13 साल की लड़की के साथ जो किया गया उसका वर्णन नही किया जा सकता। यह इनका ला एंड आर्डर है। इसी तरह से चूमा गाव की एक लड़की पर–भी के साथ भी रेप किया गया। इसी तरह से एक पुलिस का इंसपेक्टर जिसको आज भी इन्होंने दिहाड़ी दे रखी है और इंटैलीजैस का काम दे रखा है, उसने ऐलनाबाद के अन्दर जों काम किया है उसको मनीराम जी भी जानते होगे। उसने भी वहां पर रेप किया है। स्पीकर सर, रोज इस तरह के धंधे हो रहे है, रोज ऐसी हालत हो रही है। सबसे अधिक घिनौना कांड शास्त्री कालोनी फरीदाबाद मे हुआ है जहा सात साल की एक लड़की अपने मजदूर बाप के साथ फुटपाथ पर सोई हुई थी। कुछ लोग वहां से उसको उठाकर ले गये और उसके साथ बुरा काम किया। स्पीकर साहब, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इसी तरह से नारनौल के अन्दर नीरा नाम की एक औरत के साथ 16 लोगों ने एक साथ रेप किया। इससे भी ज्यादा और क्या बात हो सकती है? इसी तरह से सुशीला नाम की एक लड़की के साथ हुआ। उसका 6 साल का एक भाई भी था। पहले सुशीला को उठाकर ले गये, फिर उसके साथ रेप किया गया, रेप करने के बाद उसका मर्डर करके बोरे मे भरकर बाद में गन्दे नाले में फैंक दिया और उसके साथ ही उसके 6 साल के भाई को भी मार डाला। इस तरह के हालात आज सरकार ने कर रखे हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से रोहतक के अन्दर एक लड़की और उसकी मां आ रही थी तो पहले तो गुन्डों ने उसकी मां को धक्का दिया और बाद में

उस लड़की को उठाकर ले गये। लेकिन पुलिस के कप्तान जो वहां पर थे उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। हम इस बात के लिए उनको मुबारिकबाद देते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, अगले ही दिन क्या हुआ? यहां से वायरलैस जाता है कि आपकी बदली की जाती है। ऐसी सजा ये उनको देते हैं। स्पीकर सर, जो पुलिस वाला अपराधियों को पकड़े, अच्छा काम करे, उसको इनाम देना चाहिए शाबाशी देनी चाहिए लेकिन इन्होंने ऐसा न करके उसका तबादला कर दिया। ऐसै में कौन अपराधियों को पकडगा? स्पीकर सर, ऐसे हालात इन लोगों ने मचा रखे हैं। इसी तरह से हिसार के अन्दर लोहारी राधव के सरपंच ने हरिजन महिला की पंचायत में बुलाकर जूतों से पिटाई की। वहां पर खेत में किसी बात के लिए झगड़ा हो गया था। स्पीकर सर, इस तरह के काम करके ये हरिजनों को इज्जत दे रहे हैं। ऐसे काम इन्होंने कर रखे हैं। अब इनकी राजनीति क्या रह गयी है? वापस फिर ट्रक यूनियन की ही राजनीति इनकी रह गयी है। आए दिन ट्रक यूनियन का चक्कर। (विघ्न) अब ये जाने लग रहे हैं तो फिर ट्रक यूनियन का चक्कर चला रखा है। स्पीकर सर, पानीपत में क्या कानून व्यवस्था रह गयी है? पानीपत में एक चन्द्रभान पवार, म्यूनिसिपल कमिश्नर था। सवाल यह नहीं है कि किसने इसको मारा, किसका झगड़ा था। सवाल यह है कि कैसे मारा गया? स्पीकर सर, पहले उसके०पर तेजाब छिड़का गया। ऐसा करने से वह अंधा हो गया (घंटी)उसके बाद भी वह जी० टी० रोड पर भागता रहा। लेकिन वहां पर भी उसको चाकुओं से गोदा गया। फिर भी वह थोड़ा सा आगे

खिसक—। तब उसको गोली मारी गयी। यह कानून व्यवस्था आज इनकी रह गयी है। इसके अलावा कैथल के अन्दर जो कुछ किया गया वह आप जानते हैं। मतलब यह है कि एक तरफ तो कार्यवाही नही होती और दूसरी तरफ उल्टे काम करते हैं। स्पीकर साहब, अब तो इनका एक ही काम रह गया है कि पुलिस का इस्तेमाल राजनैतिक विरोधियों के लिए करना. उन पर टाडा लगाना तया हमारे वर्करों पर झूठे केस बनाना। स्पीकर सर, हम इस बात के लिए प्राईम मिनिस्टर से मिले थे। हम इस बात के लिए उनके आभारी हैं कि उन्होंने हरियाणा गवर्नमैंट को एक चिट्ठी लिखी कि इस तरह से राजनैतिक वर्करो पर टाडे का इस्तेमाल न किया जाये। टाडा देश द्रोहियों के लिए होता है राजनैतिक विरोधियों के लिए नहीं। स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज इन्होंने इस तरह के हालात इस प्रदेश में कर रखे हैं। इसके अलावा जहां तक टैरोरिस्टस का सवाल है, आज सब जगह हरियाणा में टैरोरिस्टस ऐक्टीविटीज बढ़ गयी हैं, हरियाणा में टैरोरिस्टस दनदना रहे हैं। इसका कारण क्या है, मैं लम्बा जिक्र नहीं करूंगा। चाहे वह डाचर का कांड हो, चाहे वह सदरपुर का कान्ड हो, चाहे वह बरवाला का किस्सा हो या मनचन्दा का सिर, जो अम्बाला कैट के अन्दर मिला हो, वह हो, या ऐसी दूसरी बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। चाहे वह हमारे एक आई० ए० एस० आफिसर श्री वर्मा की हत्या की बात हो या सिरसा या टोहाना की किलिंग्ज हों, जो कुछ हुआ, वह हमारे सब के सामने है। आज हालात ऐसे हैं कि सिरसा जिले में जहां तक मिलिटैसी का सवाल

है, खुद मुख्य मंत्री जी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खुद 10 बार वहां का प्रोग्राम कैसिल किया है। इनकी अपनी हिम्मत वहां जाने की नहीं पड़ रही है। ऐसै हालात वहां पर हो गये है। क्यों ऐसे हालात बने है? अब जौ एस० पी० वहा पर आया है, मुझे तो ऐसा लगता एं कि शायद उसकी थोड़े दिनों मे छुटटी होने वाली है। उनसे पहले जिस तरह से वहा के एस० पी० ने नन्द मचा रखा था, वह सब को पता है। वह पोलिटिकल लोगों से प्रोटैक्शन लेकर वहां पर मन्द मचाता था। अब इनके पार्लियामैट्री अफेयरज मिनिस्टर मिस्टर नेह रा बैठे हुए हैं। औन रिकार्ड यह बात है। कौन–कौन लोग वहा पर पकड़े गये हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। कौन लोग कैसे हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। एक अवतार सिंह सन आफ अजमेर सिंह, कांग्रेस प्रैजीडैट रोड़ी, वहां का सरपंच और हरियाणा खादी बोर्ड का डायरैक्टर जो हमारी सरकार ने मिस्टर जगदीश नेहरा के कहने पर लगाया था, उसके यहां दो उग्रवादी पंजाब से आये, वह फट्टड हो रहे थे। उन फट्टड हुए उग्रवादियों को वह अवतार सिंह मिस्टर नेहरा के घर लेकर गये। वहां पर इनके लड़के ने डाक्टर को बुलाकर उनकी पट्टी करवायी। टैरोरिस्ट्स वहां से पट्टी करवाते हैं और बाद में अपने सरपंच रिश्तेदार के घर पर चले जाते हैं। वह सूरतिया गांव में अवतार सिंह के घर पर चले जाते हैं। पंजाब पुलिस को उनका पता लगता है। पंजाब पुलिस वहां पर आती है, रेड डालती है। इन उग्रवादियों को हरियाणा मैं तो पुलिस प्रौटैक्शन मिली हुई थी लेकिन जब पंजाब पुलिस आ गयी वे

साइनाईड खा कर सुसाईड कर गये। इमसे फालतू औन रिकार्ड क्या बात होगी? जो आदमी अपिने डायरैक्टर खादी बोर्ड का बनाया, जाहिर है कि वह आपका अपना आदमी होगा। इससे ज्यादा और बुरी बात क्या हो सकती है कि आपने उसको गार्ड भी दे रखा है। मुख्य मंत्री जी के नोटिस में यह बात शायद है या नहीं, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन लछमन दास अरोडा तो को सारा पता है। उनको सिक्योरिटी गार्ड दिया हुआ था। स्टेनगन उनके पास थी। कौब था अवतार सिंह, जिसको बाद में पंजाब पुलिस ने पकड़ा। टैरोरिस्टस साईनाईड खाकर मर गये। यहां पर टैरो– रिस्टस अपना इलाज करवाने आते हैं। उनको कौन पनाह दे रहा है? मंत्री जी पनाह दे रहे हैं। अगर यह बात सच्ची न हो तो ये शपथ खाकर कह दें कि गलत है। अगर यह बात झूठी हो तो अरोड़ा जी यहां खड़े होकर कह दे कि हम प्रोटैक्शन नहों दे रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरा भोला सिंह सरपंच गांव रोड़ी का है, उसको भी इन्हेंने सिक्योरिटी दे रखी थी। गनमैन दै रखा था। स्टेनगन दे रखी थी। वह भी टैरोरिस्ट ऐक्ट के तहत पकड़ा गया क्योंकि वह टैरोरिस्ट्स को पनाह दे रहा था। स्पीकर साहब, यह तो ऐसे लोगों को गनमैन दे रहे हैं जो उनको पनाह दे रहे हैं। इसके अलावा बता सिंह, सरपंच सुखचौन, जिला सिरसा को भी इन्होंने सिक्योरिटी दे रखी है। सीकर साहब, लाभ सिंह शाह वाले को भी इन्होंने सिक्योरिटी दे रखी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्होंने ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है जो टैरोरिस्ट्स से मिले हुए हैं और जो मिलीटैसी के मामले में उनकी

मदद करते हैं या जो टैरोरिस्ट्स वारदातें करते हैं। केवल उन्ही लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है। केवल उन्हीं लोगों को कमांडो फोर्स देते हैं, जो ऐसे कामों में, मिलिटैसी में मदद करते हैं।

श्री अध्यक्षः आपका समय समाप्त हो रहा है। आप जल्दी खत्म करें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अभी तो मुझे और बोलना है। इससे बड़ी सबूत की बात और क्या होगी? दूसरी तरफ हमारे चार पुलिस के नौजवान पंजाब के एक टैरोरिस्ट को पकड़ने के लिये गये। इंसपैक्टर बलजीत सिंह, इंसपैक्टर विजेन्द्र सिंह और दो अन्य पुलिस कर्मचारी थे। कुल 4– 5 लोग थे। एक मैटाडोर उनको दे दी गयी। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे लेकिन उन्हें कह दिया कि उग्र– वादियों को पकड़ने के लिये जाओ। स्पीकर साहब, जब कभी रेड डाली जाती है तो रेड डालने के लिये कम से कम 8– 10 आदमी रहते हैं। जिस टैरोरिस्ट को उन्होंने पकड़ना था, उसने करनाल का बौर्डर सील कर रखा था और हर रोज कोई न कोई करनाल जिले में वारदात करता रहता था। नौर्मली जब कोई पकड़ने के लिये पार्टी जाती है तो उसके पास आधुनिक हथियार होते हैं और कमाण्डो फोर्स साथ ले जाते हैं तथा उनकी नफरी भी 9– 10 की होती है। परन्तु कमांडो इनके साथ भेजने की बजाये, ये ऐसे लोगों के साथ कमाण्डो लगाते हैं जिन्होंने नाजायज कब्जा करना हो या टैरोरिस्टस ऐक्टिविटीज में शामिल हों, जो क्राईम करते हैं, उन लोगों को ये गनमैन देते हैं

या कमांडो देते हैं। वे पुलिस कर्मचारी बेचारे मारे गये। इस सरकार को चाहिये था कि उनको शाबाश देती। उन लोगों के लड़कों को या वारिसों में से किसी एक को उसी पद पर लगाती। आज कह दिया कि भर्ती कर लेंगे। उनको कौन सा पद दोगे? अगर उनको आपने पद देना ही है तो जैसे हमारी सरकार ने श्री रणबीर सिंह यादव, डी० एस० पी०, जिसको मिलिटैंट्स ने मारा था, के बच्चे को डी० एस० पी० का पद दिया था, उसकी तरह से दें। उसका लड़का हालांकि क्वाली फिकेशन पूरी नहीं करता था और ऐज भी उसकी पूरी नहीं थी लेकिन हमने रिलैक्सेशन दी। क्यों? क्योंकि वह रणबीर सिंह की बहादुरी का इनाम था। इसके बीच में क्वालीफिकेशन नहीं आ सकती। स्पीकर साहब, जो बहादुरी रणबीर सिंह जी ने दिखायी, उसी को देखते हुए हमने उसके लड़के को डी० एस० पी० लगाया। आज स्पीकर सर, ये कहते हैं कि वह इन्सपैक्टर अपनी बहादुरी दिखा गये। उन्होंने अपनी जान गंवा दी ताकि हरियाणा प्रदेश सुरक्षित रहे। उन्होंने हरियाणा के लिये अपनी जान न्यौछावर कर दी। आप उनके लड़कों को कम से कम इन्सपैक्टर तो जरूर लगाओ। ऐसा न करना कि नौकरी दे दी। कौन सी? चपड़ासी लगा लिया या चौकीदार लगा दिया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। स्पीकर साहब, इसके अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बाड़ ही खेत को खा रही है। स्पीकर साहब, अभी कुछ दिन पहले कैथल के अन्दर चमन लाल को और उसके लड़के को उल्टा लटका दिया गया।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, यह मैटर सब जुडिस है इसलिए इसका जिक्र नहीं आना चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंहः ठीक है। मैं इसका जिक्र नहीं करता। स्पीकर साहब, जो रिकूटमैंट की हालत है उसके बारे में अखबार साफ तौर पर लिख रहे हैं। इसमें कोई पोलिटीकल स्टेटमैंट का सवाल नहीं है। इस बारे में तो अखबार साफ लिख रहे हैं कि भर्ती मुख्य मन्त्री की कोठी में हो रही है। स्पीकर साहब, सौ में से 59 लड़के ऐसे हैं जिनकी भर्ती किया गया वे आदमपुर हल्के के हैं या बिश्नोई कम्युनिटी के हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरी माओ ने तो अपने बेटों को बेकार में जन्म दिया है। (शोर एवं व्यवधान)स्पीकर साहब, इन्होंने खुद माना है कि मेरे घर के अन्दर तीन फीते रखे हुए हैं। मेरा लड़का भर्ती के लिए उन फीतों से नापता है। जिनको भर्ती न करना हो उनको टालने के लिए कह दिया जाता है कि तुम्हारी नाप तोल पूरी नहीं है। इसके बाद वहां पर डाक्टर को बुलाकर मैडीकल हो जाता है। स्पीकर साहब, भर्ती का सारा काम पूरा करने के बाद इनका लड़का रसीद देता है कि पचास हजार रुपये वसूल पाए।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए आप हाउस की एक कमेटी बना दें। एक आदमी भी कह दे कि मैंने पैसा दिया है तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इन्होने खुद माना है कि मेरे घर में भर्ती होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि घर क्या कोई भर्ती हाउस है? घर कोई सिलैक्शन बोर्ड नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि पचास हजार वसूल पाने की चिट दी जाती है। फिर उन लड़कों को चहेते अफसरों के पास डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया जाता है। स्पीकर साहब, ऐसी हालत सारी स्टेट में हो रही है। अगर ऐसे नौजवान भर्ती किए जाएंगे तो वे आगे चल कर क्या करेंगे?

श्री अध्यक्षः आपको ऐसे ऐलीगेशज नहीं लगाने चाहिए। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है, अब आप खत्म करें।

सिंचाई तथा बिजली राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद इलियास): स्पीकर साहब, खानपुर हसन मोहम्मद का गांव है। इनके जमाने में खानपुर गांव के एक हरिजन लड़के की भर्ती की गई थी। उसके पास एक प्लौट था। हसन मोहम्मद भूतपूर्व मती ने उस प्लौट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई थी तब जाकर उसकी भर्ती की गई थी। इसलिए आज इनको सारी बातें याद आ रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है, अब आप दो तीन मिनट में खत्म करें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं भर्ती के वारे में बोल रहा था। इनको आए हुए एक साल हो गया। इन्होंने बहुत

अन्धेरगर्दी मचा रखी है। ये इंक्वायरी कमेटी बिठा दें या जुडीशियल इंक्वायरी करा दें, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। अब तो आगे इनको और मौका नहीं मिलेगा। आज तो ये चले जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)हम सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी गल्ली होगी तो हम हर सजा के लिए तैयार हैं। उधर के सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि आज वे हमारा साथ दें। स्पीकर साहब, जो कुछ हमने किया है, अगर गल्त किया है तो हम भुगतेंगे पर इनको इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। (शोर)स्पीकर साहब, जहां हम और बातों का जिकर करेंगे वहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रोहतक जिला में ढाबला गांव में पंचायत के लिए महिला कोआपशन हेतु चुनाव हो रहा था। इनका एक पहलवान टेक चन्द और उसके ओर साथी दिन दिहाड़े वहां आये और गोली चला कर दो आदमियों को मार गए। अगर टाडा लगना था तो उनके०पर लगना चाहिये था। क्या इन्हें टाडा लगाने के लिये गुरमेश बिशनोई, जिन्दल, सुखदेव सिंह व हरिसिंह ही मिले थे? अगर टाडा लगाना था तो श्री जगदीश नेहरा पर लगाना चाहिये था जिसके मैंने पूरे सबूत भी दिये थे। उनको टाडा के तहत गिरफ्तार भी किया जाना चाहिये था। जो सबूत मैंने दिये हैं उससे ज्यादा और कोई सबूत नहीं हो सकते। चौधरी भजन लाल. अध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं इसको हाउस की प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाए। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः क्यों निकाल दिया जाए? यह बिल्कुल रिकार्ड पर ही रहेगा। (शोर)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपका टाईम समाप्त हो गया है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। श्री नेहरा साहब कैबिनैट रैक के मन्त्री हैं। अगर वे अपना पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे तो स्वयं दे देंगे लेकिन हमने जो कुछ कहा है वह हाउस की प्रोसीडिंग्ज में ही रहना चाहिये। लेकिन जो आदमी मिलिटैन्टस को पनाह दे रहा है, इसके सबूत भी मैंने पेश किये हैं। अगर मैं गल्त कह रहा हूं तो औन ओथ कह दें कि यह गल्त है। श्री लछमन दास अरोड़ा औन ओथ कह दें, हम मान जाएंगे। इसलिये मेरा कहने का मतलब यह. है कि श्री नेहरा के खिलाफ सबूतों के आधार पर केस दर्ज होना चाहिये। यह जो सरकार है, यह कैसी सरकार है? स्पीकर साहब, गवर्नमैंट का मतलब तो आज यह है कि सारा माल साफ। दो, चार, पांच, ओम प्रकाश बेरी जैसे बचे थे, वे भी इग्नोर होकर पार हो गये, शहीद हो गये। अब तो केवल सी० एम० हैं और इनके भी तीन मतलब निकलते हैं। ..... स्पीकर साहब, यह मतलब निकलता है इस सरकार का। आज हरियाणा के अन्दर कोई नियम नहीं है, कोई सी० एम० नहीं है, कोई सरकार नहीं है। लोगों के अन्दर इस सरकार का कोई फेथ नहीं है। इसलिये मैं अन्त में अपने सभी भाईयों से अपील करता हूं कि

कांग्रेस के भाईयो आओ और हमारे साथ, अपोजीशन तो पहले ही हमारे साथ है, अपनी काशियस की आवाज के०पर, अगर आपका अन्तःकरण जगा हुआ है, इस गुलामी को आज छोड़ जाओ और हमारे इस मोशन के हक में वोट दो ताकि आगे के लिये आपकी जुबान खुल सके तथा आपको भी डैमोक्रेसी मिल सके। नही तो हालात और बदतर हो जाएंगे। जैसे कि इन लोगों ने हालात कर रखे हैं इससे भी बुरे हालात हरियाणा के अन्दर पैदा होंगे। इसलिये स्पीकर साहब, यह हमारा जो मोशन है, यह कैरी होना चाहिये, पास होना चाहिये। इसलिये, मेरी इस हाउस के हरेक मैम्बर साहब से अपील है कि उनको इस मोशन पर हमारी मदद करनी चाहिये। बस मैं इतना ही कहता हुआ और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः ये जो इन्होने नटवर लाल व कौमर्स मास्टर आदि शब्द कहे हैं ये ऐक्सपन्ज कर दिये जाएं। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ये शब्द कोई अन–पार्लियामैंट्री नहीं हैं। ये हाउस की प्रोसीडिंग्ज पर रहने चाहिये।

श्री अध्यक्षः नहीं। ये एक्सपंज कर दिए गए हैं।

श्री बंसी लाल (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, आज मोशन औफ नो कन्फीडैसं पर विचार –हो रहा है। अभी चौधरी सम्पत सिंह जी ने बड़ा विस्तारपूर्वक बताया लेकिन मैं समझता हूं कि इस

सरकार. के खिलाफ जो कुछ था शायद उसका ये आधा परसैटं भी न बता पाए हों क्योंकि टाईम की कमी थी।

चौधरी भजन लालः अब आप बता देना।

श्री बंसी लालः हां मैं बताऊंगा। सब से पहले मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कहूंगा। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अभी जो बिजली के रेट इन्कीज किए इस बारे में मैंने पिछले बजट अधिवेशन में कहा था कि मुख्य मन्त्री जी 75 करोड़ रुपए साल का टैरिफ बढ़ाने के लिए प्लांनिग कमीशन से हां करके आए हैं। उस समय चौधरी शमशेर सिंह के पास यह महकमा था और इन्होंने खड़े हो कर कहा था कि नहीं। मैंने इनसे कहा था कि बैठ जाओ ये हां करके आए हैं और मेरी बात सच्च हुई। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को इनएफिशिएंसी, क्रप्शन ओर माल खरीदने में घोटाले का दंड हरियाणा की जनता पर पड़ता है। इनके लाइन लौसिज कितने हैं? I think Haryana one of the few tops. अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी कई बार एक बात कह देते हैं कि 95 परसैंट एस० वाई० एल० उन्होंने बनवाई। मेरे पास पंजाब गवर्नमैंट की 31 मार्च, 1989 तक की सी० एंड ए० जी० की रिपोर्ट नं० 3 है। इस रिपोर्ट में पेज 91 पर एस० वाई० एल० के बारे मे लिखा है। मार्च, 1985 तक अर्थ वर्क हुआ 116 लाख 86 हजार क्यूसिक मीटर और मार्च, 1986 तक हुआ 191.74 मिलियन एकड़ फीट। अध्यक्ष महोदय, यह जो 191. 74 अर्थ वर्क है यह काम 420770 बैठता है। इसके साथ साथ लाइनिंग जो है वह मार्च, 1986 तक 1,09,100 क्यूसिक मीटर हुई

जो सिर्फ 2 परसैंट बैठती है। उसके बाद चौधरी भजन लाल की छुट्टी हो गई और इनके बाद मैं आया। इन्होंने सात साल में अर्थ वर्क 42 परसैंट करवाया था और मैंने एक साल में मार्च, 1987 तक 42 परसैंट से बढ़ा कर 74 परसैंट करवा दिया। मार्च, 1987 तक यह काम 376 32 यानी 74 परसैंट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 125 मिलियन क्यूसिक फीट के करीब एक साल में काम हुआ। फिर रही बात लाइनिंग की। इनके वक्त में 1,09,100 स्केयर फीट हुई यानी 2 परसैंट और मेरे वक्त में एक साल में यह बढ़ कर 15. 575 मिलियन एकड़ फीट यानी 29 परसैंट हुई। उसके बाद चौधरी देवी लाल जी आए। उनकी सरकार के टाईम में लाइनिंग 91 परसैंट तक चली गई ओर अर्थ बर्क 92 परसैंट तक चला गया। अब की बार जब चौधरी भजन लाल आए तो एक कस्सी भी नहीं लगी, लगी हो तो वे बता दें। तो इन्होंने 95 परसैंट काम कहां से कर दिया? इन्होंने तो गोवबल्ज की थ्यूरी को अपनी रखा है कि गल्त बात को सौ बार कहो, सच्ची हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं औपको बताऊं कि कई बार मुख्य मन्त्री जी कह देते हैं एस० वाई० एल० का पानी इराडी ट्रिब्यूनल से भजन लाल लाया। मैं इस बात को रिफयूट करता हूं और कहता हूं कि भजन लाल के जाने के बाद 8 महीने बाद इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आई और मैंरू टेक ओवर करने के बाद 8 महीनों में कम से कम 10— 15 बार इराडी को मिली और उनको हरियाणा का केस एक्सप्लेन किया। 'इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट 30 जनवरी, 19—87 को आई और श्रीमान भजन लाल की 4 जून, 1986 को छुट्टी हो

गई थी। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैंने भारत सरकार से एक फैसला करवाया था जब मैं भारत सरकार में रक्षा मंत्री था और वह फैसला 23 मार्च, 1976 को स्टेट गवर्नमैंट को भेज दिया गया था। उस फैसले में क्या लिखा था? उसमें यह लिखा थाः–

"The Central Government hereby directs that out of the water which would have become available to the erstwhile State of Punjab or completion of the Beas Project, 0.12 MAF whereof is earmarked for the Delhi water supply. The State of Haryana will get 3.5 MAF and the State of Punjab will get the remaining quantity not exceeding 3.5 MAF. When further conservation work on the Ravi Beas project completes, Punjab will get 3.5 of 7.2 MAF."

इसमें हमने यह कहा कि हरिके पर हरियाणा का ज्यादा पानी बनता है तो पंजाब पर यह पाबंदी लगा दी थी कि उसको 3.5 एम० ए० एफ० से ज्यादा पानी नही दिया जाएगा। यह बात कैबिनेट की मीटिंग की प्रोसीडिंग्ज में होगी, यह बात कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस हो गई थी कि अगर ज्यादा पानी होगा तो यह हरियाणा को दिया जाएगा। आगे चलिए। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट का पेज 327 कोट कर रहा हूं। इसके बाद चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री बने और इन्होंने पंजाब के साथ 31 दिसम्बर, 1981 को एक ऐग्रीमैंट साइन किया और यह इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के पेज 324 पर प्रोड्यूस्ड है। इसमें दस्तखत हैं–

Ch. Bhajan Lal, Chief Minister of Haryana, Shri

Shiv Charan Mathur, Chief Minister of Rajasthan and Shri Darbara Singh, Chief Minister of Punjab in the presence of Smt. Indira Gandhi, the Prime Minister of India.

श्रीमती इन्दिरा जी के भी दस्तखत हैं। इसमें चौधरी भजन लाल ने क्या माना है यह इराडी ट्रिमूनल की रिपोर्ट के पेज 330 पर है कि किस स्टेट को कितना कितना पानी मिलेगा जिस पर चौधरी भजन लाल ने दस्तखत कर रखे हैं। इन्होंने कहा है कि पंजाब का जो शेयर होगा वह 4.22 एम० ए० एफ० होगा और हरियाणा का शेयर 3.5 एम० ए० एफ० होगा। यह किसने कसीड किया? मैं इराडी ट्रिब्यूनल को बार बार मिला। मैंने उनसे कहा कि पानी यदि ज्यादा है तो हमें पानी ज्यादा दो। तो इराडी ने अंग्रेजी में मेरे से कहा, क्योंकि वह तो अंग्रेजी में ही बात करते थे, हिन्दी तो उनको आती ही नहीं थी। उन्होंने मेरे से कहा कि मि० बंसी लाल आप किस तरह से ज्यादा पानी मांगते हैं? पंजाब का ज्यादा पानी तो आपके प्रैडीसेसर ने प्रधान मैली की मौजूदगी में, तीन चीफ मिनिस्टर्ज के साथ दस्तखत करते हुए, 4.22 एम० ए० एफ० ऐक्सैप्ट किया है। इराडी ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि पंजाब का ज्यादा पानी इन प्रिसिंपल खुद आपके प्रैडीसेसर चौधरी भजन लाल ने मान लिया था। तो नुक्सान किसने किया? नुक्सान चौधरी भजन लाल ने किया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से चौधरी भजन लाल कई चीजों पर अपना क्लेम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब एकौर्ड हुआ। मैंने पहले भी सदन में कहा था और कई जगहों पर कहा है कि हमको इस बात का बड़ा दुख है कि जब पंजाब एकोर्ड

हुआ तो हमारे मुख्य मंत्री को उन्होंने अन्दर भी नहीं घुसने दिया। हमारे हकों पर छापा डाला गया और इनको अन्दर नहीं घुसने दिया गया। अब की बार जब श्रीमान जी मुख्य मंत्री बन कर आये तो इन्होंने कह दिया कि बंसी लाल ने फाजिल्का अबोहर पर हरियाणा के हक का केस कमजोर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि राजीव लोंगोवाल अकोर्ड 24 जुलाई, 1985 को हुआ और जनवरी, 1986 में सही तारीख तो इस समय मुझे याद नही, एक फैसला हुआ और उसमें यह लिखा हुआ था कि जो टेरीटरी का डिसप्यूट होगा उसमें विलेज को यूनिट माना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, फाजिल्का अबोहर में आने जाने के लिए मैंने हरियाणा को कण्डू खेड़ा गांव में से एक किलोमीटर लम्बा कोरीडोर इन्दिरा जी से दिलाया था। कण्डू खेड़ा गांव पंजाब में और एक किलोमीटर लम्बा कोरीडोर हरियाणा में। चौधरी भजन लाल जी ने क्या किया? उस समय के प्रधान मंत्री थी राजीव गांधी से कहा कि आप रैफरैण्डम करा लो। यह कण्डू खेडा गांव हिन्दी स्पीकिंग है। दिल्ली के अधिकारी आये, स्पैशल सैंसिस हुआ और उस स्पैशल सैंसिस के बारे में चौधरी भजन लाल जी कूद कूद कर कहते थे कि बंसीलाल तो हरियाणा के केस को कमजोर करवा आया है और मैं मजबूत करवा आया। वह पंजाबी स्पीकिंग मिला। मुझे राजीव गांधी जी ने एक बात कही। अब वे इस संसार में नहीं हैं। मेरे उनके साथ बहुत बातों पर मतभेद थे कोई एक बात पर नहीं थे। मगर मुझे उन्होंने कहा कि हमने भजन लाल जी से बार–बार कहा था कि

रैफरैण्डम या सैंसिस की बात मत करो लेकिन हमारे०पर उन्होंने यह थोपा और उसका रिजल्ट यह हुआ कि अबोहर–फाजिल्का से हमारी कटिग्यूटि टूट गई। मगर हम राजीव–लोंगोवाल एकौर्ड को नहीं मानते। हम मानते हैं इन्दिरा गांधी के 1970 के अवार्ड को। फाजिल्का–अबोहर हम हर हालत में लेंगे। इसके साथ–साथ अध्यक्ष महोदय जहां तक पानी का सवाल है, जब डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के प्रोफेसर गाडगिल होते थे उस समय मैंने गंगा नदी का पानी हरियाणा में लाने का, यमुना नदी में डाल कर आगे लाने का, एक प्रोजैक्ट बना करके भेजा था। उसको इन्होंने प्रोसैस किया या नहीं किया मैं नहीं जानता क्योंकि एस० वाई० एल० का पानी आने के बाद भी ओर गंगा नदी का पानी आने के बाद भी हमारी पानी की कमी इतनी अधिक है कि यह पानी आने पर भी वह कमी पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने एक ऐग्रीमेंट किया था और वह एग्रीमेंट यह किया था कि ओटू का पानी, जो घग्गर का पानी है, हनुमानगढ़ को डूबो देता है और आगे कई गांवों को डुबोता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। इस पर मैंने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से यह कहा कि हम ओटू लेक बना देते हैं, इस पर नया हैडवर्कस बना देते हैं, और उस में से राजस्थान की भादरा तहसील की, भादरा कैनाल आप बना लें, जितना पानी हम आपको दें उतना पानी आपसे हम राजस्थान कैनाल से सिरसा जिले में ले लें ताकि हम सिरसा जिले की नहर के पानी को वापिस चला सकें और वहां 'जो पानी बचे वह हिसार, जीन्द, रोहतक या जो

डैफिसेट एरियाज हैं उनको दे सकें और उसके०पर दस्तख्त हैं, मेरे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के और श्री हरमहिन्द्र सिंह चट्ठा के और उस पर दस्तख्त हैं श्री रामचन्द्र इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर राजस्थान के। इनके०पर इन्होंने क्या किया जरा मुख्य मंत्री जी रोशनी डाल दें। ला एण्ड आर्डर का जहां तक ताल्लुक है, ला एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज हरियाणा में है ही नहीं। दिन दिहाड़े रेप होते हैं। दिन दिहाडे डकैती होती है और क्या न कहें कौन सी चीज नहीं होती जो क्राईम में होनी चाहिए। आई०पी० सी० के तहत किस दफा का जुर्म नहीं होना चाहिए जो हरियाणा में न होता हो, सभी होते हैं।

13.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों अखबारों में एक ध्यान दिया था नाथूपुर गांव की एक पंचायत की जमीन का। मैंने उसके०पर इलजाम लगाये थे और मुख्य मंदी जी पर भी लगाये थे। आज तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। (विष्य)। अब इन्होने नाथूपुर गांव की पंचायत से एक दूसरा रैजोल्यूशन पास करवाया है। इस नाथूपुर गांव की सिचुएशन और लोकेशन मैं आपको बताता हूं। जब महरोली से गुड़गांव को जाते हैं तो बैरियर के साथ डी० एल० एफ० की जमीन से भी पहले यह नाथूपुर गांव की जमीन है। डी० एल० एफ० की जमीन गुड़गांव की तरफ है और नाथूपुर की जमीन दिल्ली की तरफ है। वहां पर डी० एल० एफ० वाले तीन हजार और साढ़े तीन हजार रुपये गज

के हिसाब से जमीन देते हैं। उस जमीन का जो पहले रैजोल्यूशन किया गया था, उसके बारे में मैंने प्रैस में कहा था और अब इन्होंने वहां की नयी पंचायत से 11– 5– 1992 को एक नया रैजोल्यूशन करवाया है। वह जमीन 89 बीघे और 9 बिस्वे है और गुड़गांव का जो बीघा होता है वह कुछ बड़ा है। हमारी स्टेट में अलग–अलग साईज के बीघे होते हैं। गुड़गांव की एक बीघा जमीन तीन हजार सवा पच्चीस गज की है यानि करीब डेढ़ बीघे में एक एकड़ बन जाता है। वहां के सरपंच वगैरा लिख कर दे रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर को भी उन्होंने लिखा है। इन सब की कौपीज मेरे पास हैं। वे लोग एस० डी० एम० के पास जा चुके हें और सब के पास जा चुके हैं। मुझे नाथूपुर गांव के सरपंच ओर दूसरे लोगों ने बताया है कि इस रैजोल्यूशन की कापियां पृथ्वी राज बिश्नोई, एस० डी० एम० की अल्मारी में रखी हैं। पहले वाली जो जमीन थी जिसका कि रैजोल्यूशन पंचायत ने पास किया था उसके बारे में मैंने प्रैस में कहा था। (लोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय मुख्य मन्त्री जी आज जो बात कहते हैं दूसरे दिन उस बारे में अपना स्टैंड बदल लेने हैं। बराही काण्ड में पहले कहने लगे कि गांव वालों का कसूर था लेकिन बाद में गांव वालों की बात मान ली। पृथ्ला गांव में भी कहने लगे कि गांव वालों का कसूर है कुछ नहीं होगा लेकिन बाद में उनकी बात भी मानी। फिर हमने यहां सदन में कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का नाम हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से न हटाया जाए। मुख्य मन्त्री जी पहले तो बहुत बजिद थे। लेकिन अब वे बता दें कि इस मामले में उनका

क्या स्टैंड है? इसी तरह से लाडवा में काण्ड हुआ। चौधरी छोटू राम का स्टैच्यू पहले तो लगने ही नहीं दे रहे थे लेकिन फिर आप खुद उसको लगाने पहुंच गए और साथ ही धर्मशाला में पुलिस भेज दी और धक्के से उठवा कर मंगवा लिया। (विध्न)पुलिस की रैक्रूटमैंट के बारे में चौधरी सम्पत सिंह जी ने जो बात कही उसको ये मानें या न मानें लेकिन मुख्य मंत्री जी की अपनी एक बात ऐडमिटिड है कि मेरे घर में मेरे लड़के ने लोगों की छाती माप–तोल कर बताई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनका लड़का वहां पर पुलिस का रिक्रूट– मैंट औफिसर लगा हुआ है? (विध्न)अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि जिस ढंग से यह भर्ती हुई है वह अबव बोर्ड नहीं है, ईमानदारी की भर्ती नहीं है। अगर

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

यह बात ठीक है कि औरत के प्रति अपराध बढ़े हैं। इसमें सबकी जिम्मेवारी आती है, सरकार की भी आती है और दूसरों की भी आती है।

14.00 बजे।

कैथल में भी इस तरह का एक केस हुआ है। इस केस में जैसा मैंने सुना है कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। पहले ट्रैक्टर पर एक लड़के और उसकी बहन को लिपट दी और फिर उसकी बहन की बेइज्जती करी। लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग गिरफ्तार नहीं हुए। (विघ्न) हो सकता है कि अब गिरफ्तार हो गये हों। इस तरह से एक–एक केस हर जगह पर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं कि यह महकमा मुख्यमन्त्री का महकमा है इसलिये इस पर मुख्यमन्त्री को ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो ला एंड आर्डर की सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब होती चली जायेगी। इसलिये सरकार को चाहिए कि वह ऐडमिनिस्टेरशन को टाईट करे और जो अच्छे औफिसर्ज हें, ऐफिशिण्ट हैं, उनको की पोस्ट पर लगाना चाहिए। लेकिन जिन औफिसर्ज का काम केवल पैसा कमाना ही रह गया है, उनको

आपको थोड़ी बहुत सजा भी जरूर देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तभी ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाराज होकर किसी औफिसर्ज को किनारे लगाया जाये। अगर ऐसा होग–। तो यह गलत बात होगी। यह भी ठीक नही है कि किसी औफिसर को बिना महकमे के आप औफिसर बना दें। लेकिन जो सचमुच में करप्ट हैं उनको 'की' पोस्ट पर नहीं लगाना चाहिये। गांवों में यह कहा जाता है कि अगर सब चीजें०पर से. ठीक होती हैं तो नीचे वाले की हिम्मत गलत काम करने की नहीं होती है। आज प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूं।

चांधरी वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर सर, 23 जून को मौजूदा हरियाणा सरकार ने एक साल पूरा किया और उसके बारे में प्रदेश लैवल पर एक बड़ा भारी फंक्शन करनाल शहर में भी हुआ था। बड़ी ऐडवरर्टाईजमैंट की गयी थी, बड़ी पब्लिसिटी की गयी थी, बाजे गाजे बजाये गये, बड़ी मंत्रियों की फोटोज देखने को मिलीं। इस तरह से एक साल इस सरकार ने पूरा किया और आज यह अविश्वास प्रस्ताव एक साल बीस दिन के बाद आया है। सीकर सर, शायद मुख्यमन्त्री जी को याद होगा कि इन्होंने चुनाव के बाद पहले सैशन में क्या कहा था। यह ठीक है कि प्रजातन्त्र में चुनाव हुए और चुनाव में ये जीतकर आये तथा विपक्ष हार गया, कम रह गया तथा कम लोग जीतकर आये। इनका बहुमत आ गया

मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जहां तक ला एंड आर्डर का संबंध है मैं हरियाणा प्रान्त को ऐसा कर दूंगा कि बहू बेटी रात के 12 बजे भी सीना तानकर यदि किसी सड़क पर घूमेगी तो कोई ऊंगली करने वाला नहीं होगा। पहले ही दिन इन्होंने कहा था कि एक साल के भीतर एस० वाई० एल० का पानी हरियाणा की प्यासी धरती पर पहुंच जायेगा। यह अखबारों में भी रिकार्ड में मौजूद है। ये दो वायदे मुख्यमन्त्री जी ने इस सदन में किये थे। इस एक साल में मुख्यमन्त्री जी को कोई काम भी करने में विपक्ष की तरफ से किसी तरह की रुकावट नहीं आयी, यहां न कोई ऐजीटेशन हुई, न किसी ने किसी का कोई घेराव किया और न ही रास्ता बन्द किया गया। इस प्रकार की जो भूमिका विपक्ष ने निभाई है, उसके अगेन्स्ट मेरे ख्याल में रैलियों ने, वह भूमिका निभाई होगी। विपक्ष ने प्रैस स्टेटमैंट के जरिए निभा ली होगी। परन्तु विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई एक बात भी नहीं हो पायी जिससे सरकार के किसी काम में कोई रुकावट आयी हो। आज ये जरा आत्मनिरीक्षण करके देखें। मुख्य मन्त्री महोदय स्वयं अपने आप अपनी सरकार का लेखा–जोखा करके देखें कि क्या उनकी सरकार किसी भी फ्रन्ट पर सफलता प्राप्त कर सकी है। जहां तक एस० वाई० एल० का ताल्लुक है, ऐसे ध्यान आने लगे, जो उचित नहीं हैं। टैरीटरी के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में और एस० वाई० एल० के बारे में लोगों की उत्सुकता इतनी बढ़ा दी गयी कि अब गया चंडीगढ़, अब जायेगा चण्डीगढ़। फैसला कोई जल्दी ही होने वाला है। इतना गर्म माहौल बना दिया गया कि जिसकी कोई हद नहीं। चव्हाण

साहब आये। वे यह कहते हैं कि पैकेज एनाउन्स होने वाला है। पंजाब के मुख्यमन्त्री महोदय भी यही कहते हैं कि बात हो रही है। अखबारों में छपता है कि कभी भी पैकेज अनाउन्स हो सकता है। पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री बेअन्त सिंह भी कहते हैं कि कोई पैकेज जल्दी ही आने वाला है। लेकिन हाल ही में प्रधान मन्त्री कहते हैं कि कोई पैकेज नहीं है। कौन सा पैकेज कहां का पैकेज। राजीव लौगोंवाल एकौर्ड खुद ही एक पैकेज है। क्या गजब है? कौन क्या बोलता है, यह किसी की समझ में नहीं आता। सारे देश का गृह मन्त्री कहता है कि पैकेज आया, पड़ौसी प्रदेश का मुख्य मन्त्री यह कहता है कि पैकेज आया। चौधरी भजन लाल जी कहते हैं कि आपसी सहमति से ही फैसला होगा और प्रधान मन्त्री जी बोलते हैं कि कोई पैकेज ही नहीं है। उस दिन के बाद से सारा मामला ही गोल है। सारा मामला ही ठंडा है। न एस० वाई० एल० की चर्चा, न अबोहर फाजिल्का की चर्चा और न ही हरियाणा में पानी लाने की चर्चा। मैं तो इतना ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से कि इस बहस का जवाब देते समय मुख्य मन्त्री जी एस० वाई० एल० के बारे में कि कब तक उस पर काम शुरु दोबारा करने जा रहे हैं और पानी कब तक हरियाणा प्रान्त की प्यासी धरती को मिलना शुरु हो जायेगा, इस बारे में स्पष्ट रूप से गवर्नमैंट का स्टैंड जो भी है, उससे हमें आगाह करें। क्या अगले साल में हम एस० वाई० एल० से पानी ले पायेंगे? क्या हरियाणा प्रान्त में पानी लाने के लिये अगले साल में भी काम शुरू कर पायेंगे, इस के बारे में गवर्नमैंट का जो स्टैंड है, वह यहां पर

अवश्य फरमायें और हाउस को आगाह करायें। एक दूसरी बात और भी है। स्पीकर सर, चंडीगढ यूनियन टैरींटरी का झगड़ा भी है। यह झगड़ा अबोहर फाजिल्का से जुड़ा हुआ है। सरकारी पक्ष का इस बारे में क्या स्टैड है, यह भी बतायें। मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं इसी सदन में एक बात कही थी और वह बात औन रिकार्ड है। अगर आप चाहें तो देख लें।

इन्होंने कहा था कि चण्डीगढ़ तभी जायेगा जब हमें अबोहर–फाजिल्का के इलाके मिल जायेगे। लेकिन इसके बाद कमजोरी की बात भी इन्होंने कह दी थी। इन्होंने यह कहा था कि अगर 5– 10 गांव देने पड़ गये तो भी कोई बात नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करें कि हमारा चण्डीगढ़ अबोहर फाजिल्का के बारे में स्टैड क्या है।

एक बात मैं बिजली बोर्ड के टैरिफ के बारे में कहना चाहता हूं। चाहे ऐग्रीकल्चर सैक्टर हो या चाहे इंडस्ट्रियल सैक्टर हो, बिजली के रेट्स रिवाईज करने से बड़ी भारी मार पडी है। माननीय वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने जब बजट पेश किया था तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस समय इन्होंने बताय।– कि 15 परसैटं बढ़ाया था। इन्होंने उस समय 15 परसैंट बढ़ौत्तरी की डोज दी थी। जो थोड़ी तेज बस जाती है, उसकी 25 परसैटं बढ़ौत्तरी की थी और जो और ज्यादा तेज जाती है, उसका किराया 50 परसैटं बढ़ा दिया गया था। (विध्न)स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि किसान को रोज ब्याह शादी के मौके पर बारात में

आना–जाना पड़ता है और उसके आने जाने पर सब से बड़ी मार बस किराए की पड़ी है। स्पीकर साहब, यहां पर यह कहा गया कि मैंने भी बिजली के रेट बढ़ाए थे। मेरे मोशन का जवाब देते हुए मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि वीरेन्द्र सिंह जब इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे, तो बिजली के रेट बढ़ाए गए थे। (विघ्न) मुख्य मन्त्री जी आपने मेरा हवाला दिया। स्पीकर साहब, जब 22 जून, 1987 को मेरे को यह महकमा दिया गया उस दिन की बिजली की सप्लाई देख लीजिए और एक साल या दो साल पहले की सप्लाई देख लीजिए या अगस्त, 1987 से एक मार्च, 1990 तक की जब तक मैं इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर रहा, सप्लाई देख लीजिए। श्री बलबीर पाल शाह जो उस वक्त कांग्रेस प्रैजीडेन्ट थे और महेन्द्र प्रताप सिंह जो उस समय इस हाउस के मैम्बर थे, इन दोनों ने सोनीपत के अन्दर एक बहुत बड़ी मीटिंग में माना था कि बिजली की सप्लाई बहुत बढ़िया है। उस वक्त केवल पांच पैसे पर–यूनिट रेट बढ़ाया था और उस समय किसान को चौबीस घंटे बिजली दी थी। आप चौबीस घंटे बिजली देना अश्योर करें, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप बिजली नहीं दे रहे हैं बल्कि आप किसान को मार रहे हैं। इतने ज्यादा रेट बढ़ाना यह किसान के०पर बहुत बड़ी मार है। आपने उसके खाद की सबसिडी विदड्रा कर ली, गेहूं की मूवमैंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जिससे उसको अपनी फसल का रेट ठीक नहीं मिल पाया। मुख्य मन्त्री जी आप इन रेट्स को दुबारा रिवाइज कीजिए नहीं तो यह किसान पर बहुत बड़ी मार होगी। पता नहीं आप पर किसका दबाव पड़ता है

जो आप ऐसा करते हैं। स्पीकर साहब, चौधरी चरण सिंह ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में जब बिल आया था तो मैंने कहा था कि आप इसको प्रैस्टेज का इशू न बनाएं। स्पीकर साहब, वही वैस्ट जनरल होता है जो कदम पीछे भी हटाना जानता है। मैं फिर इनसे कहना चाहता हूं कि बिजली के रेट्स पर आप फिर गौर कीजिए। आप कहीं से और पैसा निकालने की कोशिश करें वरना फार्मर पर बहुत बड़ी मार पड़ेगी। इस साल उसको सबसिडी का लौस है, व्हीट का उसको अच्छा दाम नहीं मिल।–, उसको ज्यादा किराया देना पड़ रहा है और अब उस पर बिजली के रेट्स की मार पड़ी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि लोगों का मन हिलता जा रहा है। आपके साथ भी वही बनेगा जो पिछली सरकार के साथ बना था। इस पर आप गौर कीजिए और जो बढ़ हुए रेट हैं वे फौरी तौर पर वापिस लेने चाहिएं।

स्पीकर साहब, अब मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं। सम्पत सिंह ने लोहारी गांव के सरपंच का जिक्र किया। स्पीकर साहब, लोहारी मेरे हल्के का गांव है। उस सरपंच के साथ ज्यादती हुई है। इस सरकार ने उस सरपंच के साथ ज्यादती की है। उस सरपंच के खिलाफ केस बनाया। स्पीकर सहिब, वह बिल्कुल ही झूठा केस है। डी० आई० जी० को मैंने बारबार कहा कि इस केस की आप इंक्वायरी कराइए, अगर इंक्वायरी में यह केस सच्चा हुआ तो मैं एम० एल० ए० शिप छोड़ दूंगा। लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं की गई और उस सरपंच को झूठे केस में

फंसाया हुआ है। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे अपने होम सैक्रेटरी से यदि क्राइम्ज के एक साल के सारे केसिज मंगवा लें तो पाएंगे कि रेप के केसिज कम्पैरेटिवली बढ़े हैं, डकैती के केसिज बढ़े हैं, रौबरी के केस बढ़ हैं और ला–लैसनैस के केस बढ़े हैं। मुख्य मन्त्री जी आपको इस बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए नो–काफिडैस मोशन आया है जिससे कि जो कमियां हैं उनको आपको बताया जा सके। इससे विपक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता है। मुख्यमन्त्री जी जितना आप इन बातों को इग्नोर करोगे उतनी वीकनैस आएगी। गद्दी आप की हिलेगी। ला एण्ड आर्डर की परफारमैन्स जितना कि आपने वायदा किया था, उतनी अच्छी नहीं रहीं है। जैसा कि आपने ऐलान किया था वैसी परफारमैन्स इस सरकार की नहीं रही है। ऐजूकेशन का तो भट्ठा ही बैठ गया है। नकल के धन्धे का तो गजब ही हो गया है और ऐजूकेशन बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है केवल 18 परसैन्ट, 20 परसैन्ट। बात समझ नहीं आ रही कि छिक के नकल भी मारी गई और रिजल्ट फिर 18 परसैन्ट ही रहा। हम चर्चा सुन रहे हैं कि अंग्रेजी में 10 नम्बर व दूसरे सबजैक्ट्स में 5– 5 नम्बर दिये जा रहे हैं और उन नम्बरों को ऐड करके फिर दोबारा रिजल्ट निकाला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल पर मुकम्मल रोक लगा दी है और नकल को एक औफेन्स बना दिया है और औफेन्स भी

ऐसा बनाया कि वह नान बेलेबल है। अब चाहे वहां का रिजल्ट पांच परसैन्ट या सात परसैन्ट आए कोई परवाह नहीं लेकिन जो सही पास होगा, उसी को सही माना जाएगा। जितनी भी इस बारे मे लोगों में रिजैन्टमैंट हो, होनी चाहिये लेकिन सरकार को चाहिये कि वह ऐसी जनरेशन पैदा करे जोकि पढ़े– लिखों की हो। इसलिये मैं यह कहता हूं कि कही पर कोई भी सरकार हो, उस को उत्तर प्रदेश की सरकार से सबक सीखना चाहिये। लेकिन आज कल तो कौन कितना पढ़ा लिखा है, इस बात का पता ही नहीं लगती। सर्टीफिकेट तो किसी के पास जेब में है लेकिन वह जमात में शायद कभी गया भी नही होगा। फिर वह एलानिया क्लेम करता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। स्पीकर सर, अन्त में, मैं एक बात और आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस बार मुख्य मन्की महोदय ने यह ऐलान किया था कि 31 मार्च तक एक भी सड़क मुरम्मत के बिना नही छोड़ेंगे। नारनौंद हल्के में एक भी सड़क की अगर मुरम्मत हुई हो या रोड़ी वहां पर पड़ी हो तो आप मुझे जो सजा चाहें दे सकते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकत। हूं कि वहां पर किसी एक भी सड़क की मुरम्मत आज तक नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, आप तो अश्योरैन्स कमेटी के चेयरमैन भी है। आप तो इस अश्योरैन्स को इम्पलीमेन्ट करवा सकते हो।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः हां जी, मैं अश्योरैन्स कमेटी का चेयरमैन तो अवश्य हूं पर वह अश्योरैन्स आये तभी न। अभी तो हम 1989– 90 की अश्योरैसिज ही टेक अप कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हू कि आपने मुझे 11 नम्बर फलैट दे रखा है और पड़ोस में मक्कड़ साहब रहते हैं। उन्होंने मार्किट कमेटी हांसी के अन्दर कांस्टिव्यूट करवायी। ठीक बै कि उनको 11 आदमी मिल गये लेकिन नारनौंद कास्टिचुऐन्सी के 40 गांव हैं और वे सारे मार्किट कमेटी हांसी में पड़ते हैं परन्तु एक भी व्यक्ति वहां से नौमिनेट नहीं किया गया है। मैंने मक्कड़ साहब से कहा कि क्या हम से कोई भूल हो गई कि नारनौंद का राक भी आदमी नौमिनेट नहीं किया गया?

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः चौधरी साहब, आपने कोई नाम ही नहीं भेजे।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः मक्कड़ साहब, एक आध आदमी नारनौंद का भी नौमिनेट करवा देते तो अच्छी बात थी। कोई आदमी तो नारनौंद का होता। अगर नारनौंद के दों–चार आदमी नौमिनेट हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता क्योंकि वह एक बड़ा इलाका है, खुशहाल इलाका है। अनाज बहुत लाता है। चौधरी भजन लाल जी, अगर इस तरह की खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन विपक्ष के भाइयों के साथ होगी तो रिजैन्ट– मैन्ट होनी स्वाभाविक ही है। इससे पब्लिक में भी रिजैन्टमैंट आएगी। आस–पड़ोस में भी आएगी। इसलिए आज के दिन मैं तो यह कहूंगा कि आपको

नो–कौन्फीडैस मोशन से नाराज नहीं होना चाहिए। आपको अपनी इन्ट्रोस्पैकशन करनी चाहिए कि वाक्या ही हमारे में कहीं खामियां रही हैं। जब आप इन्ट्रोस्पैकशन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकार हर फ्रंट पर फेल हो गई है, हर फ्रंट पर इसकी परफारमैंस निल रही है। यही कह कर स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, सम्पत सिंह जी ने अपने भाषण में पूंडरी का भी जिक्र किया कि वहां कोई रेप केस हुआ। उसके बारे में उन्होंने कुछ रोशनी डाली लेकिन मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे हल्के से ताल्लुक रखता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर तहकीकात करने में शुरु से ही अपनी पूरी ताकत लगाई है और मुलजिमों को पकड़ा है तथा जो ऐकशन ले सकते थे वह लिया है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति जैसेकि इनकी पार्टी के ऐक्स एम० एल० ए० और उनके कुछ ऐसो– शिएट्स अपने साथ कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को और कुछ भोले भाले आदमियों को वहका कर योजना बद्ध तरीके से ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर और उनमें रोड़े, पत्थर भर कर प्लांड ढंग से आए। वहां थाना मेन रोड पर था। उन्होंने प्लांड ढंग से करनाल कैथल सड़क पर बसों को रोका और उनके पहियों की हवा निकाल दी ताकि वे इधर उधर न जा सकें। फिर उन्होंने थाने पर हमला करने की कोशिश की। उस रेप केस की जो महिला शिकार थी उन्होंने उसके दुख पर अपनी राजनीति चलाने की कोशिश की

और उस पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की जोकि अच्छी बात नही है। उसमें भोले भाले लोगों को भी शामिल किया गया जो बहकावे में आ गए जबकि वे अपने टैरक्टर नही ले गए और अपनी कारें नही ले गए। कुछ दूसरे भोले–भाले लोगों को और उनके टैरक्टरों तथा ट्रालियों को बहका कर ले गए। इस तरह से उसमें राज.– नीति का प्रयोग किया गया। यह वहां की सही घटना है। उनका उद्देश्य पुलिस को इशताल दिलाना था ताकि पुलिस द्वारा गोली चलाने से किसी भोले भाले आदमी की दुर्घटना हो जाए और वह उसको राजनीतिक मुद्दा बना–यें लेकिन वह सफल नही हो सके। ऐडमिनिस्ट्रेशन ने संयम से काम लेकर सिचुऐशन को कंट्रोल किया।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हमीरी पार्टी को बोलने के लिए और टाईम दिया जाए।

श्री अध्यक्षः ऐसा है कि यह डिस्कशन इनडैफिनिटली तो चल नही सकती। सभी पार्टीज के लीडर्ज बोल चुके हैं। पहले इस पर दो घंटे दिए गए थे और फिर एक घंटा और बढ़ाया गया। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आप कह रहे हैं कि सभी पार्टीज के लीडर बोल चूके हैं। यहां पर एक पार्टी के दो मैम्बर हैं और वे दोनों बोल चुके हैं। हमारी पार्टी के इतने सदरय

है आप कम से कम एक सदस्य को बोलने के लिए तो इजाजत दें।

श्री अध्यक्षः अगर आपको इजाजत दे दी तो दूसरी पार्टी भी ऐसे ही कहेगी।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जनता दल के दो मैंबर हैं और दोनों बोले है। हमारी आपसे रिक्वैस्ट है कि हमारी पार्टी के एक सदस्य को बोलने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आपकी पार्टी और विकास पार्टी को दस–दस मिनट का और समय दे देते हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः धन्यवाद जी।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

सिंचाई मंत्री द्वारा –

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, आपने तो अपनी औब्ज वेशन दे दी लेकिन मैं भी अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। विपक्ष के नेता ने बोलते हुए बड़े गलत इलजाम लगाए। उनको सोचना चाहिए था कि असैम्बली में वें–बुनियाद इलजाम लगाना ठीक नहीं होता। उन्होंने उसी तरह से कहा जोकि उनके०पर लागू होता है क्योंकि इनके राज में यही कार्यवाही होती रही है। इन्होंने उग्रवादियों को बढ़ावा दिया। उस समय सम्पत सिंह जी होम मिनिस्टर थे और खूखार उग्रवदिा

गुरजंट सिंह राजस्थानी जिसके०पर पांच सौ कत्लों का मुकदमा था और जो बाद में मारा गया वह इनके मास्टरों के पास ठहरता था। ये होम मिनिस्टर होते हुए गुरजंट सिंह राजस्थानी को मंथली देते रहे। इनको तो यह बहम हो गया है कि हर जगह टाडा टाडा कहते हैं। इनके हरि सिंह पर टाडा लग गया। अब ये मेरे बारे में कहते हैं कि इन पर टाडा लगाया जाए। इनको तो रात को भी टाडा दिखाई देता हे। इनकी समझ में नहीं आता। अगर किसी ने इनको कह दिया कि सम्पत सिंह जी टाटा तो इन्होंने कहा कि क्या टाडा लगा है? अगर इनको कोई टाटा करता है तो ये कहते हैं क्या टाडा लगा है। इस तरह के बेबुनियाद इलजाम सरासर गलत हैं। ये कहते हैं कि वे कांग्रेसी हैं। अगर आप कहते हैं कि वे कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस के राज मे हमारे मुख्य मली जी ने निष्पक्ष तौर पर उनके हरेक के बारे में जो जो शक हुआ उसके मुताबिक उनका चालान किया है। आप तो होम मिनिस्टर होते हुए गुरजंट सिंह राजस्थानी को मंथली देते थे। यह तो आपको याद होगा। कभी आपने ..... की है। आपको होम मिनिस्टर होते हुए ..... आनी चाहिए थी। आप उसको होम मिनिस्टर होते हुए मंथली देते थे।

श्री अध्यक्षः शर्म का लफ्ज रिकार्ड नहीं किया ज ख्ए। नेहरा साहब आप शर्म का लफज इस्तेमाल न करें।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, ये उग्रवादियों की बात करते हैं। इनको पीटने के लिए चार आदमी मेहम में गए

लेकिन ये चारपाई के नीचे घुस गए। उसके बाद इनको चारपाई पर पीटते पीटते ले गए थे फिर गंदे नाले में घुस गए। होम मिनिस्टर होते हुए आपकी जितनी बेइज्जती हुई उतनी आज तक हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट में किसी होम मिनिस्टर की नहीं हुई। आज तक हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट में किसी होम मिनिस्टर की पिटाई नहीं हुई। उस समय इनके कपड़े फाड़े गा और इनको कच्छे में बाहर सड़क पर लाया गया। आज ये यहां पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं। हमारे०पर इलजाम लगाते हैं कि जगदीश नेहरा के जो आदमी हैं वे उग्रवादियों को ठहराते हैं और चीफ मिनिस्टर मेरे ही आदमियों के चालान करे यह न्याय की बात है। जो गुरजंट सिंह राजस्थानी है वह 6 महीने तक तेजाखेड़ा में रहा और ओम प्रकाश चौटाला के पास रहा। वह आपका मास्टर है। उग्रवादियों के पास जितनी भी गाड़ियां थीं वे सारी आपकी गाड़ियां थीं। यदि किसी ने आपको टाटा कह दिया तो आप कहते हैं कि क्या टाडा लगा है। आपके हरि सिंह पर टाडा क्यों लगाया गया क्योंकि वह पिस्तौल ले कर आया था। यह बात सही है कि वास्तव में वह पिस्तौल लाते हुए पकड़ा गया था इसलिए उस पर टाडा लगाया गया है। आप कहते हैं कि हरि सिंह पर टाडा लगाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला कहता है कि उसके०पर टाडा लगासे हैं। अब आप देखिए ओम प्रकाश चौटाला पहले तो कहता था कि हमारे लोगों पर टाडा लगाते हैं और अब मेरे०पर इलजाम लगाता है कि मेरे पर टाडा लगना चाहिए। आप विरोधाभास देखिए। आप इस सरकार का यह बड़प्पन देखें कि इस सरकार ने निष्पक्ष तौर

पर जो कार्यवाही की है वह ठीक की है। स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि इन्होंने मेरे०पर बाई नेम जो स्पैशल इलजाम लगाया है वह सदन की कार्यवाही से डिलीट होना चाहिए। आप इनको इतनी फ्रीडम भी न दें कि ये हर आदमी पर ऐलीगेशन लगा दें। ये अपने आप में झांक कर देखें कि इनके राज में कितनी गुण्डागर्दी थी और किस तरह से इन्होंने राज चलाया मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको आप समझाएं। ये बगैर मतलब के हर बीत में बोलने के लिए खडे हो जाते हैं। इनको तभी बोलना चाहिए जब आप इनको बोलने की इजाजत दें। ये हर प्वायंट पर खड़े हो जाते हैं। सदन का समय नष्ट करते हैं। इनको तो वैसे ही हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए। धन्यवाद।

मन्त्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री धीरपाल सिंह (बादली): अध्यक्ष महोदय, हाउस में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक साल के शासन में कांग्रेस पार्टी की भजन लाल सरकार ने जो काले कारनामे किए हैं उनके कारण हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री ने पिछले सैशन में हाउस के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि बिना फाजिल्का अबोहर लिए ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाएगा जिसके कारण हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ कोई खिलावाड़ हो। हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने

दिया जाएगा। कभी शिमला से, कभी बेरी से और कभी दिल्ली से मुख्य मती बार बार अपना ब्यान बदल कर हरियाणा के पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस मामले में मैंने अपना रवैया चेंज कर लिया है। आज अबोहर–फाजिल्का, चण्डीगढ़ और एस० वाई० एल० का मसला हरियाणा प्रदेश के हितों से जुड़ा हुआ है। खासकर एस० वाई० एल० नहर के साथ हरियाणा का हित तो विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। ये अपनी पब्लिक मीटिंगों में इस नहर के निर्माण के बारे में अलग अलग ब्यान देते हैं। पहले ये कहते थे कि यह नहर छरू महीने में बन कर तैयार हो जायेगी। अब तक तो यह नहर बन नहीं पाई। अब इन्होंने कहा है कि जब भी इस नहर पर कार्य शुरू होगा तो उसके एक सोल के अन्दर अन्दर इस नहर का काम पूरा हो जायेगा जबकि पहले चुनाव के दौरान कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद नहर को एक साल में पूरा करवा देगी। अब कब काम शुरु होगा और कब एक साल पूरा होगा, यह किसी को कुछ नहीं पता। इस नहर का पानी न आने के कारण झज्जर, नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अव इस नहर के बारे में मुख्य मंत्री जो बार बार व्यान बदल कर कह रहे हैं कि मैंने अपना रवैया चेंज कर लिया है। इनकी गलत ब्यानबाजी के कारण लोगों का इस सरकार से विश्वास उठता ना रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने शुरु

में कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद राज्य में पूरा अमन–चौन होगा 1 मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि 6 अप्रैल, 1992 को बाबला गांव की पंचायत में एक महिला पंच का को–औप्शन होना था। उस गांव का सरपंच, उसका भाई और वह महिला एस० डी० एम० के ओफिस में जाने के लिए आए। परन्तु गजब की बात है कि जब वह सतबीर सिंह नाम का सरपंच बी० डी० ओ० के औफिस से निकला तो ढाबला गांव के टेका पहलवान ने जो कि मुख्य मंत्री जी का चमचा है, उसे गिरेबान से पकड लिया और उसे काफी धमकाया। इस पर सरपंच ने कहा कि मैं तो क्या मेरी आने वाली छः पीढ़ियां भी कभी भी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन मेरी जान बख्श दो। उसके बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उस पहलवान ने, जो मुख्यमंत्री जी का चमचा है, उसकी कनपटी पर रिवौल्वर रख कर औफिस में लोगों के सामने ही उसे उड़ा दिया। यह बात 6 अप्रैल, 1992 की है। इससे भी बड़े गजब की बात यदु है कि इतना कुछ होने के बाद भी वह पहलवान 6 अप्रैल, 1992 से लेकर 10 अप्रैल, 1992 तक झज्जर में बेधड़क घूमता रहा। उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। स्पीकर साहब, मेहम कांड के०पर जो रिपोर्ट आई है उस के अन्दर कांग्रेस के लोगों को ही नंगा किया गया है। उस रिपोर्ट को सरकार ने दबा दिया और उस पर आज तक कोई ऐक्शन नहीं लिया। इसी तरह का एक हादसा पानीपत की एक बेटी के साथ भी हुआ है। पानीपत की एक बेटी काम के लिए गई तो रोहतक के कुछ गुण्डे उसको उठा कर ले गए। एक सप्ताह तक उसके साथ बलात्कार

करते रहे। उसके बाद चौधरी भजन लाल के किसी साथी ने, जो कांस्टेबल है, उस पर मेहरबानी की। वह उन गुण्डों से उस बेटी को छुड़ा ले गया और अपने पास रखा। फिर इस बेटी के साथ 15 दिन तक वह और उसके साथी जो दुनिया में बुरे से बुरा काम होता है करते रहे। 15 दिन के बाद वह उसकी गिरफत से निकल करके पानीपत आई। उसने अपने मां बाप के सामने बताया कि उसके साथ क्या क्या जुल्म होते रहे। उसके बाद वे कोर्ट में पेश हुए और तब जा कर उनको गिरफतार करने के आदेश हुए। इसी तरह का हादसा, स्पीकर साहब, रोहतक के अन्दर भी हुआ। एक बेटी, उसकी मां और उसका पिता घूमने के लिए जा रहे थे। कांग्रेस के तीन गुण्डे दारू पी कर मारूति कार में आए और धक्का देकर लड़की को अन्दर डाल लिया। इस पर लड़की ने शोर मचाया और जो भाई वहां पर घूम रहे थे उन्होंने उस कार को रोकने की कोशिश की। दो तो भाग गए और एक पकड़ लिया गया। एस० पी० रोहतक ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पकड़े हुए व्यक्ति से जानकारी लेकर उन बचे हुए दोनों कांग्रेस के वर्करों को पकड़ा, उनको गिरफतार किया और गिरफतारी के बाद उन्होंने कहा कि इनका काला मुंह करके सारे शहर में घुमाया जाये। इस पर कांग्रेस का एक एम० एल० ए० जाता है और वह यह कहता है कि ये मेरे आदमी हैं इनको छोड़ दो। एस० पी० ने कहा कि नहीं इन्होंने समाज में घृणित कार्य किया है, समाज में निन्दनीय कार्य किया है इसलिए इनका काला मुंह होना चाहिए और इनको इनके गांवों में, इनकी सुसराल में, इनकी जान पहचान में घुमाया जाना

चाहिए। उन्होंने फिर भी दबाव दियां और मुख्य मैली जी जो दुहाई देते थे एक साल पहले कि इनका जो घोषणा पत्र था, चौधरी भजन लाल जी को, कि मेरे राज में हरियाणा प्रदेश की बहन बेटियां एक किलो सोने का आभूषण पहन कर रात के 12 बजे घूम सकेंगी उसके उल्ट काम हो रहे हैं। आज प्रदेश में, इनके राज में हरियाणा प्रदेश की बहन–बेटियों को यातनाएं दी जौ रही हैं, उनसे बलात्कार हो रहे हैं सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। इस बात को ले कर हरियाणा की एक–एक बेटी और एक–एक सम्मानित नागरिक को चिन्ता है कि कल क्या होगा। (विध्न)स्पीकर साहब, मैं एक और एस० पी० का जिक्र करना चाहूंगा। उन पर दबाव डाला गया, कुछ लोग मुख्य मन्त्री जी से मिले और मुख्य मन्त्री जी ने बिना बात की जानकारी किए, बिना तथ्यों के पतों लगाए ही उसका ट्रांसफर कर दिया। जो मुख्य मन्त्री कानून–व्यवस्था की दुहाई देता है, जो मुख्य मन्त्री इस तरह की चर्चाएं करता था उसी के राज में उस अधिकारी को जो ईमानदारी से काम करता है, लोगों के जान और माल की रक्षा करता है, लोगों की बहू–बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करता है, ट्रांसफर कर दिया। स्पीकर साहब, ट्रांसफर किसी को डराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अधिकारियों के ट्रांसफर होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे लेकिन अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देने की बजाए यदि उसका ट्रांसफर किया जाए और मुख्य मन्त्री जी इस बात की

दुहाई दें कि हम इस प्रदेश के रखवाले हैं, कानून के रखवाले हैं तो कोई अच्छी बात नहीं।

इसी तरह की घटना पलवल की एक हरिजन बेटी के साथ हुई। कुछ लो गों ने उसको वहां से उठाया और बलात्कार कि या। जब हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया तब जा कर प्रशासन ने इस पर कार्यवाही की और उस वे चारी को वापिस लाया गया। स्पीकर साहब, आज प्रदेश में कानून–व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज एक– एक नागरिक भयभीत हैं।

स्पीकर साहब, इसके बाद मैं सहकारिता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। (इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य, चौधरी फूल चन्द मुलाना, पदासीन हुए)चेयरमैन साहब, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में 120 करोड के रुपये के कर्जे और ब्याज की माफी की बात कही थी। चेयरमैन साहब, जिस ढंग से आज वसूली हुई है इस बारे में विपक्ष के नेता ने भी कहा। वसूली के दौ रान एक–एक नागरिक को जिस ढंग से टौरचर किया गया उससे कई लोग मर गए, कई लोगों को भूखा रखा गया और यातनाएं दी गईं। अगर लोकतन्त्र में आजादी के इतने वर्षों के बाद वसूली का यही ढंग है तो इससे बुरा समय इस हरियाणा प्रदेश में नहीं हो सकता है। लेन– देन का काम तो होत ही है। किसान कर्ज लेता है। किसी कारणवश अगर वह अदायगी नहीं कर पाता तो डिफाल्टर होने के बाद वह 18 परसैंट ब्याज देता है। आज हरको बैक के एम० डी० साहब बहुत ही गलत ढंग

से काम कर रहे हैं। बैक की वसूली अच्छी हो गई क्योंकि लोगों को मार पड़ी। जो भी मिले उसको पकड़ो और गाड़ी में डालो, अन्दर करो, जूते मारो। मुख्य मन्त्री जी की ओर से एक आदेश था कि किसी भी ढंग से हो, कितना ही बेहूदा ढंग इस्तेमाल करो परन्तु वसूली की जाए। चेयरमैन साहब, इस ढंग से वसूलियां नहीं होनी चाहिएं। लेन–देन की प्रथा तो बनी ही हुई है। अगर किसान भय मीत हो जाएगा तो पैसा लेगा ही नहीं। अगर किसान पैसा नहीं लेगा तो इन बैंकों का काम ठप्प हो जाएगा। जो अच्छी वसूली हुई उसका एक और कारण भी है। एम० डी० साहब ने एक नई स्कीम शुरु की जिसको तोहफा स्कीम कहते हैं। उस तोहफा स्कीम में 1500– 1500 रुपये की घड़ियां आई० ए० एस० अधिकारियों को दी गईं। अगर उन का नाम लिया जाए तो वे नाराज हो जाएंगे लेकिन यह फैक्ट है कि घड़ियां उनको दी गईं और सफारी सूट भी दिए गए। चेयरमैन साहब, जिस साथी ने वसूली में अच्छे ढंग से काम किया है उसकी मैं चर्चा नहीं करता लेकिन जिन लोगों ने निन्दनीय कार्य किया है, हमारे किसानों को हमारे लोनीज को बेहूदा ढंग से पीटा है वह अच्छा नहीं किया है। जिस ने लोनी को प्रभावित कर के अच्छे–बुरे का ज्ञान करवा कर और समझा–बुझा कर वसूली की है जिसकी वजह से बैंक को लाभ हुआ है, वह साथी जरूर तोहफे का हकदार है। कुछ ऐसे भी अफसर थे जिन्होंने कहा था कि ..... क्या हमारा नाम इस लिस्ट में नही है? (विध्न)यह बात वहां से आउट हुई। मैं एक

ऐसे अधिकारी की प्रशंसा भी करता हूं जिन्होंने तोहफे को वापिस भी किया है। (विघ्न)

चौधरी जगदीश नेहराः चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज करूंगा कि किसी का नाम रिकार्ड पर नही आना चाहिए as naming of a person, who is not present in the House to defend himself, is not according to the parliamentary practice.

श्री सभापति नेहरा साहब की बात ठीक है, नाम डिलीट कर दिया जाए।

श्री धीरपाल सिंहः चेयरमैन साहब, ऐसे भी आई० ए० एस० अधिकारी हैं जिन्होने तोहफा लेने से मना कर दिया। अभी हरकों बैक से 8 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे गए जिस पर हरको बैक ने 2 परसैंट कमीशन दिया है। 8 करोड़ पर 2 परसैंट के हिसाब से 16 लाख रुपये बनते हैं। 16 लाख प्राप्त करने के लिए बोगस बिचौलिया खड़ा किया गया। (विध्न)एम० डी० साहब, चेयरमैन साहब ओर हमारे मुख्य मन्त्री जी के कुंवर साहब भी हो सकते हैं, तीनों ने उसको बांट लिया। पैसा बैंक का है। 8 करोड़ पर जो कमीशन मिला वह बैक में जाना चाहिए था लेकिन बोगस बिचौलिया खड़ा करके, उसके नाम से विदड्रा करके, 16 लाख रुपये का चूना इस तरह से बैंक को लगाया गया। (घण्टी)

श्री सभापतिः आपका समय खत्म हो गया है।

चौधरी जगदीश नेहराः आपको शायद अपना टाईम याद आ रहा है जब आप कोआप्रेटिव मिनिस्टर थे। तब ये हरकतें होती थी। अब ये नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है क्योंकि हमारी 50 फीसदी वसूली हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है।

श्री धीरपाल सिंहः यह तो सब मार–पीट कर वसूली की जाती है, लोगों को यातनाएं देकर वसूली की जाती है और जेलों में डाल कर वसूलों हुई है।

चौधरी जगदीश नेहराः चेयरमैन साहब, जो ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। लोग अपनी मर्जी से देते हैं। इनको तो इनका समय याद आ रहा है। इनके समय में ही इस तरह से बन्दर बांट करते थे और धीरपाल जी आपने तो कोआप्रेटिव डिपार्टमैट के मिनिस्टर होते हुए ऐसा किया है और अब आप हमारे०पर ऐसे ऐलीगेशन लगा रहे हे।

श्री धीरपाल सिंहः चेयरमैन साहब, मैं तो रिकार्ड की बात कर रहा हूं।

श्री सभापतिः धीरपाल जी, अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री धीरपाल सिंहः चेयरमैन साहब, फरीदाबाद में जो ग्रीन बैल्ट में 15 लाख रुपये के प्लाट काटे गए हैं उनके बारे में हमारे भाई हाऊस में कह रहे हैं कि पैसे०पर गए है। एक लाख के०पर तीन लाख का प्रीमियम०पर जाने के नाम पर है तथा उसकी

45 लाख की राशि बनती है। चेयरमैन साहब, ग्रीन बैल्ट में जो भाव दिया गया है वह 50 रुपये प्रति गज के हिसाब से दिया गया है और मार्किट वैल्यू 2,500 रुपये प्रति गज के हिसाब से है। जो 15 प्लाट ग्रीन बैल्ट में काटे गए हैं उसकी राशि एक ही नाम पर और एक ही जगह पर गई है और 45 लाख रुपये जमा हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं और उससे लोगों में शंका जाहिर होती है।

चौधरी भजन लालः यह तो आपके जमाने की बात है। आप अब एक भी ऐसी ग्रीन बैल्ट बता दें। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंहः चौधरी साहब, मैं तो फरीदाबाद की बात कह रहा हू, आप इन्कवायरी करवा लो। (शोर एवं व्यवधान)दूसरे, चेयरमैन साहब, बिजली का भी बहुत ही बुरा हाल है। मैं गांव में रहता हूं और डेली बिजली जाती है। पता नही इन्हें हमारे हल्के से क्या भेद–भाव है। यह तो हरियाणा में ही लोग जानते हैं कि बिजली की कितनी कमी है। यह तो वह बात हुई कि 'माप ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों।'' चेयरमैन साहब, ये कहते हैं कि बिजली की पैदावार बढ़ी है। अगर बिजली की पैदावार बढ़ी है तो सप्लाई कहां गई है? सिर्फ मेरी बात नहीं है हमारे बहुत से साथी बैठे है, आपकी पार्टी के लोग बैठे हैं और एक'–एक नागरिक जो हरियाणा में रहता है आप उनसे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चेयरमैन साहब, एक समय था जब

हमारे गांव में 24 घण्टे बिजली रहती थी लेकिन इन के आने के बाद बिजली ही नहीं मिलती और आज हमें अगर आटा पिसाना है तो हमें साथ के गांव झांसा जाना पड़ता है, कोई और काम कराना है तो झांसा' जा ना पड़ता है। चेयरमैन साहब, मुझे एक कहावत याद आ गई इस बात पर कि किस किस चीज की कहां कहां चर्चा करूं। एक बार एक गुरू चेला यावा पर' जा रहे थे। वे रास्ते में एक कुएं से पानी पीने लगे। जो गुरू था वह सियाना था। उसने पनिहारी से पूछा कि बेटी यहां किसका राज है? वह कहने लगी कि महाराज यहां पोपोपाई का राज है। वह समझ गया कि यहां अनर्थ हो रहा है, यहां पर कोई कानून–व्यवस्था नहीं है, यहां धर्म नहीं है और न ही इन्सानियत है। तो गुरु जी वापिस चले गए। चेला जो था वह जिद्दी था, उसे ज्ञान नही था और वह आगे शहर की तरफ चल पड़ा। उसने सहर में जाकर जानकारी प्राप्त की। वहां पर घी टका सेर, आटा टका सेर आदि– आदि। तो उसने सोचा दाल, आटा लेकर क्यों परेशानी में पड़े। उसने दो सैर घी लिया और मूछों पर हाथ फेरने लगा। इतने में सरकारी कर्मचारियों ने आकर उसको पकड़ लिया। उसने उनसे कहा कि भाई मेरा दोष क्या है? मैंने तो पैसे देकर घी लिया है। उन्होंने कहा कि नही, आपको फांसी तोड़ी जायेगी। उसने फिर कहा कि भाई मेरा दोष तो बताओ। उन्होंने कहा कि दोष तो पौपौपाई ही बतायेंगी। उसने फिर कहा कि आप मुझे ये तो बताओ कि किस काम के लिए मुझे फांसी तोड़ी जा रही है। तब उन्होंने कहा कि कुम्हार का गधा मर गया है और उन्होंने रानी के दरबार में अपील

की है। उसने कहा कि गधा तो सुनार की दीवार के गिरने से मरा है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहराः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। यह जो उदाहरण दे रहे हैं इससे इनका क्या मतलब है? (विध्न)धीरपाल जी, आप एक पार्टी के प्रधान है और आपको ऐसा उदाहरण नही देना चाहिए।

श्री धीरपाल सिंहः चेयरमैन साहब, फिर उसने कहा कि आपको सुनार को फांसी तोड़नी चाहिए। फिर वे सुनार के पास गये। सुनार ने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है बल्कि दोष तो कारीगर का है इसलिए आप कारीगर को फांसी तोड़ो। कारीगर ने कहा कि मेरा दोष नहीं है। मैंने मजदूर से कहा था कि मिट्टी को ठीक ढंग से तैयार करना जिससे दीवार ठीक रहे। इसलिए आपको मजदूर को फांसी तोड़नी चाहिए। लेकिन मजदूर ने कुम्हार का नाम ले दिया और कह दिया कि वह मिट्टी एक ही प्रकार की लेकर आया था जिससे ठीक चिनाई नही हो सकती थी। इसलिए आपको कुम्हार को फांसी तोड़नी चाहिए और जब कुम्हार को फांसी तोड़ने लगे तो वह उसके अन्दर गिर गया। फिर कहने लगा कि जिसके फांसी फिट आए उसे फांसी तोड़ो। चेयरमैन साहब, इसी तरह से आज हरियाणा में टाडा का उपयोग हो रहा है। टाडा किस पर लगे? निर्दोष लोगों पर लगे। यातनाएं किसको दी जायें? निर्दोष लोगों को दी जायें।

इसके अलावा, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार की गांव के बच्चों को अनपढ़ बनाने की एक योजना है। भविष्य में ऐसे बच्चों को हरियाणा में इकट्ठा कर दिया जायेगा जो अनपढ़ होंगे, बेवकूफ होंगे, जिनके पास ज्ञान नहीं होगा और ऐसे यच्चे अफरा तफरी का ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसके वारे में कहा नहीं जा सकता। इसका दोष हम पर भी होगा और आप पर भी होगा कि हम ऐसी औलाद पैदा कर रहे हैं जो केवल मूर्ख है और जिसके पास ज्ञान नही है, जिसके पास शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं होगी बल्कि सार्टिफिकेट ही होंगे।

श्री सभापतिः धीरपाल जी अब आप बैठिये।

साथी लहरी सिंह (रादौर–अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया है इसके बारे में मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार तुरन्त इस्तीफा देकर अपने घर चली जाये। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे सैन्टर की गवर्नमैंट हो या दुनिया भर की कोई भी गवर्नमैंट हो, उसका लोक सम्पर्क विभाग बड़ा भारी मायने रखता है। अभी पिछले दिनों अखबारों में खबर छपी थी कि हमारे भाई कृष्णलाल को मंत्री बना दिया गया है। हमने इसके लिए उनको बधाई भी दे दी थी। अन्य सभी मंत्रियों की फोटो के नीचे कृष्णलाल की भी फोटो लगा दी गयी थी जो कि एस० जे० पी० के एक माननीय सदस्य हैं। सभापति

महोदय, इससे ज्यादा और आप क्या नालायकी देख सकते हैं? आप स्वयं अन्दाजा लगाइये कि वे औफिसर्ज क्या करते हैं, सुबह से शाम तक किस बात की तनख्वाह लेते हैं? जब हमने कृष्णलाल को मंडी बनने के लिए बधाई दी तो उन्होंने अगले ही दिन इस बात का अखबारों में खन्डन किया। इस बात से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार की कितनी अच्छी काबलियत है? (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली बार सैशन में औन दी फ्लोर औफ दी हाऊस यह बात कही थी कि प्रदेश में 31 मार्च तक सब सड़कें ठीक हो जायेंगी। उसके बाद 30 अप्रैल की डेट दी गयी। (विघ्न) मैं अब आपको बता रहा हूं कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप पैदल भी चलो तो भी आपको पता चलेगा। कुरूक्षेत्र से बबैन, बबैन से बराड़ा, रादौर से मुस्तफाबाद, रादौर से गुमथला, यमुना नगर से करनाल तक जो यमुना नहर के साथ–साथ सड़कें जाती हैं, ये सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। इनके०पर बिचुमैन भी नहीं लगाया गया, और रोड़ी भी नही लगायी गयी। मैं यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मैली महोदय ने उस समय यह वायदा किया था कि स्टेट की सारी सड़कें रिपेयर की जायेंगी। उस वायदे को कम से कम एरा तो करना चाहिये। सभी हल्कों को समान समझना चाहिये। उधर शाहबाद हल्का शुरु होता है जो मेरे हल्के के साथ पडता है और इधर कुरूक्षेत्र का हल्का पड़ता है। शाहबाद की सारी सड़कें मुरम्मत हो गयीं लेकिन हमारा हल्का रह गया। उधर कुरूक्षेत्र की सारी सडकें ठीक हो गयी, लेकिन हमारे हल्के की सड़कें रह

गयीं। हमारे हल्के के साथ इन्द्री का हल्का छोड़ दिया गया, जगाधरी को हल्का छोड़ दिया गया। यह क्या बात है? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कोई कसूर कर रखा है जो इस तरह से राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है? अगर सरकार इसी तरह से भेदभाव करना चाहती है तो इसके रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मेरा अपना गांव खडकाली है, जो कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां पर एक–एक एकड में शराब के दो–दो ठेके खोल दिये हैं इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं कुरुक्षेत्र के डी० सी० साहब से मिला और यमुनानगर के डी० सी० साहब से भी मिला। एक यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में खोल दिया गया और दूसरा कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया गया। आप अन्दाजा लगाइये कि एक–एक किल्ले में दो दो ठेके रख दिये गये हैं। नजदीक ही बस अड्डा है।

श्री उपाध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज डिस्कशन का समय तो समाप्त हो रहा है लेकिन अभी चूंकि और सदस्य भी बोलना चाहेंगे तथा सी० एम० साहब ने भी बोलना है इसलिये डिस्कशन का समय तब तक के लिए, बढ़ाया जाता है।

साथी लहरी सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब उसकी वजह से हमारी बहिनें माताएं गांव से बाहर जोहड़–जंगल नहीं जा सकतीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सरकार इसी तरह से काम करती रही तो एक दिन वह आयेगा कि आप और हम भी नहीं बचेंगे।

शराबी लोग हमारे कपड़े फाड़ेंगे और लोग तमाशा देखंगे। इसके अलावा मेरा नम्र निवेदन यह है कि गन्ना मिल और ज्यादा देर तक चलायी जानी चाहिये। इस बारे में सरकारी पालिसी में थोड़ा फर्क तो आया है। हमारी कोआप्रेटिव शूगर मिल शाहबाद और करनाल की अगर 10 दिन और ज्यादा चल जाती तो किसानों का इतना ज्यादा नुक्सान नहीं होता। अब सरकार ने प्राइवेट गन्ना मिल से रिक्वैस्ट की है। मैं इसके लिये ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और यू० पी० के साथ लगते हुए इलाके से जो गन्ना पर्ची बिक जाने की वजह से यहां आता था उसको चौक किया है। इसके लिये बैरियर लगाये गये हैं। इस सिलसिले में ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन इस सब के बावजूइ भी हमारे किसानों का गन्ना रह गया है। अच्छा होता अगर हमारी कोआप्रेटिव शूगर मिल 10 दिन के लिये और ज्यादा गन्ना पड़ती। अगर ऐसा होता तो कोई ताकत नहीं थी कि प्राइवेट गन्ना मिल अपनी मिल न चलाती और आज जो गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा है, वह भी पिड़ जाता। यह बड़े ही दु:ख की बात है कि किसानों के साथ इतना बडा अन्याय हो रहा है। जो इन्होंने किया है, यह नहीं लेना चाहिये। इसके अलावा मैरी एक और गुजारिश है। सरकार ने जो अच्छा काम किया है, उसकी मैं तारीफ जरूर करना चाहता हूं। सरकार ने यह काम अच्छा किया है लेकिन इसके साथ ही भर्ती की बात भी मैं कहना चाहता हूं। चाहे वह क्लर्क की भर्ती हो चाहे चपड़ासी की भर्ती हो, चाहे एच० सी एस० की भर्ती हो या

इन्सपैक्टर्ज की भर्ती हो एक ही इलाके के लोग भर्ती किये जाते हैं। अम्बाला, करनाल यमुनानगर और कुरूक्षेत्र के इलाकों को भर्ती में इग्नोर कर रखा है। इन इलाकों को ऐसे टूटि करते हैं जैसे यह इलाके हरियाणा के इलाके ही नहीं हैं। यह वह इलाका है जहां पर अनाज सबसे ज्यादा पैदा होता है। अगर यह इलाका अनाज पैदा करना बन्द कर दे तो सारे भूखे मर जायेगे। (विघ्न) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो एस० एस० एस० बोर्ड की सिलैक्शन लिस्ट्स देखी उनमें सारे के सारे ही हिसार जिले के कैंडीडेट्स सिलैक्ट हुए हैं। यह सरासर' ज्यादती है। इससे बड़ा उदाहरण हम नहीं दे सकते। यह तो रिकार्ड पर है। सरकारी कागजों में रिकार्ड है। (शोर एवं व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कुरुक्षेत्र का इलाका है और यह वह इलाका है जहां न्याय और अन्याय का फैसला हुआ था। यह वह जगह है जहां कृष्ण जी ने अन्याय के खिलाफ उपदेश दिया था। अगर वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा तो वहां के लोग लाठियां लेकर खडे हो जाएंगे। इसलिए हमारे इलाके को न्याय देना होगा। आरक्षण की बात बारबार यहां आती है और जब शड्यूल्ड कास्ट्स के आरक्षण की बात उठाई जाती है तो सारे के सारे यहां पर रौला मचाने लग जाते है। जब कोई शड्यूल्ड कास्टस के बारे में क्वैश्चन आता है तो सब हंस पड़ते हैं। (शोर एवं व्यवधान)आज हालत यह है कि सोशल वैलफेयर और वैलफेयर औफ शड्यूल्ड कास्ट्स एंड शड्यूल्ड ट्राइब्ज दोनों महकमों के मिनिस्टर जाट हैं। सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट का कमिश्नर बाह्मण है। जब लोग

इनके पास जाते हैं तो ये उनको थ्रैट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सोशल वैलफेयर डिपांटमैंट में 42 आदमी रिवर्ट कर दिए। वहां पर साठ लड़कियां हटा दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, शड्यूल्ड कास्ट्स के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो हम देखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, जिसको जूता काटता है उसको ही दर्द होता है। हमारे साथ ज्यादती होती है तो हमें ही तकलीफ होती है और जब हमें तकलीफ होती एं तो हम बोलेंगे ही।

श्री सतबीर सिंह कादयानः आन ए प्याएंट औफ और्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने जाट और ब्राह्मण को 'ऐसे डिफाइन कर दिया जैसे वे इस देश के नागरिक ही नें हों। इनसे पूछा जाए कि' आज इन्होंने वोट किसको दिया है? यह बता दें कि इन्होंने वोट ब्राह्मण को दिया है या नहीं दिया? क्या इन्होंने शड्यूल्ड कास्ट्स को वोट दिया है? डिप्टी स्पीकर साहब, आप इनसे यह बात पूछ लीजिए।

साथी लहरी सिंहः हम तो उनके नाम के प्रोपोजर हैं। जिन्होंने सारी उमर जेल की कोठरी में काट दी उन्हीं को वोट दिया जाएगा। हम तो पंडित जी के नाम के प्रोपोजर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट के डायरैक्टर ने कत्ल कर रखा है। उसको आप हटवाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनी राम केहरवालाः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह का जो प्रस्ताव है और जिस पर हमारे साथी लहरी

सिंह बोल रहे हैं उस पर बोलते हुए बारबार जाट का नाम लेना ठीक नहीं है। मैं भी शड्यूल्ड कास्ट हू। बारबार किसी बिरादरी का नाम लेना ठीक नही है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जाट एक ऐसी बिरादरी से है जिसका दिल काफी बड़ा है। जाट सियाने लोग हैं। किसी भेदभाव की बात नहीं कहनी चाहिए। जब भी हरिजन के कौज के लिए लड़ने की बात आएगी तो जाट लड़ेंगे, ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा।

साथी लहरी सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हर कास्ट में अच्छे आदमी भी होते हैं और माड़े आदमी भी होते हैं। यह बात मैंने चार बार दोहराई थी। इससे आगे मैं यह कहना चाह रहा था कि जो एस० सी० विभाग है उसमें हैड आफ दी डिपार्टमैंट किसी एस० सी० को ही लगाया जाना चाहिये क्योंकि किसी एस० सी० कर्मचारी को उनके कार्यालय में जाने का गुरेज नहीं होगा लेकिन आज जो उस विभाग का डायरैक्टर लगा हुआ है उसके दफतर में किसी की जाने की हिम्मत नहीं पडती है। अगर कोई कर्मचारी कहीं हिम्मत करके वहां चला भी जाता है तो उसको बुरी तरह से डांट पड़ती है जिससे उसकी बुरी हालत हो जाती है। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे। इससे आगे मैं ऐडहौक अप्यायंटमैंट्स व परमोशज के बारे में कहना चाहूंगा कि आज सभी जगहों पर सभी परिपाटियों को ताक पर रखकर ऐडहौक अप्वायंटमैंट्स कर दी

जाती हैं। आज अगर एक क्लर्क भर्ती होता है तो कुछ ही देर के बाद वह असिसटैन्ट बन जाता है और एक दो साल असिसटैन्ट रहने के बाद फिर प्रमोट हो जाता है। जो रिजर्वेशन के लिये दूसरी और चौथी पोस्ट रिजर्व होती है, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कहीं पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह ऐडहौक की भर्ती बन्द होनी चाहिये। किसी तरह की भेदभाव की नीति नहीं अपनायी जानी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गांव के अन्दर चाहे कोई मजदूर है, बनिया है, जाट है, ब्राह्मण है, दूसरी कास्ट का है, चमार है, रोड है सभी मिल कर काम करते हैं उसी प्रकार सरकार को भी किसी प्रकार की कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली बोर्ड के बारे में भी चर्चा हुई। अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है और शाहबाद का पावर हाउस भी चालू कर दिया है। हमारे इंजीनियर्ज ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने मेहनत करके शाहबाद का 220 के० वी० का पावर हाउस चालू किया है। इससे उस इलाके के लोगों को काफी फर्क पड़ा है लेकिन इसके साथ मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हर बार हाउस में आश्वासन दे दिया जाता है कि बबैन का पावर हाउस, जोकि ग्रेडेशन में है, वह जल्दी ही चालू हो जाएगा। इस बारे में सुरजेवाला साहब ने भी आश्वासन दिया था लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पावर हाउस आज तक चालू नहीं हुआ है। उस पर कोई

कार्यवाही भी नहीं हुई है। शाहबाद से बबैन तक कोई लाईन नहीं खिंची है। इसी तरह से बसन्तपुरा पावर हाउस के बारे में हाउस में 10 बार अश्योर किया जा चुका है कि उसको बडे ट्रांसफारमर्ड लगाकर औगमैंट कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहां पर कोई ट्रांसफारमर नहीं बदले गये हैं। इस बारे में मैं कंस्ट्रकटिव सुझाव इस सरकार को देना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी सरकार की छवि बनाना चाहते हैं तो इस हरियाणा की प्रगति में खुलकर हिस्सा लो, इस हरियाणा की भूमि से प्यार करो लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि इस सरकार का हरियाणा के साथ कोई प्यार नहीं है। हो क्या रहा है कि की–पोस्टो पर लगे हुए जो गरजते अफसर हैं उनकी तरफ ही सरकार का ध्यान है।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)।

इसी तरह से कुछ बातें पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कहूंगा कि अगर आज कहीं उग्रवादी आ जाएं तो हमारे पुलिस की ऐडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिये कोई हथियार नहीं हैं। आज हरियाणा के अन्दर पुलिस की यह दुर्दशा है कि एस० पीज० और डी० एस० पीज० को गालियां दी जाती हैं। पुलिस के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, न ही उनके पास उग्रवादियों का पीछा करने के लिये कोई वाहन ही हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर सरकार अपनी पुलिस की प्रैस्टिज को बढ़ाना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है तो इसके लिये कोई

नार्मज फिकस किये जाएं, पुलिस को साधन सम्पन्न किया जाए क्योंकि उग्रवादी या दूसरी जो ताकतें हैं उनके पास इस तरह के पूरे साधन उपलब्ध हैं। हमारी निस्बत उनकी ताकत ज्यादा है। इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इससे आगे मैं एक बात का और जिकर करना चाहता हूं कि सैन्ट्रल सरकार के अन्दर भी शड्यूल्ड कास्टस का एक विभाग है और उसका जो कमिश्नर है, वह भी शड्यूल्ड कास्ट है। हमारी सरकार को भी उसी पैटर्न पर यहां पर डायरैक्टर की नियुक्ति करनी चाहिये।

अन्त में, मैं मार्किटिंग बोर्ड की कारगुजारी के बारे में कहना चाहूंगा कि उस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वे मेरे रादौर में ही ब्याहे हुए हैं। जब से वे चेयरमैन बने हैं रादौर हल्के की एक भी सड़क की वे मुरम्मत नहीं करवा पाए हैं। .....। (शोर)

श्री अध्यक्षः डूब कर मरना चाहिये' ये शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जाएं।

साथी लहरी सिंहः इससे ज्यादा मैं क्या कारगुजारी बताऊं। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी डिपार्टमैंट है रादौर उसके रिकार्ड में नहीं है। मेरी कास्टिचुऐंसी और मेरे जिले में अगर कोई काम न हो और इस तरह से मेरे इलाके के साथ भेदभाव हो तो मैं समझता हूं कि इस सरकार से निकम्मी कोई सरकार और नहीं आई। मैं और निवेदन

करता हूं कि इस सरकार को इस्तीफा दे कर घर चले जाना चाहिए और यह गद्दी हमें ताप देनी चाहिए। धन्यवाद।

पशु पालन मंत्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, हमारे अपोजीशन के साथी ने जो यह प्रस्ताव रखा है मैं इसल विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चौधरी सम्पत सिंह ने बोलते हुए बिजली ओर पानी की दशा के बारे में पिछले एक साल की बात की। चूंकि पिछने एक साल के अधिकतर भाग में इस महकमे का मैं इन्चार्ज रहा और आज भी मैं सरकार में मन्त्री हूं। इसलिए मैं इस बारे में बताना चाहता हूं वैसे तो कोई भी मन्त्री बता सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नहर के पानी की बात की। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे से पहले चार साल इनकी सरकार रही और ये चौधरी वीरेन्द्र सिंह के बाद स्वयं अधिकतर पीरियड तक इस महकमे के मन्त्री रहे। जिस वक्त हरियाणा में एक साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त हरियाणा के किसी एक रजवाहे की टेल पर पानी नहीं पहुंचाया था। उसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो यह था कि जो लाइनिंग का काम वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत हुआ पिछले चार साल के इनके कार्यकाल में उसकी कोई मरम्मत नही करवाई गई और सारी लाइनिंग टूट गई। जितने गऊ घाट थे वे टूट चुके थे। अध्यक्ष महोदय, आपके इलाके में भी नहर है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नहरों की क्या दशा थी। दूसरा कारण यह था कि इन्होंने पिछले चार सालों में नहरों के अन्दर जो मिट्टी आ

जाती है वह नहीं निकाली। (विघ्न) स्पीकर साहब, यमुना का पानी बरसात के दिनों में बहुत रेह लेकर आता है। वह रेह नहरों में जम जाता है जिस को हर साल निकालना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि उसके लिए पिछले चार सालों में पैसा ऐलोकेट किया गया था या नही। अगर किया गया था तो पता नहीं वह किस मद पर खर्च हुआ। लेकिन सच्च बात यह है किसी भी रजवाहे के अन्दर रेह बढ़ने की वजह से पानी चल नहीं सकता था। आज की सरकार ने पहले यह घोषणा की थी कि अगले 6 महीनों में हरियाणा की नहरों की जो लाइनिंग टूट गई है उसकी मरम्मत कराई जाएगी। जो खालें हैं उनकी मरम्मत कराई जाएगी और नहरों तथा रजवाहों की सफाई करवाई जाएगी और टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो बड़े सराहनीय कार्य इस दिशा में हुए। हरियाणा में जो 80– 90 परसैंट लाइनिंग टूट गई थी, जो गऊ घाट टूट गए थे वे बहुत से बहाल हो गए हैं। इसके अलावा 50 परसैंट खालों की भी मुरम्मत हुई और बाकी का काम चालू है। इसी प्रकार से रजवाहों के अन्दर जो रेत और रेह थी उसको साफ करके चार साल के बाद पहली बार हरियाणा प्रदेश में नहरों की टेल पर पानी पहुंचाया और किसानों ने इस बात को बड़ा भारी ऐप्रिशिऐट किया। स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात यह कही कि बर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट फेज श्री जो था वह सैक्शन नही हुआ।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। इनकी पूंछ तो तोड़ दी और अब ये लाण्डे तारीफ करने लग रहे हैं। क्या इनका राज्य सभा में जाने का इरादा है?

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हू क्योंकि इन्होंने नहरों की टेल पर पानी पहुंचाने के बारे में जिक्र किया है। बलाना गांव की टेल पर पानी पिछले एक साल से नहीं पहुंच रहा है। क्या ये बतायेंगे कि वह क्यों नही पहुंच रहा है? इसी तरह से अटोड़ा गांव की टेल पर पिछले एक साल से पानी नही पहुच रहा है। पिछला साल पहला ऐसा साल है जिसमें 15 अगस्त से पहले टैम्पोरेरी राइस सूटस भी आपके टाईम में नही मिला।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, पूंछ तो जानवरों के होती है, हमारे तो पूंछ है नहीं। इसलिये न हमारे पूंछ है और न कोई तोड़ सकता है। न ही मैंने राज्य सभा में जाना है और न ही किसी और सभा में जाना है। यही पर रहेंगे आप चिंता न करे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि वर्ल्ड बैक प्रोजैक्ट की जो फेज थी है उसके बारे में यह कहना कि सरकार की गलती की वजह से वह लैप्स हो गय–। या सैक्शन नही हुआ यह गलत बात है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैक प्रोजैक्ट फेज थी जो है उसके लिये 50 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है और उन्होंने 50 करोड़ रुपये की राशि इस साल के लिये ऐलोकेट कर दी है। चोधरी वीरेन्द्र सिंह ने बिजली के बारे में एक बात

कही हालांकि वह बहुत पहले बिजली मन्त्री थे और उनके। इस महकमे को काम देखने के लिये बहुत थोड़ा मौका मिला। उनका यह कहना है कि उन्होंने 15– 20 दिन के अन्दर अन्दर बिजली बहाल करके सारा सिस्टम चल दिया था। मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन चौधरी सम्पत सिंह ने जो बात कही है उस बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जब यह सरकार बनी उस वक्त हरियाणा प्रदेश के बहुत से हिस्सों में फीडर लाइनों पर भी और सब स्टेशंज पर भी बिजली बंद थी। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि उस वक्त कंज्यूमर लैवल के एक हजार ट्रांसफारमर डैमेज्ड थे, वे रिप्लेस नहीं हुए थे। उस समय बिजली बोर्ड के पास एक भी ट्रांसफारमर रिप्लेस करने के लिए नहीं था। हालांकि जब चार साल पहले कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमने एक ट्रांसफारमर बैक बनाया था। उस वक्त पूरे प्रान्त के विभिन्न भागों में 50– 50 और 100– 100 ट्रांसफारमर्ज हरेक सर्कल में रखते थे ताकि ऐमरजैन्सी में

ट्रांसफारमर रिप्लेस किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के बाद हमने एक हजार ट्रांसफारमर्ज रिप्लेस किए। इस सरकार के आने के बाद पहले दो महीने के 7– 8 हफ्ते के अन्दर अन्दर एक हजार ट्रासमारमर्ज रिप्लेस किए और फिर दोबारा से एक ट्रांसफारमर बैक बनाया है। पिछले 8– 10 महीनों में यह स्थिति रही है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कंज्यूमर लैवल का यदि कोई भी ट्रांसफारमर डैमेज होता था तो उसको 4–5

दिन के अन्दर–अन्दर रिप्लेस कर दिया जाता था। इसी प्रकार से सब स्टेशंज पर जो ट्रांसफारमर्ज हैं, जिनकी नौर्मली 20–25 लाख रुपए से ले कर 50 लाख रुपए तक कीमत होती है वह भी इनके समय के डैमेज्ड थे। उदाहरण के तौर पर सफीदों का 25 के०वी० का

ट्रांसफारमर डैमेज्ड था जिसके कारण पूरे एरिया में बिजली की सप्लाई नही हो रही थी। इसी तरह से करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के भी और दूसरी कई जगहों के सब स्टेशंज के ट्रांसफारमर्ज डैमेज्ड थे तो कांग्रेस सरकार ने जहा कंज्यूमर लैवल के ट्रांसफारमर्ज उपलब्ध कराए वहां सब स्टेशंज के ट्रांसफारमर्ज भी उपलब्ध कराए। जो पिछला 8– 10 महीने का समय गुजरा है उस दौरान दो दर्जन के करीब नए सब स्टेशंज अपग्रेड भी हुए हैं। उनमें 132 के०वी० सब स्टेशंज 66 के० वी० सब स्टेशंज और 33 के० वी० सब स्टेशंज हैं। बहुत सी लाईनें बनाई हैं। जो ट्रांसमीशन सिस्टम है उसको बहाल करना तो बड़ा मुश्किल है उसके लिये बेशुमार रुपया चाहिये लेकिन इनके०पर बहुत ही सन्तोषजनक काम हुआ है। (शोर)दूसरी बात इन्होंने यह कही कि किसानों को कितने घंटे बिजली मिलती है और प्रान्त को कितने घंटे बिजली मिलती है। अध्यक्ष महोदय यह रिकार्ड की बात है कि जब कांग्रेस सरकार ने टेक ओवर एक साल पहले किया था तो उस समय बिजली की रोज की औसतन पैदावार अढ़ाई सौ लाख यानी अढाई करोड़ यूनिट थी और उसमें से किसानों को सवा

करोड़ यूनिट के करीब बिजली मिलती थी। आज इस सरकार ने टेक ओवर करने के पहले 4 महीनों के अन्दर अन्दर रिकार्ड साढ़े तीन सौ लाख यूनिट बिजली रोज पैदा की है और खेती के लिये दो करोड़ और पौने दो करोड़ यूनिट के करीब औसतन बिजली रोज किसान को मिल रही है और बिजली पर किसी प्रकार का कोई कट नही था। जो बिजलीघर हैं, उनमें से कई बिजली घरों का प्लांट लोड फैक्टर भी 60– 70 और 75 प्रतिशत था। अध्यक्ष महोदय मैं यह बताना चाहता हूं कि जब 1987 में कांग्रेस सरकार गई थी तो यमुना– नगर का ताप बिजली घर जो इस प्रान्त का बिजली का सबसे बड़ा प्रोजैक्ट था, 800– 1000 यूनिट का जिसकी सारी सैक्शन हो चुकी थी, सारी ऐप्रूवल हो चुकी थी, इनकी सरकार ने चार साल के अन्दर खुद उसको बनाने की बजाये अबन्डन कर दिया, छोड़ दिया और एन० टी० पी० सी० ने उसको टेक ओवर किया। इसी प्रकार से इन्होंने अपने समय में एक भी नया बिजली घर नहीं बनाया और जो पुराने बिजली घर थे, उनमें से किसी को रैनोवेट नहीं किया। आज की सरकार ने बहुत कोशिश और प्रयत्न से अब यमुना नगर के ताप बिजली घर को और फरीदाबाद के गैस बेसड प्लांट को दोनों को सैक्शन करवाया और यह उम्मीद है कि बहुत जल्दी प्रधान मन्त्री जी इनका शिलान्यास करके इनके०पर काम चालू करवायेगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस सरकार के समय में ही डिवैल्पमैंट के जो काम हैं उनके०पर बड़ी तत्परता और लग्न से काम होता है और इनकी सरकार हमेशा जो डिवैल्पमैंट के काम हैं उनका

निगलैक्ट करती रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर कई साथियों ने यह बात कही कि हरियाणा की सरकार जो है और हरियाणा के जो मन्त्री हैं, खासतौर से मेरा और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी का उन्होंने जिकर किया, पंजाब

के साथ जो इन्टर स्टेट इशूज हैं, अन्तर्राज्यीय मामले हैं, उन पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस बात में कोई भी वजन नही है। सही बात यह है कि पिछले 20 साल में, 25 साल में जब से हरियाणा बना है हरियाणा की विपक्ष की पार्टियों ने अन्तर्राज्यीय मामलों में राजनीति की है। राजनीतिक बातों के लिये ही इन मामलों को इस्ते– माल किया है। हर चुनाव से पहले उसको एक राजनीतिक मसला बना कर, उस. पर थोड़ा बहुत ऐजिटेशन कर के लोगों की भावनाओं को भड्का कर, हमेशा राजनीति और वोट की रोटी सेकने के लिये इन सारे मामलों को इस्तेमाल किया है। दो बार 3 साल और 4 साल के करीब इन लोगों को हरियाणा में राज करने का मौका मिला। इन्होंने न कभी नहर के मामले को आगे किया, न इन्होंने पानी के बारे में कोई निर्णय कराया और न ही इन्होंने राजधानी और हिन्दी स्पीकिंग एरियाज के बारे में कोई फैसला करवाया। जब ये सरकार के बाहर हो जाते हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं तो अपनी राजनीति करने के लिय जनता की भावनाएं भड़काने के लिये ही इन मामलों को दुबारा उठाते हैं और मैं इन पर यह इलजाम लगाता हूं कि ये जानबूझ कर इन सारे मामलों

को जिन्दा रखना चाहते हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं है कि कोई मसला हल हो। (शोर)

प्रो० राम बिलास शर्माः औन ए प्यायंट औफ आर्डर, सर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ साथी श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कहा है कि हम लोग इन मुद्दों को जिन्दा रखना चाहते हैं। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन मुद्दों को अपनी तरफ से खत्म कर चुके हैं और अब ये मुद्दे मुद्दे नही रहे हैं? हिन्दी स्पीकिंग एरिया का मुद्दा, एस० वाई० एल० का मसला, चण्डीगढ़ का मुद्दा क्या सुलझ गया है या ये मुद्दे अब कोई मुद्दे नही हैं? स्पीकर सर, मैं जोर दे कर कहना चाहता हू कि हां, हम इन मुद्दों को जिन्दा रखना चाहते हैं और तब तक इनको जिन्दा रखेंगे जब तक कि ये मुद्दे सुलझ नहीं जाते।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, अगर ये भाई इन मुद्दों को हल करने के लिये सिंसीयर होते तो जब इनकी सरकार थी तब ये क्यों सोये पड़े रहे? 4 साल तक इनकी सरकार रही। तब क्यों नहीं इन लोगों ने फाजिल्का–अबोहर का फैसला करवाया? क्यों नहीं इन लोगों ने एस० वाई० एल० के पानी का फैसला करवाया? इन बातों का इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस एक साल के दौरान कांग्रेस सरकार ने इन सारी बातों को हल करने के लिये एक सुखद वातावरण पैदा करने के लिये भरसक प्रयत्न किये हैं। अन्तर्राज्यीय मामलों पर पहली बार लोगों की

भावनाएं सहज हैं। आज पहली बार यह सिचुएशन है कि ये लोग इस प्रकार की बातों से जो वातावरण को भड़काते थे वह अब नही है। पंजाब और हरियाणा के बीच

इन विवादों को लेकर लोगों के बीच इन्होंने जो बगावत पैदा कर दी थी वह., आज पूर्ण रूप से फेल हो गई। हरियाणा के लोग अब पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि पानी का मसला आज हरियाणा के लिए सबसे अहम् है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है। मुख्य मंत्री जी बार–बार इस बात को कह चुके हैं और हम भी इस बात को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी बात चण्डीगढ़ के मसले की है। हरियाणा सरकार चाहती है कि इन मसलों को जल्दी हल किया जाए और पानी तथा एरिया के मसलों को हमेशा–हमेशा के लिए लटका कर न रखा जाए जबकि विपक्ष चाहता है कि ये मसले हल न हों। ये लोग कभी राजीव लौगोवाल समझौते का विरोध करते हैं, कभी इन्दिरा गांधी अवार्ड का हवाला देते हैं, कभी फिर राजीव–लौंगोवाल समझौते के बारे में कहते हैं कि उसको लागू करो और कभी इराडी ट्रिब्यूनल की बात करते हैं और कहते हैं कि इसको लागू करो। मैं विपक्ष पर इल्जाम लगाता हूं कि विपक्ष कन्फयूज्ड है और इनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है और न ही इनके मन मे सफाई है। इन मसलों के०पर इनका कोई भी आधार नहीं है सिवाय इसके कि इनको उलझा कर रखा जाए जब कि कांग्रेस इनको सुलझाना चाहती है। हरियाणा की राजधानी

आपने बनने नहीं दी। मैं विपक्ष के खिलाफ इल्जाम लगाता हूं कि इन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय किया है। हरियाणा पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको बने हुए 25 वर्ष हो चुके हें परन्तु अभी तक इसकी अपनी कोई राजधानी नहीं बन पाई। राजधानी न होने के कारण हरियाणा सांस्कृतिक तौर पर पहचान के रूप में पिछड़ा हुआ रहा है जब कि राजधानी इतना बड़ा प्रोजैक्ट है। कांग्रेस सरकार चाहती है कि हरियाणा की राजधानी बने। इससे एक ओर तो हरियाणा को अपनी पहचान मिलेगी और दूसरे हरियाणा की तरक्की होगी, लोगों को रोजगार के तथा नौकरियों के बेशुमार साधन मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा हरियाणा के हितों के लिये काम करती रही हे और इसने सारी स्टेट की भलाई के लिये कार्य किया है। अन्त में मैं बात कह कर बैठना चाहूंगा कि यह जो राजनीतिक भाषा है यह बिल्कुल गल, है। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि चौधरी देवी लाल जी ने नहर बनवाई, चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि मैंने नहर खुदवाई थी। स्पीकर साहब, इन में से न तो कोई कभी नहर के०पर गया और न ही कभी चौधरी बंसी लाल जी गए। खुदाई कब करवाई गई। इस नहर की खुदाई का खर्चा राजीव गांधी जी की सरकार ने बर्दाश्त किया था। इसलिये इस प्रोजैक्ट की कामयाबी का सेहरा राजीव गांधी जी को है जिनकी सरकार ने इस नहर को बनाने का सारा खर्च बर्दाश्त किया।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लालः आन ए पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन सर। अध्यक्ष महोदय जैसा कि अभी चौधरी शमशेर सिंह जी ने कहा कि नहर तो इन्होने खुदवाई है और

श्री राजीव गांधी ने खर्चा बर्दाश्त किया था। इससे पहले भी नहर खुदवाई गई थी तो उस समय खर्च कौन दिया करता था? ठीक है कि 110 करोड़ का खर्चा श्री राजीव गांधी ने दिया लेकिन उससे पहले जो खर्चा हुआ वह किसने किया? अध्यक्ष महोदय, यह फैसला मैंने ही श्री वी० पी० सिंह से करवाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब नहर बनी थी तो जो सी० ए० जी० ने पंजाब के फिगर्ज कोट किए हैं क्या ये उनको चौलेज करते हैं? (शोर एवं व्यवधान)मन्त्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री शमशेर सिंह तुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैंने न तो किसी की फिगर्ज को चौलेजं किया है और न ही करना चाहता हूं और न ही मैं इसकी तफसील में जाना चाहता हूं। मैं तो केवल एक राजनीतिक भाषा की बात करता हूं कि बतौर मुख्यमन्त्री के, मन्त्री के और सरकार के इनकी राजनीति में कोई जगह नहीं है बल्कि चौधरी बंसी लाल जी जो कुछ भी आपने

किया है वह आपने कांग्रेस की शक्ति के बल पर ही किया है क्योंकि आप तब कांग्रेस के ही मुख्यमन्त्री थे यदि आप आज कुछ करके दिखाएं तो हम मान लेगे कि आप व्यक्तिगत तौर पर कुछ कर सकते हैं और तो और मैं यह कहूंगा कि चाहे कोई मन्त्री हो, आप हो या और कोई हो सब पर यह बात लागू है कि यह कांग्रेस पार्टी की शक्ति है, लोगों की शक्ति है जोकि यह सारे काम करती है। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आज तो इनकी ही सरकार है 1 हरियाणा में भी, पंजाब में भी और केन्द्र में भी। तो आज ये नहर बनाकर देख लें।

(शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आज के अधिवेशन में 9.30 से 11.45 बजे तक का सवा दो घंटों का समय लिस्ट औफ बिजनैस पर लगा और लगभग 11.45 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार बहस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन का एक रोल होता है। अगर सरकार में कोई कमी है तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिये और सुझाव भी आने चाहिये। अगर ये अपोजिशन का रोल अदा करते तो हमें बेहद खुशी होती लेकिन इन्होंने सिवाए पर्सनल छीटाकशी के या सिवाय भद्दी किस्म की बात करने के कोई सुझाव नही दिया जो कि प्रदेश के हित में

हो। आज दैनिक ट्रिब्यून के एक कार्टून में ठीक ही लिखा हुआ था कि भजन लाल सरकार के विरुद्ध सजपा का अविश्वास प्रस्ताव, और नीचे लिखा हुआ था –

तीर न तरक्श, दम न निशाना। बस टेम पास करन की खातिर नौंटंकी चला रखे सै।''

अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को नौटंकी समझ रहे हैं। पिछले एक सैशन में भी ये अविश्वास का प्रस्ताव लाए और बहुत ही जोर–शोर से इन्होंने बहुत सी बातें कहीं। आज फिर ये अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। इनके पास और कोई प्रोग्राम नहीं है सिवाए इस बात के कि सरकार के। गालियां किस तरह से दे सकते हैं, सरकार को किस तरह से बदनाम कर सकते हैं, सरकार पर किस तरह छींटाकशी कर सकते हैं और सरकार को किस तरह से दूसरे माहौल में बदल सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले एक साल से पहले चौधरी देवी लाल की सरकार थी और इनका राज चार साल चला और उसमें सम्पत सिंह मन्त्री थे और ये अपने आपको काफी हद तक सर्वे सर्वा कहते थे। मुश्किल क्या है कि जब इंसान खड़ा होता है तो वह अपने सारे कारनामें, अपनी जितनी भी बेईमानिया होती हैं, जितनी ज्यादतियां होती हैं, जुर्म होते हैं और जिस तरह का माहौल इन्होंने प्रदेश में बनाया था उन सारी बातों को भुलाकर बोलने लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि इसका फैसला तो जनता ही करती है। जब हम दोबारा मैदान में

जाते हैं तो जनता उसका लेखा–जोखा देखती है और लेखा जोखा लेकर के उनको दुबारा चुनकर भेजती है। जितनी बुरी हालत, जितनी दुर्गति इस सजपा की हुई है वैसी दुनियां भर में किसी भी पार्टी की नहीं हुई होगी और न ही किसी पार्टी के लीडरों का ऐसा हाल हुआ होगा। चौधरी देवीलाल जी अपने आपको बहुत बड़ा लीडर कहते हैं और कहते हें कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला था ताज मेरे सिर पर आ गया था लेकिन मैंने यह ताज किसी दूसरे के सिर पर रख दिया। यह सब तो उनका ड्रामा था। उस व्यक्ति को कौन प्रधानमन्त्री बनायेगा जो गांव का सरपंच बनने के लायक भी नहीं हैं। (शोर)भजन लाल ने तो 1972 में ही चौधरी देवी लाल को हराया था यह आपको याद होना चाहिये। सम्पत सिंह जी आपकी भी इससे बुरी हालत होती अगर भजन लाल का हाथ नहीं होता और नही तो अब आप इस्तीफा देकर देख लो, मैं अपने लड़के को खड़ा करूंगा। अगर मेरा लड़का चुनाव हार जायेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको इस बात के लिये चौलेन्ज देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)छाज तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें सैकड़ों सुराख हों (शोर एवं व्यवधान)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

प्रो० सम्पत सिंह द्वारा

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। (शोर एवं व्यवधान)पिछली बार भी मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था और आज फिर ये कह रहे हैं। स्पीकर सर, करीब 15– 16 गांव में इनकी बिरादरी के लोग हैं और इन गांवों में मुझे 25– 30 हजार वोटों में से केवल 30–350 वोट मिले हैं। इन्होंने तो मुझे इन लोगों के भी वोट न देने के लिये पूरा जोर लगा लिया था। दूसरे जहां तक इस्तीफे की बात है, आज ही ये आदमपुर से इस्तीफा दें और मैं भी इस्तीफा देता हूं। उसके बाद चुनाव लड़कर देख लें तब इन्हें पता चल जायेगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह तो आदमपुर की बात करते हैं। मैं अपने मुहं से कहूं तो अच्छा नही लगता, यह तो सारे प्रदेश की जनता जानती है, यहां बैठे हुए लोग जानते हैं प्रैस के लोग जानते हैं कि भजन लाल की आदमपुर में क्या हैसियत है और इनकी क्या हैसियत है। (शोर)मैं आपके हल्के भट्ठू कलां से चौलेन्ज करता हूं कि आप इस्तीफा दें और वहां से मेरा लड़का चन्द्रमोहन आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा और अगर वह हार जायेगा तो मैं मुख्यमन्त्री पद से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। आप मेरी बात करते हो। आपकी हैसियत ही क्या है? क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा? क्या बात करते हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं इनकी नाक में दम करके तीसरी बार चुनाव जीत कर आया हूं और आगे भी आता रहूंगा। मैं आगे भी इनकी नाक में दम करके छाती पर मूंग दलूंगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा इनको चौलेन्ज है कि अगर ये अगली बार चुनाव जीतकर आ जायेगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अगर अगली बार ये भी चुनाव जीतकर आ जायेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप बैठिए। आपने जो चौलेंज किया है वह ठीक नहीं है क्योंकि आपका और इनका पलड़ा बराबर नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 1952 से लेकर आज तक 40 साल हो गये हैं और इस दौरान मैंने जो भी चुनाव लड़ा, परमात्मा की कृपा से उसमें कभी मुझे हार का मुहं नहीं देखना पड़ा। ये क्या बात करते हैं? (व्यवधान व शोर)अध्यक्ष महोदय, इन्सान को या तो ऐसी कोई बात कहनी नहीं चाहिये और अगर कहे तो सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिये। हमने वह बात कही है, जो रीजनेबल है। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी स्पीच कटिन्यू रखें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, सदन के नेता को इस तरह से गलत बातें यहां सदन में नहीं कहनी चाहिये।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, क्या इनको लाईसैन्स मिला हुआ है कि जो मर्जी आये, कहते रहें? हम तो इनकी बात का जवाब दे रहे हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो गलत हो। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप अपनी स्पीच कटिन्यू रखें।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं इनको इनकी वह बात याद दिलाना चाहता हूं जो इन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले कही थी कि मेरी औलाद राज– नीति में नहीं आ सकती। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः मैंने तो इनको चौलेंन्ज करने के लिये कहा है कि यह तो मेरे बेटे का भी मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा मूकाबला क्या करेगा? ये तो मेरे बच्चों का भी मुकाबला नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी स्पीच कटिन्यू रखें।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ये क्या बात करते हैं? क्या ये भजन लाल का मुकाबला कर सकते हैं? इनकी हैसियत ही क्या है? इन्सान जब बोलना शुरु करे तो उसे पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिये और बाद में दूसरों को कुछ कहना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोलते हुए इतने ऐलीगेशन लगा दिये जिनकी कोई हद नहीं है। यह भी इन्होंने कह दिया कि भजन लाल के घर में पुलिस का दफ्तर बना हुआ है और वहां पर पुलिस कीं भर्ती हुई है। क्या कभी मुख्य मती के घर पर भर्ती होने का सवाल पैदा हो सकता है? इनको बगैर सिर–पांव की और बगैर टांग पूंछ की बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसी बात कहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री धीर पाल सिंहः यह बात हमने नही कही, यह तो प्रैस वाले कहते हैं। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः प्रैस वालों ने भी इनके कहने पर कही होगी। मैं यह बात जानता हूं। (व्यवधान व शोर)बीच में क्यों बोलते हो, अमर कुछ कहा है तो सुनने की हिम्मत भी रखो।

श्री धीर पाल सिंहः आपकी कोठी में पुलिस का दफ्तर खुला है, यह अखबार वाले कहते हैं।

चौधरी भजन लालः आपने कहा और अखबार वालों ने छाप दिया तो क्या वह सारा ठीक हो गया? यह गलत बात है।

श्री अध्यक्षः धीर पाल सिंह जी, आप सीधे बात न करें, चेयर के धू बात करें।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, बीच में इस तरह से इनके द्वारा टोका–टाकी करने की बात ठीक नहीं है ये मेरी बात सुनने की कृपा करें। मैं इनकी एक–एक बात का जवाब दूंगा। जो बातें इन्होंने कही हैं, केवल उन्हीं का जवाब दूंगा। इन्होंने एक बड़ी भारी आलोचना की। कह दिया कि एक ही जाति के लोग सर्विस के अन्दर ले लिए। क्या उस जाति का कोई अधिकार नहीं है? मैं जाति–पाति की राजनीति नही करता। (विघ्न) जाति पाति की राजनीति तो आप करते हो। जातिवाद की राजनीति करके आप लोगों ने देश और प्रदेश का वातावरण बिगाड़ दिया है। अगर मैं जाति–पाति की राजनीति करता तो प्रदेश का तीसरी बार मुख्य मंत्री न बनता। इनको यह पता नही कि कुल 16 पोस्टें थी, उनमें से 5 जनरल कैटेगरी की पोस्टें थी। इन्हेंने कह दिया कि 6 बिश्नोई ले लिये।

प्रो० सम्पत सिंहः मैं अगेन चौलेन्ज करता हूं। मैंने 6 आदमियों के नाम बतायें चौधरी भजन लाल मैं बताऊंगा कि उनमें से कौन बिशनोई है और कौन जाट है। आपको यह तो पता है कि गोदारा बिशनोई भी होते हैं और जाट भी होते हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः लेकिन वह तो बिशनोई है।

चौधरी भजन लालः नही, वह जाट है, मैं जानता हूं। मैं यह कहता हूं कि अगर वह बिशनोई भी हैं तो क्या उसका अधिकार नही है? उसका भी अधिकार है। स्पीकर साहब, इन्होंने पिछले चार सालों में बिशनोई का नाम काट दिया। अगर चार साल में किसी बिशनोई का नाम आ गया और इनको पता लग गया कि यह बिशनोई है तो उसको नुक्सान पहुंचाया गया और किसी नौकरी में नहीं लिया गया। स्पीकर साहब, अगर भजन लाल उस नुक्सान को थोड़ा बहुत पूरा कर दे तो इसमें क्या ज्यादती है? हम सब को समान अवसर देते हैं। आप लोगों ने हरिजनों की भर्ती में जो वैकलॉग रखा अगर हम उसको पूरा करेगे तो इसमें ज्यादती की बात क्या है? हमने लोगों से वायदा किया था कि उनको इन्साफ देंगे। स्पीकर साहब, हम उस वायदे को पूरा करेगे। स्पीकर साहब, इन्होंने बोलते हुए कहा कि पचास पचास हजार रुपए भर्ती में लिए। स्पीकर साहब, इनको अपना जमाना याद आ गया। सारी जनता जानती है, अखबार वाले जानते हैं और सारे हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं कि इनके जमाने में कोई भर्ती, कोई तबदीली और कोई पोस्टिंग बगैर पैसे लिए नहीं होती थी। सब को इस बात का पता है। स्पीकर साहब इन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के मन्त्री जगह–जगह अलग–अलग मीटिंग करते हैं। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि सब लोग मीटिंग्ज करते हैं। स्टेट का जो इंट्रैस्ट है र सके बारे में सब मच्छी बात करेगे। इसमें बुराई क्या है? चौधरी शमशेर सिंह जी ने अभी सदन के सामने अपनी बात रखी है और उन्होंने सारे तथ्य सदन के सामने

रखे हैं। स्पीकर साहब, इनका चार साल राज्य रहा। आज ये चण्डीगढ़ और अबोहर–फाजिल्का की बात करते हैं लेकिन इन्होंने उन चार सालों में क्या किया। स्पीकर साहब, यहां पर पानी के बारे में बात कही गई। मैं इस बारे में सदन को बताऊंगा कि पानी के मामले में बारबार एक बात को दोहराना अच्छा नही लगता। स्पीकर साहब, पानी के मामले में चौधरी बंसी लाल किताब उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैंने नहर खुदवाई थी। कभी चौधरी देवीलाल कहते हैं कि मैंने नहर खुदवाई थी। लेकिन प्रदेश के लोग जानते हैं और देश के लोग जानते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इस नहर को आधारशिला किसने रखवाई थी। स्पीकर साहब, 1982 में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इस नहर की आधारशिला किसने रखवाई थी और पानी का फैसला किसने करवाया था, यह सब लोग जानते हैं। उस फैसले पर तीनों मुख्य मन्त्रियों के दस्तखत हुए थे। हरियाणा की तरफ से भजन लाल ने दस्तखत किए थे। पंजाब के मुख्य मन्त्री के उस फैसले पर दस्तखत हैं और राजस्थान के मुख्य मन्त्री के दस्तखत हैं। उस वक्त उन्होंने हरियाणा का पानी घटाया नही था। हरियाणा का हिस्सा 3. 5 एम० ए० एफ० और पंजाब का 4.2 एम० ए० एफ० था।

श्री बंसी लालः मैंने 4.22 कहा था। (व्यवधान एवं शोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, अकालियों ने यह कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते और तब राजीव गांधी के

साथ एक ऐकौर्ड किया गया और यह फैसला हुआ कि पानी का फैसला एक ट्रिब्यूनल करेगा। स्पीकर साहब, इरैडी कमीशन के नाम से एक कमीशन बिठाया गया। ट्रिब्यूनल ने हरियाणा का हिस्सा 3. 5 से बढ़ाकर 3. 83 एम० ए० एफ० कर दिया और पंज का पांच एम० ए० एफ० कर दिया क्योंकि कैचमैंट यूरिया में पानी बढ़ गया था। बढ़ा हुआ पानी दोनों प्रदेशों में बांट दिया। उसके बाद नहर का काम शुरु हुआ। उस वक्त पंजाब में सरदार दरबारा सिंह कांग्रेस के मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने नहर के लिये जमीन ऐक्वायर की और नहर का काम शुरू करवाया। उसके बाद श्री बरनाला मुख्य मन्त्री आए। उन्होंने भी जमीन ऐक्वायर करवाई और 75 से 80 परसैन्ट तक नहर का काम करवाया। स्पीकर साहब, पोजीशन अब यह है कि न तो कांग्रेस की सरकार अब कह सकती है कि हम उस फैसले को नहीं मानते क्योंकि उस वक्त सरदार दरबारा सिंह कांग्रेस के मुख्य मन्त्री थे और न ही अकाली मना कर सकते हैं क्योंकि श्री बरनाला अकाली मुख्य मन्त्री थे। अब कोई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोगों को गुमराह करने के लिये इस प्रकार का वातावरण पैदा न करें जिससे कि हरियाणा का केस कमजोर हो। यह मुनासिब बात नहीं है। एक बात का यहां पर इन्होंने जिकर किया कि बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन को काम दे दिया। हां दिया है लेकिन आपने एक बार नहीं कई बार कहा कि नहीं दिया। यह रिकार्ड की बात है, मैं गल्त बात नही कहता। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, 20 फरवरी, 1991 को हमने यह काम बी० आर० ओ० को दिलवाया था। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह गल्त कह रहे हैं। इन्होंने एक बार नहीं दसों बार यह कहा कि बी० आर० ओ० को काम नहीं दिया। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः मैंने स्पीकर सर, कभी नहीं कहा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। पहले सैशन में तो इन्होंने इस बात की हां ही नहीं भरी। पहले सैशन में तो आपने यह कहा कि यह गल्त बात है सारे हाउस को यह अच्छी तरह से पता है। धीरपाल जी आपकी पार्टी के प्रधान हैं, वे बैठे हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या कहा था? (शोर)चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। (शोर)

चौधरी भजन लालः जब आपको ही नही पता तो फिर इनको क्या पता होगा। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैंने बार बार यह कहा है कि फरवरी की 2० तारीख को प्रधान मन्त्री चन्द्रशेखर जी ने एक मीटिंग बुलायी थी। तारीख के बारे में हम कई बार इनसे पूछते

रहे लेकिन इन्होंने नहीं बताई। उस मीटिंग में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर व पंजाब के गवर्नर थे। इरीगेशन और पावर मिनिस्टर होने के नाते मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। भारत सरकार के डिफैन्स मिनिस्टर व होम मिनिस्टर भी उस मीटिंग में थे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा व चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। उस मीटिंग में प्रधान मन्त्री जी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया कि फौरन इस नहर का काम शुरु किया जाए। स्पीकर सर, मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं। बी० आर० ओ० द्वारा काम करने के आदेश डायरेक्टर जनरल को दिये गये। बी० आर० ओ० के डायरेक्टर जनरल रैकिंग करके भी गये हैं और उसके बाद जब से यह सरकार आई है, बी० आर० ओ० की ओर से कोई हलचल नहीं है और न ही कोई काम ही हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनको बीच में बोलने से रोका जाए। ये बोलते समय हम पर ऐलीगेशज लगाते रहे और हमने बीच में इनको कुछ नही कहा। इसलिये इनको भी हमें बोलते हुए बीच में नहीं टोकना चाहिये 1 ये अपोजीशन के लीडर हैं। इनमें लीडर की क्वालिटी होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि जब श्री चन्द्रशेखर जी प्रधानमन्त्री बने तो उन्होंने इस बात का फैसला किया था। चन्द्र शेखर जी तो कांग्रेस की स्पोर्ट से प्रधानमन्त्री बने थे और हमने श्री राजीव गांधी जी से प्रार्थना करके ही इस बात का फैसला करवाया था कि आप बीं०

आर० ओ० को आर्डर करो कि एस० वाई० एल० नहर बननी चाहिये क्योंकि सिविल इंजीनियर्ज इस नहर को नही बना सकते। आप बी० आर० ओ० से इस नहर को बनवाएं। यह सारा काम हमारे दबाव के कारण ही हुआ। चन्द्रशेखर जी कांग्रेस की स्पोर्ट से प्रधानमन्त्री बने थे। क्या वे अपने आप प्रधान मन्त्री बने थे? जब वे प्रधानमन्त्री थे तो आप कहां थे, इस बात का तो आपको पता ही नहीं। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कह दिया कि अब तक इस नहर का क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, पंजाब में अब हालात खराब हो गये हैं और आप जानते हैं कि इस समय पंजाब में चुनी हुई सरकार आ गयी है और चुनी हुई सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। इस संबंध में पांच–छरू मीटिंगें हमारी सरदार बेअन्त सिंह, मुख्यमन्त्री पंजाब, से हो चुकी हैं। ये कहते हैं कि पता नही क्या गुप्त मीटिंगें हुई है। सम्पत सिह जी, क्या कभी मीटिंगें भी गुप्त हुआ करती हैं? गुप्त मीटिंगें तो चौधरी देवीलाल जी सन्त फतेहसिंह जी से किया करते थे। अखबार ने कहीं भूल से चौधरी भजन लाल का नाम लिख दिया। सम्पत सिंह जी, उन दिनों में तो चौधरी भजन लाल बहुत छोटा आदमी था। एक अखबार ने यह लिखा है कि, ... (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, यह बिल्कुल गल्त बात है, इस को हाउस की कार्यवाही में से डिलीट करवाया जाना चाहिये। (शोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर सर, हम रिकार्ड की बात कहते है। फालतू बात कभी नही कहते। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, यह सरासर बिल्कुल गल्त कह रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्षः यह तो अखबार में लिखा हुआ है। वे अखबार का हवाला दे रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, यह बिल्कुल गल्त बै। यह ऐक्सपंज होना चाहिए। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जो बहुत सीनियर मैम्बर इस हाउस में बैठे हुए हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि आज वे इस बार में यहां कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे .....। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ये शब्द ऐक्सपंज किए जाएं .....। (शोर)

श्री अध्यक्षः ये दोनों ऐलीगेशंज ऐक्सपंज कर दिये जाएं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, छिप कर बात नही होती, बात जो होती है वह मामने होती है। बातचीत करके ही मसले का हल किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में सद्भावना पैदा हो और आपस में भाई चारा कायम

हो। हरियाणा और पंजाब आपस में दोनों छोटे बड़े भाई रहे हैं और इकट्ठे रहे हैं। बीच में एक कटुता पैदा हो गई, हम चाहते हैं 'कि उस कटुता को दूर किया जाए ओर सद्भावना के साथ बातचीत से मसले का हल किया जाए। मैं समझता हूं कि बातचीत कुछ हद तक नजदीक भी लगी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मसला बातचीत से हल होगा। चाहे वह पानी का है और चाहे वह टैरिटरी का है। चौधरी सम्पत सिंह और बंसी लाल जी ने कह दिया कि भजन लाल ने एक गांव कन्दूखेड़ा के लिये वहां पर जनगणना और रैफरैन्डम करवा दिया जिससे मामला बिगड़ गया। अध्यक्ष महोदय, आप ही बताएं कि उससे मामला क्या बिगड़ना था जब एक किलोमीटर का कोरिडोर जो एक फर्लांग चौड़ा था वह पहले ही मिला हुआ है। हमारी कोशिश यह थी कि उस गांव में भी हिन्दी बोलने वाले लोग हैं लेकिन आप जानते हैं कि वहां पर सरकार अकालियों की आ गई और उसने वहां पर उनकी भाषा पंजाबी लिख दो। उसके बावजूद भी वहां पर 38– 40 परसैंट लोग हिन्दी बोलने वाले मिले। वहा पर भारत सरकार के लोगों ने यह बात रिकार्ड की। अगर थोडी भी इन्साफ की बात होती तो वहां पर हर हालत में मैजोरिटी हिन्दी स्पीकिंग लोगों की मिलती और आज यह प्रोब्ल्म हमारे सामने न खड़ी होती। मैंने एक बात ठीक कही थी और आज भी हाउस के सामने कहता हूं कि आज पंजाब के हालात किस तरह के हैं कितने बुरे हैं लेकिन आपके लीडर कहते हैं कि पंजाब का मुख्य मन्त्री प्रकाश सिंह बादल बनना चाहिये। हरियाणा का पानी रोकने की बात सबसे पहले उन्होंने

कही थी और आप कहते हैं कि बादल मुख्य मन्त्री बनना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आदमी को वह बात कहनी चाहिये जो कम से कम लोगों को तो सही लगे। मैंने एक बात कही है कि पंजाब में हालात बहुत खराब हैं और इसकी सारी बदनामी हरियाणा पर आकर पड़ रही है कि हरियाणा बड़ा जिद्दी है, हरियाणा का रवैया ठीक नहीं है। हरियाणा का रवैया नर्म हो तो पंजाब में हालात ठीक हो सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि आप सब लोगों से मिलते हैं कि जितने भी अपोजीशन पार्टीज के लीडर हैं चाहे वह सी० पी० एम० के हैं, सी० पी० आई० के हैं, बी० जे० पी० के हैं या दूसरे लोग हैं। जब नेशनल इंटेग्रेशन पर /राष्ट्रीय एकता के लिये सैन्टर में मीटिंग्ज होती हैं तो उनमें एक बात आगे खड़ी हो जाती है कि साहब अगर हरियाणा का थोड़ा सा रवैया ठीक हो तो पंजाब में अमन और शान्ति हो सकती है। तब मैंने यह कहा कि हरियाणा और पंजाब भाई भाई हैं, अगर 5–7 गांव देने लेने से मामला सुलझता हो तो हम एक गांव के बदले उपरले 5–7 गांव पंजाब को दे सकते हैं ताकि फाजिल्का और अबोहर का एरिया हमें मिल जाए एक कंदूखेड़ा गांव बीच में रुकावट नहीं बने। कंदूखेड़ा की वजह से माहौल ठीक होने में बाधा आती हो तो कंदूखेड़ा हमें दिया जाए और उसके बदले पंजाब के साथ लगते हुए 5– 7 गांव जहां पंजाब चाहे हमारे से ले सकता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, यह कोई बुरी बात नहीं है। देश की एकता के लिये, देश की अखंडता के लिये और पंजाब तथा हरियाणा का

वातावरण ठीक बने, खराब न हो उसके लिए हम ऐसा करने के लिये तैयार हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैंने बेअन्त सिंह की बड़ी तारीफ की। अच्छे आदमी की हर आदमी हर समय तारीफ करता है। वे निहायत बढ़िया इन्सान हैं और अच्छे आदमी हैं। उन्होंने वातावरण को ठीक किया है। ऐसी हालत में उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा है। (विघ्न) आपकी पार्टी तो इलैक्शन को छोड़ कर उस तरफ मुहं करने का नाम भी नहीं लेती थी।

आवाजें: क्या वह कोई चुनाव था?

चौधरी भजन लाल: यह चुनाव नहीं था तो और क्या था? वहां पर चुनाव हुए और मैं इस बात के लिये बी० जे० पी० वालों को मुबारिकवाद देना चाहता हूं कि वे मैदान में तो खड़े रहे चाहे उनके आदमी कम जीते हैं (विघ्न) कहां थे आप लोग, आप लोगों का तो पता ही नहीं चला कि आप कहा चले गए? आप लोगों की क्या हालत हुई? आप बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जमुना वाटर इशू के बारे में एक बात कहो। ये जमुना वाटर इशू के बारे में ऐसी बात करके फिर से इस मामले को उलझाना चाहते हैं। इनका यही मकसद है कि किसी तरह से हरियाणा का कोई हित न हो जाए। जमुना वाटर के बारे में इन्होंने यह कहा कि वह केस दोबारा खोल दिया गया। क्या आपके कहने से केस खुलता है। इस बारे में पंजाब के मुख्य मन्त्री ने कोई बात नहीं कही। पंजाब के आई० पी० एम० का इस बारे में एक बयान छपा था वह मैंने पढ़ा है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः आप यह कहे कि उसमें यू० पी० और हरियाणा के इलावा किसी भी दूसरी स्टेट का हिस्सा नहीं है। (शोर)

चौधरी भजन लालः मैंने पहले भी बार बार यह कहा है और अब भी कहता हूं कि जमुना वाटर में पंजाब का कोई शेयर नही है। जमुना वाटर में टू थर्ड हरियाणा का शेयर है और वन थर्ड यू० पी० का है।

प्रो० सम्पत सिंहः दिल्ली का कितना शेयर है?

चौधरी भजन लालः अगर दिल्ली वाले पीने के लिये थोड़ा सा पानी मांग लें तो वह पानी देने का हमारा कर्त्तव्य बनता है। पीने के पानी के लिये लोग प्याऊ लगाते हैं। उस पानी में दिल्ली का शेयर न हो और वे पीने के लिये थोड़ा सा पानी मांग लें तो वह पानी देने का हमारा कर्त्तव्य बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बारे में भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय ने 19 तारीख को मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में जमुना वाटर के बारे में, हथनी कुंड बैराज के बारे में और एस० वाई० एल० कैनाल के बारे में बातचीत होगी ताकि एस० वाई० एल० कैनाल का काम जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एस० वाई० एल० कैनाल का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इस मामले को आप उलझा कर चले गए थे हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। इस मामले को आप लोग

बहुत ज्यादा उलझा कर चले गए थे उसको ठीक करने में समय लगेगा। आपके समय में स्टेट में किस तरह का वातावरण बना हुआ था, वह सभी को मालूम है। आप लोग कहते हैं कि आज स्टेट में मिस रुल हैं (विघ्न) मिस रुल की बात आप कहते हैं? जिसेका नाम ही मिस हो वह मिस रुल की बात कहे, यह बड़े गजब की बात है। आप लोगों के समय में स्टेट के अन्दर किस तरह का वातावरण था, किस तरह से लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जे किए जाते थे, लोगों के साथ किस तरह से ज्यादतिंया और जुल्म किए जाते थे, वह सभी को पता है। आपने और चौधरी बंसी लाल ने नाथूपुर गांव की पंचायत के बारे में एक बात कह दी। मैं आप लोगों से पूछता हू कि क्या पंचायत की जमीन सरकार बेचती है? पंचायत की जमीन के बारे में बाकायदा पंचायत प्रस्ताव पास करती है। पचायत प्रस्ताव पास करके बाकायदा डिप्टी कमिश्नर को भेजती है। डिप्टी कमिश्नर उस प्रस्ताव के बारे में हां या ना रिकमैड करके डायरैक्टर पंचायत के पास भेजते हैं। उसके बाद डायरैक्टर पंचायत उसकी मंजूरी देते हैं। पंचायत का प्रस्ताव मयूर होने के बाद जमीन को ओपन नीलामी होती है। उस नीलामी के बारे मे पंचायत बाकायदा अखबारों में ऐडवर्टाईजमैंट करती है। पंचायत बाकायदा जमीन की ओपन नीलामी करती है और उस जमीन को जो भी कोई आदमी लेना चाहता है, वह ले सकत।– है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने समय में जो गड़बड़ कर रखी थी, शायद ऐसी बातें कहने से उसकी लिपा–पोती हो जाए लेकिन आप लोगों ने जो जो गड़बड़

की उसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। अध्यक्ष महोदय, इनके राज के समय की एक बात मैं सदन को बताना चाहता हूं। यह बात अखबारों में भी छपी थी। आपने भी पढ़ी होगी। 700 एकड़ जमीन के बारे में जुडीशियरी ने फैसला दिया।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायट औफ आर्डर है। मुख्य मन्त्री द्वारा 700 एकड़ भेभीन के केस के बारे में कहने से पहले मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि नाथुपुर गांव की पंचायत की जो जमीन नीलाम हुई उसके बारे में यहां से डिवैल्पमैंट कमिश्नर ने जो इंस्ट्रक्शन्ज डिप्टी कमिश्नर को भेजी, वे कितनी फालो की गई? जिस किसी पंचायत को पंचायत की जमीन बेचनी हो उस पंचायत को यह लिखना पड़ता है कि वह किस काम के लिये वह जमीन बेचना चाहती है। इसलिये उस गांव की पंचायत ने जमीन बेचने के कौन–कौन से कारण लिखे हैं। यह भी ये कृ पया बता दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का पता करवाया था। इन्होंने इस बारे में अखबारों में जो स्टेटमैंट दी–उसको मैंने रिबट भी किया था। इनकी वह बात शायद एक या दो अखबारों में छपी थी, बाकी अखबारों में नही छपी। अध्यक्ष महोदय, एक बात तो इन्होंने यह कह दी कि उस समय पंचायतें थीं ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब तक नई पंचायतें नही चुनी गई थी, तब तक स्टेट में सारी की सारी पुरानी पंचायते काम करती रही थीं।

प्रो० सम्पत सिंहः उस समय पंचायतों से चार्ज ले लिया गया था और औफिसर्ज काम कर रहे थे, पंचायतें काम नहीं कर रही थी।

चौधरी भजन लालः मैं पंचायतों के चुनावों से पहले की बात कह रहा हूं। उस गांव की पंचायत ने प्रस्ताव पास कर दिया होगा, उसके बाद उसका चर्चा लिया होगा। पंचायतों के इलैक्शन्ज के साथ साथ पंचायतों का चार्ज लिया होगा।

श्री बंसी लालः उस समय सरपंच और पंच काम नही कर रहे थे उनसे चार्ज ले लिया गया था।

चौधरी भजन लालः चार्ज जिस समय लिया होगा उससे पहले उस पंचायत ने उस जमीन के बारे में प्रस्ताव पास करके भेज दिया होगा। पंचायतों के इलैक्शंज के साथ साथ चार्ज लिया था। अध्यक्ष महोदय, जिस किसी गांव की पंचायत ने पंचायत की जमीन बेचनी होती है वह उस जमीन के बारे में पहले प्रस्ताव पास करती हैं उसकी फिर डायरैक्टर पंचायत से मंजूरी होती है और उसके बाद बाकायदा उसकी ओपन औक्शन होती है। अखबारों में भी ऐडवर्टाईजमैन्ट होती है। चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात यह कह दी कि हिदायतें ये थीं कि नीलामी के समय डिप्टी कमिश्नर मौजूद रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि नीलामी के समथ डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद रह सकता एं और डिप्टी कमिश्नर अपनी पावर एस० डी० एम० को भी डेलीगेट कर सकता

है। डिप्टी कमिश्नर ने एस० डी० एम० को पावर डेलीगेट कर दी और वह नीलामी एस० डी० एम० की मौजूदगी में हुई। अब ये बिशनोई का नाम ले कर कहेगे कि वहां पर तो पिरथी राज बिशनोई एस० डी० एम० था। अध्यक्ष महोदय पिरथी राज बिशनोई एस० डी० एम० की सिलैक्शन मेरी मुखालफित के बावजूद चौधरी बसी लाल जी के वक्त में हुई थी। वह तो हमेशा मेरे खिलाफ रहा है हालांकि वह मेरे गांव का है लेकिन मैं औन ओथ कहता हू कि उस परिवार ने आज तक मुझे वोट नहीं दिए। मैं धर्म ईमान के साथ कहता हूं और चौधरी बंसी लाल जी को भी इस बात का पता होगा क्योंकि वे मनीराम गोदारा के हमेशा खास आदमी रहे

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पर्सनल ऐक्प्लेनेशन पर बोलते हुए कुछ कहना चाहता हूं। मुख्यमन्त्री जी कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर अपनी पावर डैलीगेट कर सकता है। इस केस में वह नहीं कर सकता क्योंकि डिवैल्पमैंट कमिश्नर की कलियरकट हिदायतें हैं कि डिप्टी कमिश्नर की प्रैजैंस में यह औक्शन होगी। दो जगह यह लिखा हुआ है और इसकी डिप्टी कमिश्नर को भी कापी भेजी हुई है कि डी० सी० यह पावर डैलीगेट नही कर सकता। (विघ्न)

मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह बाकायदा औक्शन का मामला है और पंचायत का मामला है। इसमें सरकार का क्या दखल है लेकिन इनको कोई बात कहने को न मिले तो कोई न कोई ऐसी बात जोड़ देते हैं। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अगर इसमे सरकार का दखल नही है तो फिर केस परमीशन के लिये सरकार के पास क्यों आता है ?

चौधरी भजन लालः सरकार का दखल इतना ही बै। (विघ्न) चौधरी साहब, आप भी मुख्य मन्त्री रहे हो। अपने जमाने में क्या किसी पंचायत को अपने गांव की भलाई के लिये आपने जमीन को औक्शन करने की इजाजत नही दी? कहो तो मैं रिकार्ड निकाल कर दिखाऊं कि कितनी इजाजत दे रखी है।

श्री बंसी लालः मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमैंट जब हिदायत देती है कि फलां अधिकारी की प्रैजैस में, उसकी सुपरविजन में, वह जमीन औक्शन होगी तो उसी की सुपरविजन में औक्शन होगी, वह बदल नहीं सकती।

चौधरी भजन लालः चौधरी साहब, सुपरविजन भले लिख दें लेकिन हम पावर डैलीगेट करते हैं। डिप्टी कमिश्नर इसका फैसला करता है। डी०सी० पावर डैलीगेट कर सकता है। डी० सी० अपनी पावर ए० डी० सी० को डैलीगेट कर सकता है, वह यह भी कह सकता है कि चूकि मैं फलां मीटिंग में जा रहा हूं और फलां जगह जो नीलामी की स्टे रखी हुई है उस जगह की

नीलामी ए० डी० सी० या एस० डी० एम० के साथ बी० डी० पी० ओ० या दूसरे अधिकारियो की मौजूदगी में होगी और वह होती है तथा जो नीलामी में ज्यादा पैसे देता है वह उसको लेता है।

श्री बंसी लालः मैं इससे सहमत नही हूं कि डी० सी० पावर डैलीगेट कर सकता है। आप गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर को एक हुकम कल भिजवा दें कि जो पब्लिक डौकुमैंटस हैं या औफिशियल डौकुमैंट है उसकी नकल लेने के लिये अगर कोई दरख्वास्त दे तो उसको वह नकल मिल जाये।

चौधरी भजन लालः क्यों नहीं मिलेगी हर हालत में मिलेगी। (विघ्न) चौधरी साहब, यह तो सरकार का स्टैडिंग आर्डर है कि जो पब्लिक डौकुमैंट है उसकी नकल को कोई कैसे रोक सकता है।

श्री बसी लालः रोक रखा है आप कल हुकम भिजवा दें।

चौधरी भजन लालः मैं कल नही आज ही हुकम भिजवा देता हूं। किसी के मन में कोई बेईमानी की बात हो तो आदमी डरे। ओपन औक्शान की बात है। कोई भी आदमी डौकमैंट ले सकता है। लेकिन ओपन औक्शान के बारे में जो इनके कारनामे हैं वह मैं आपको बताता हूं। आप जरा ध्यान से सुनें। अध्यक्ष महोदय, 700 एकड़ जमीन थी कोर्ट ने सन 1973 में फैसला दे दिया कि यइ जमीन पंचायत को जायेगी। इन्होंने क्या किया? मेरे पास नकल है। 1989 में जब इनका राज था तो उसका इन्तकाल

मुस्तरका मालकान के नाम करवा लिया जो उसके मालिक थे उनसे यह जमीन खरीद ली। यह जमीन बेनामी खरीद ली। इस बारे में लोगों में चर्चा हैं। ..... (विघ्न) जो बाहर लोगों में चर्चा है, मैं वह बता रहा हूं (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है वह रिकार्ड पर नही आनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः ऐसी बातें तो पहले भी आई हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ... जो बात इन्होंने कही है उसको रिकार्ड पर न लाया जाए या जो हमारी बात है वह भी रिकार्ड पर आनी चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात को हाउस मे चौलेंज करता हूं। मेरी गुजारिश है कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाए और मेरे पास जो– जो कागजात हैं मैं उस कमेटी को दे देता हूं। इनके कहने से तहसीलदार ने किसी की जमीन किसी और के नाम इन्तकाल कर दो। क्या ऐसा अन्याय कही हुआ है? अध्यक्ष महोदय, आपकी जमीन और इंतकाल मेरे नाम कर दिया इससे बढ़ कर जुल्म की बात और क्या हो सकती है? मे फिर कहता हूं कि हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। अगर उस कमेटी ने मेरे खिलाफ कोई दोष साबित कर दिए तो भजन लाल इस्तीफा दे कर चला जाएगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं फिर अर्ज करता हूं कि इन्होंने जो ऐलिगेशन्ज लगाए है उसको रिकार्ड पर न लाया जाए।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, इन्होंने कहा है कि ''ऐसी चर्चा है।''

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ...
.....।

श्री अध्यक्षः अपने भाषण में तो आपने ऐसी बात नही कही थी अब यह आफटर थौट है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जब कोई बात चलती है तो उसकी ऐक्सप्लेनेशन तो देनी ही पड़ती है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह तो रिकार्ड की बात है। मैं फिर कह रहा हू कि सारे मामले की छानबीन के लिये हाउस की एक कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी का चेयरमैन भी अपोजीशन के किसी रीजनेबल आदमी को बना दीजिए। अगर मेरे खिलाफ कोई बात साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे कर चला जाऊंगा।

श्री अध्यक्षः पैसों के बारे में जो स्पैसिफिक बात कही गई है, वह रिकार्ड न की जाए।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इन्हेंने बाल समन्द माईनर को तोडने का भी एक ऐलिगेशन लगाया है। इन्हें कोई ठीक बात तो कहनी चाहिये। इनका घर भी वहां है और मेरा घर भी वहीं है। जो आदमी हाउस में बोले कम–से–कम उसको ठीक बात तो कहनी चाहिए। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः आपकी फैक्टरी का जो मलबा पड़ा था, उसको बहाने के लिये ऐसा किया गया। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं इनको फिर चौलेंज करता हूं और कहता हूं कि इस मामले की भी जांच करवाई जाए, हम इसके लिये तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने जांच करवाई है और वहां पर जो भी दोषी था उसके खिलाफ ऐक्शन लिया है। वहां पर दो जे० ई० थे उनको सस्पैडं किया एस० डी० ओ० को सस्पैन्ड किया और ऐक्सीयन को वहां से बदला गया है क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण नहर टूटी। उससे कितने लोगों को नुक्सान होता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही नुक्सान हुआ है और 5० हजार से ज्यादा का नुक्सान तो उस फैक्टरी का हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः क्या लोगों का नुक्सान नहीं हुआ हे?

चौधरी भजन लालः मैं कब मना करता हू कि लोगों का नुक्सान नही हुआ है। मैं कहता हूं कि लोगों का भी नुक्सान हुआ है। लेकिन यह कहना कि फैक्टरी में प्रदूषण हो रहा था और

उसको रोकने के लिये नहर तोड़ी गई है यह गल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप बीच में मत बोलें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ये चार फैक्टरियां हैं। डेढ़ करोड़ लगाकर वह फैक्टरी लगाई है और हरियाणा में वह पहली फैक्टरी मेरे दामाद की है तथा हरियाणा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने उसको सर्टीफिकेट दिया है कि यह पानी खेती के लिये सबसे बढ़िया है और किसानों की लाईन लगी हुई होती है कि हमें भी पानी दो। वहां पर फसल भी ड्योढ़ी होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बीच में मत बोलें।

श्री ओम प्रकाश जिंदलः सर, मेरा प्वायंट औफ और्डर है। वहां पर फसल ड्योढ़ी नहीं होती है बल्कि खराब होती है। (शेम –शेन)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनको तो डर दूसरी बात का है। इनकी फैक्टरी में से धुआ निकलता है और उस धुएं से शहर के लोगों में बीमारियां फैल गई हैं। अब ये अपने बचाव के लिये पहले से ही पेश बन्दी करने जा रहे हैं ताकि सरकार इनके खिलाफ कोई ऐक्शन न ले। अध्यक्ष महोदय, जो भी फैक्टरी पौल्यूशन करती है उसके खिलाफ हम ऐक्शन लेंगे चाहे वह किसी की भी हो। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करना

चाहते हैं लेकिन बहुत सी शिकायतें ऐसी आई हैं कि उस फैक्टरी के धुएं से लोगों की सेहत पर फर्क पड रहा है। इनको नोटिस भी दिया गया है। इस मामले के बारे में जो भी गलत काम करते है, हम उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट औफ आर्डर पर बोलना चाहती हूं। मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या हाउस की कोई गरिमा भी है या नहीं है? क्या यह कोई पाली की चौपाल है? आखिर यह क्या मामला है? जब लीडर औफ दी हाउस बोल रहे हैं तो ये हर मिनट में बीच में बोलने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या इसका कोई प्रबन्ध हो सकता है?

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री ओम प्रकाश जिंदल द्वारा

श्री ओम प्रकाश जिंदल: औन ए पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर मेरी फैक्टरी में किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो तो मैं वह फैक्टरी गवर्नमैंट को हैडंओवर करने को तैयार हूं। (शोर एवं व्यवधान)

मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने सदन को पालियो की चौपाल कहा है। ये शब्द ऐक्पंज होने चाहिए। यह बहुत गरिमापूर्ण सदन है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि पीने के लिये लोगों को पानी नहीं मिलता है और नहरों में भी पानी नही है। अध्यक्ष महोदय, इनके राज में एक नहर की सफाई नही हुई थी और हमने टेल तक पानी पहुंचाया है। किसानों को पूरा पानी देने की कोशिश की है। पीने का पानी हर गांव में पहुंचाया है और इन्होंने कह दिया कि साहब एक गांव में एक टूटी लगा दी। जैसे फर्जी काम ये करते थे वैसा ही हमको समझते हैं। जैसा इन्सान खुद होता है वैसा ही दूसरों को समझेगा। आज हरियाणा प्रदेश का कोई गांव ऐसा नही है जहां पीने का पानी न हो। हर गांव को हमने पीने का पानी पहुंचाया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No interruptions please. Please sit down. ये जो बातें आप बोल रहे हैं, इनको बोलने का यह तरीका नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो अलग से प्रश्न दीजिए। कृपया अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिजली बोर्ड के बारे में कहा कि यह बहुत घाटे में है। अध्यक्ष महोदय, वाकई यह बोर्ड बहुत घाटे में है। यह बिजली बोर्ड घाटे में क्यों है इसके बारे में जैसा कि मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में भी

कहा था कि बिजली एक रुपये पच्चीस पैसे यूनिट के हिसाब से हमें घर पर पड़ती है और यह हमें सब्सिइडाइज करके किसानों को देनी पड़ती है। फिर ये यह भी कहते हैं कि बिजली की बुरी हालत है, बिजली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हमने सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन इस एक साल में किया है जो कि एक रिकार्ड है। कभी भी इतनी बिजली इस प्रदेश में पैदा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1987–88 में इनके राज में बिजली का जो उत्पादन था वह 163 लाख यूनिटस था और 1991–92 में हमारे राज में बिजली का उत्पादन 268 लाख यूनिटस था। इनके राज में बिजली की वार्षिक पावर सप्लाई केवल 596 करोड़ यूनिटस थी और हमने इस एक साल में 982 करोड़ यूनिटस बिजली यानी लगभग डबल दी है। इसी तरह से इनके राज में 1987–88 में कृषि में बिजली 329 करोड़ यूनिटस थी और हमने 571 करोड़ यूनिटस बिजली अपने राज में दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी, आप बैठिए। आप बीच में न बोलिये। आप इस तरह से बीच में सवाल जवाब न करें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 3– 6– 89 से 22–6–90 तक इनकी कुल सप्लाई 213 लाख यूनिटस थी और फिर 199० से 2 2–6– 1991 तक 231 लाख यूनिटस बिजली की सप्लाई हुई। लेकिन इस सरकार ने 23–6–91 से 2 2– 6–92 तक 278 लाख यूनिटस बिजली प्रतिदिन सप्लाई की है जो कि 20

परसैन्ट फालतू है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में इनके राज में यानी 1989 में 119 लाख यूनिटस बिजली मिलती थी और हमने 164 लाख यूनिटस बिजली यानी 30 परसैन्ट फालतू बिजली किसानों को दी है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्होंने प्लांट लोड फैक्टर के बारे में क्हा इनके राज में फरीदाबाद में और पानीपत में प्लांट लोड फैक्टर क्रमशरू 47. 8 और 30.3 था और अब 1991–92 में यह फरीदाबाद में 56.4 और पानीपत में 45.8 है। कहां 30 और कहां 45 यानी डेढ़ गुना ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ट्यूबवैल के लिये भी बिजली देने पर बैन लगा रखा था जबकि यह अपने आपको किसानों का हितैषी बताते हैं। हमने आते ही देखा कि कितने ट्यूबवैल ऐसे हैं जिनके बिजली के कनैक्शन किसानों को नही मिलें। किसानों ने बैक से कर्जा लेकर ट्यूबवैल लगाये थे। प्रदेश में 30,000 ट्यूबवैल कुनैक्शंज के लिये 5–5 साल से ऐप्लीकेशंज पैडिंग पड़ी थीं जब हमने चार्ज लिया। उनकी टैस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी थी बैकों की किश्तें आनी शुरु हो गयी थीं लेकिन उनको कुनैक्शन नहीं दिया गया था। हमने आते ही फैसला लिया कि 31 मार्च तक यानी 9 महीने में हमने 20,000 कुनैक्शन्ज देने हैं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है और बिजली बोर्ड इस बात के लिये मुबारिकबाद का पात है कि उसने 23,000 ट्यूबवैल्ज को कुनैक्शंज दे दिये हैं और बाकी के 7 हजार के करीब जो बचते हैं, उनको आने वाले 3

महीने के अन्दर अन्दर कुनैक्शंज दे दिया जायेगा। यह एक रिकार्ड की बात है।

प्रो० सम्पत सिंहः इसीलिये आपने सुरजेवाला साहब का महकमा बदल दिया।

चौधरी भजन लालः यह तो हमारा अन्दरुनी मामला है। इन्होंने यह भी कहा कि बिजली बोर्ड में बहुत बड़ा घपला है। यह अपने जमाने की बात भूल गए बाकायदा सी० ए० जी० ने यह कह रखा है कि इस बिजली बोर्ड ने 6 करोड़ रुपये का घपला किया है जो एक रिकार्ड की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आजु का बिजली बोर्ड बाकायदा ईमानदारी से काम चला रहा है। मैं यह नहीं कहता कि राम राज है। सब के सब दूध के धुले हुए हैं। हो सकता है कोई कुरप्पट भी हो और गड़बड़ करने वाला भी हो जिसकी वजह से गड़बड़ होती होगी लेकिन सरकार की नीयत ठीक है। सरकार यह चाहती ई कि कोई आदमी कुरप्पशन गड़बड़ और बेईमानी न करे। इसीलिये सरकार ने यह फैसला किया है ताकि किसानों को पूरी बिजली मिल सके।

इसके साथ साथ शिक्षा बोर्ड की बात भी इन्होंने कही। यह बात ठीक है कि हमारे सामने इस बोर्ड के बारे में बहुत सी बातें आयी हैं कि इम्तिहानों में कुछ नकल हुई है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने इस सारे मामले में कई मीटिंगें की हैं ऐजूकेशन मिनिस्टर ने और मैंने भी एक मीटिंग इस

बारे में की है और सारी बातों का जायजा लिया। कुछ हद तक आपकी बात में वजन है। चेयरमैन ने अपना इस्तीफा मौरल रिस्पौसिबिलिटि अपने०पर लेते हुए भेज दिया बै और सरकार ने उनका त्यागपत्र मन्जूर कर लिया है। हमारी सरकार आपकी तरह से नही है। (व्यवधान व शोर)चिदम्बरम जी ने भी एक उदाहरण कायम किया है। आपने उस चेयरमैन के बारे में कह दिया कि जमीन का मुआवजा अपने आप ले लिया। जमीन का मुआवजा अपने आप कोई नहीं ले सकता। कोर्ट ने उस जमीन का मुआवजा दिया है। मुआवजा तय होता है आपको यह पता होगा कि वह मुआवजा किश्तों में मिलता है। वह किश्तों में उसने लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जमीन का मुआवजा अपने आप ही बढ़ा कर ले लिया हो। (विघ्न)

एक बात आपने और कह दी कि सूद कौन सा माफ कर दिया, कर्जा कौन सा माफ किया। आप लोगों ने किसानों का सत्यानाश कर के रख दिया था। उनको बहका दिया कि तुम्हारा सारा कर्जा माफ होगा। बिजली बोर्ड के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम बिजली बोर्ड के रेट्स नहीं बढ़ाते तो बिजली पैदा करने के जो नये प्रोजैक्ट लगने जा रहे हैं, वह कहां से लगेंगे? बिजली की डिमांड इतनी हो नहीं रह जायेगी। आप जानते है कि 20 प्रतिशत मांग हर साल बढ़ती है। ट्यूबवैल किसान लगाता है, उसको तो बिजली चाहिये ही। आप लोग किसानों को गुमराह करने के लिये गलत प्रचार कर रहे हो। इनके राज में कम

से कम 6 बार बिजली के रेट्स बढ़ होंगे। ऐसी बात कम से कम इनको नहीं करनी चाहिये कि बिजली के रेटस क्यों बढ़ा दिये। अगर बिजली की सप्लाई और डिमांड का ख्याल रखना है तो किसी भी प्रदेश के बिजली बोर्ड को यह रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। एक रुपया 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत है जबकि किसान से केवल 50 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है। हमने किसान को इतना अच्छा भाव उसकी उपज का दिलाया है कि पिछले 40 साल के इतिहास में इतना बढ़िया भाव उसको नहीं मिला होगा। मैं आज यह कह सकता हूं कि किसान इतना खुशहाल है और इतना प्रसन्न है कि इसका कोई अन्त नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। उस समय हमने एक बात पहले ही कही थी कि कर्जा माफ कोई नहीं कर सकेगा आपको देवी लाल बहका रहा है। वह तो बहका कर वोटे लेकर चला गया लेकिन उनका कर्जा आज तक माफ नहीं हो सका है। हमने तो केवल सूद माफ करने की बात कही थी क्योंकि देवी लाल के बहकाने की वजह से लोगों ने कर्जा दिया ही नहीं जिसकी वजह से सूद काफी हो गया था। हमने तो केवल यह कहा था कि हम सूद माफ करेंगे और हमने सूद माफ किया भी है। हमने सूद का 50 करोड़ 40 लाख रुपया माफ किया है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि

कर्जा माफी के अन्दर आज भी पानीपत असिस्टैट रजिस्ट्रार, कोआप्रेटिव सोसायटीज के पास 75 लाख के चौक बकाया पड़े हैं। 31 दिसम्बर तक जिन लोगों ने प्रिंसीपल और इंट्रैस्ट भर दिया उनको इंट्रैस्ट वापिस मिलना चाहिए था। सरकार ने जो सबसिडी देनी थी वह भी आज तक नहीं दी। स्पीकर साहब, सरकार ने सिर्फ दो करोड का कर्जा माफ किया है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, 31 दिसम्बर जब नजदीक आया तो लोगों ने मांग की कि पैसा जमा कराने की मियाद एक महीना और बढ़ा दी जाए, यानी मियाद 31 जनवरी तक बढ़ा दी जाए। हमने एक महीना मियाद बढ़ा दी। स्पीकर साहब, 31 जनवरी तक जिन्होंने प्रिंसीपल और ब्याज जमा करा दिया है उसका इंट्रैस्ट आज भी माफ है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः आपने जो माफी के चौक भेजे हैं वे लोगों को आज तक नही मिले। आपने सिर्फ दो करोड़ माफ किया है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं कहता हू कि कायदे कानून के मुताबिक अगर उन्होंने पैसा दे रखा है और ब्याज की रकम वापिस नहीं मिली है तो सात दिन के अन्दर मिल जाएगी। स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा कि वसूली में एक आदमी जेल में मर गया। स्पीकर साहब, आदमी घर मे भी मर सकता है, रेल में भी मर सकता है, बस में भी मर सकता है, अस्पताल में भी

मर सकता है और जेल में भी मर सकता है। लेकिन हमने इसकी बाकयदा इंक्वायरी की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की लगाई और उस तहसीलदार के खिलाफ 302 का केस दर्ज किया है।

स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं। स्पीकर साहब, ये लोग अपने समय में इतने लोगों को भर्ती कर गए जिनकी महकमें को जरूरत नही थी। ये जाते जाते बाइस सौ पटवारी लगा गए। (शोर एवं व्यवधान)यह तो रिकार्ड की बात है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः आप सारे के सारे आदमी आदमपुर के भर्ती करवाओ और आप चाहो तो एक ही परिवार के लोग ही भर्ती करवाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन पहले वालों को तो न निकालो।

चौधरी भंजन लालः स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि मार्किट बोर्ड सड़कें लहरों में बना रहा है देहात में नही बना रहा हे। स्पीकर साहब, मार्किट बोर्ड शहर में भी सड़क बनाता है और जो सड़क शहर के अन्दर से होकर मण्डी में पहुचती है अगर उसको मार्किटिंग बोर्ड नहीं बनाएगा तो उसको क्या म्यूनिसिपल कमेटी बनाएगी? वहां रेढ़ा आता है, बैल गाड़ी आती है और०ंट गाड़ी आती है। अगर मार्किटिंग बोर्ड सडक नही बनाएगा तो लोगों को बहुत असुविधा होगी। हमने फैसला किया है कि शहर और देहात में कोई फर्क नही है। हम आपकी तरह नही हैं जो यह कहे

कि शहर वाले लूट कर खा गए। आप तो यहां तक कहते थे कि ब्राह्मण और बनिए को वोट का अधिकार नही होना चाहिये। मार्किटिंग का पैसा दूसरों की सुख सुविधा के लिये है। यह पैसा दूसरों की भलाई के लिये है और सुख सुविधा लोंगों को तभी मिलेगी जब सड़कें बनेगी। दूसरे इन्होंने यह कह दिया कि चेयरमैन ने ठेका अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई काम करेगा तो उसको ठेका भी मिलेगा। बाकायदा टैन्डर होंगे और जिसका टैन्डर कम होगा उसको ठेका भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय मुझे यह बिल्कुल नहीं पता कि कोई किसी का रिश्तेदार है या नही लेकिन जो आदमी काम करेगा क्या उसको काम करने की पाबन्दी होगी। अगर कोई किसी का रिश्तेदार होगा भी तो मैं उसको कोई पाप नही समझता। पाप वह करता है जो चोरी करता है, डाका डालता है, हेराफेरी करता है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्टेट लाटरी के बारे में कह दिया कि स्टेट लाटरी प्राईवेट होने जा रही है। अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई केस आया नहीं है कि स्टेट लाटरी को यह सरकार प्राईवेट करने जा रही हे। अगर स्टेट लाटरी को प्राईवेट करेंगे तो भी आपकी तरह नही करेगे कि ओलम्पिक लाटरी में 80 परसैन्ट तो खर्चा दिखा दिया और करोड़ों रुपये का घपला कर लिया। क्या आप अपने जैसा ही सब को समझते हो? (शोर)यह काम तो आपकी सरकार ही करती थी आज की सरकार यह काम नहीं करेगी। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं इन से एक बात जानना चाहता हूं (शोर)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते। जो भी सरकार की स्टेटमैंट है, वह सच है (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बैठिए। आप लैक्चर के दरमियान अपने कमैन्टस नहीं दे सकते। यह कोई डिबेट तो नहीं हो रही है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल गल्त बातें कह रहे हैं। (शोर)

चौधरी भजन लालः इंक्वायरी हो रही है, उसमें अपना जवाब दे देना। स्पीकर साहब, बार बार बीच में खड़े होकर बोलना यह कोई तरीका नहीं है। इनको इस तरह करने से रोका जाना चाहिये।

स्पीकर साहब, इन्होंने यह भी कह दिया कि बहुत सी पोस्टें खाली पडी हुई हैं उन पर आदमी प्रमोट करके नहीं लगाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है कि सर्विसिज पर कितना खर्चा सरकार का होता है। इसके कारण स्टेट ऐक्सचौक्र

पर काफी बोझा पड़ता है चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, या छोटा अधिकारी है इस का असर सब पर पड़ता है। लेकिन फिर भी आज की सरकार यह कोशिश कर रही है कि किसी के साथ कोई ज्यादती न हो। ऐसी बात नही कि किसी सीनियर को इग्नोर कर दिया हो और जूनियर को प्रमोट कर दिया गया हो। ये बातें तो इनके राज में स्पीकर साहब हुआ करती थी इस राज में ऐसा नही होने देंगे एक भी आदमी यह नहीं कह सकता कि मुझे इग्नोर कर दिया गया है। इग्नोर रिकार्ड के आधार पर तो हो सकता है। अगर रिकार्ड ठीक है और सीनियर है तो इग्नोर होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता लेकिन प्रमोशन तभी मिलेगी अगर स्टेट के अन्दर जगह हो और जरूरत भी सरकार को हो। अगर जरूरत होगी तो अवश्य प्रमोशन देंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जगहे एक साल से खाली हैं। (शोर)

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं (शोर)

श्री अध्यक्षः आप लोग फिर उसी तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं। लहरी सिंह जी आप बैठिए। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां यह भी कह दिया कि हुड्डा के प्लाट्स में पैसे लिये जाते हैं। चिट जाती है और प्लाट मिल जाता है। यह भी कह दिया कि ग्रीन बैल्ट में से

प्लाटस काट दिये। अगर ये एक भी प्लाट ग्रीन बैल्ट से कटा हुआ साबित कर दें तो हम इस्तीफा दे करके घर चले जाएंगे इनके राज में और चौधरी बंसी लाल जी के राज में बाकायदा ग्रीन बैल्ट में से प्लाटस कटते रहे और लोगों को दिये जाते रहे। इनको तो सारे अपने जैसे ही दिखायी दे रहे हैं। इनको तो अपना ही जमाना याद आ रहा है। ये और बातों को तो भूल जाते हैं। ये समझते हैं कि जैसा हम करते थे, ऐसा ही ये लोग भी करते होंगे। (शोर)स्पीकर साहब, एक आदमी भी अगर यह कह देगा कि फलां जगह पर पैसे लिये हैं तो भजन लाल मुख्य मन्त्री नहीं रहेगा और घर चला जाएगा। यह बात हरियाणा की सारी जनता जानती है।

श्री धीरपाल सिंहः चौधरी साहब, हम नहीं कह रहे। आपके एम० एल० ए० का एक भाई कह रहा है। (शोर)

चौधरी भजन लालः किस एम० एल० ए० का भाई कह रहा है? यह गल्त बात है। हमारे किसी एम० एल० ए० का भाई ऐसा नही कह सकता। गल्त बात आप ही कह सकते है और कोई नहीं कह सकता।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पंचकूला में 6 सैक्टर में एक आई० पी० एस० अफसर ने सड़क रोक रखी है और वहां पर ऐक्सीडैटं होने का खतरा है।

श्री अध्यक्षः लहरी सिंह जी, यह कोई सवाल जवाब का टाईम नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो आप अलग से लिख

कर दें। आपके सारे ग्रीवैंसिज आज ही यहां पर रिड्रैस नहीं हो सकते। इसके लिये सारा साल है यदि आपने कोई और बात कहनी है तो आप लिख कर दें। (विघ्न) क्या आज ही यह बात कहने का मौका था? क्या इससे पहले कभी आपने कहा? आप रोज चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं और बात करते हैं। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई प्लाट कटे हैं तो पहले के कटे हैं। आज की सरकार ने एक भी प्लाट ग्रीन बैल्ट में नहीं काटा। (शोर)आपके कहने से क्या होता है, हम इन्कवायरी करवाएंगे और जिसका भी कसूर मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। आज की सरकार ने ग्रीन बैल्ट में एक भी प्लाट नही काटा। हम तो इस पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना चाहते है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, हाउस की एक कमेटी बना दी जाए और वह पता कर लेगी कि प्लाट कटे हैं या नहीं।

चौधरी भजन लालः मैंचौलेज के साथ कह रहा हूं कि कोई प्लाट नही कटा। अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने रेप केसिज की बातें कह दीं और समत सिंह जी ने बहुत से नाम गिनवाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे इन्कार नहीं करता, जरुर रेप के केस भी हुए हैं, कत्ल के केस भी हुए हैं, उग्रवादियों ने भी कुछ हमले किए हैं और कुछ जाने भी गई हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि सरकार ने कुछ नही किया। जहां कहीं भी कोई वारदात हुई है

हमने सख्त ऐक्शन लिया है। लेकिन इनके जमाने में एक केस भी किसी बदमाश के खिलाफ दर्ज नहीं होता था क्योंकि उनको लाईसैन्स मिले हुए थे। चाहे वे रेप करे, चाहे किसी की जमीन पर कब्जा करें, चाहे किसी के घर में दाखिल हो जाएं और चाहे किसी की बहु बेटी की बेइज्जती कर दें। लेकिन ऐसा काम आज की सरकार का नहीं है। आज कहीं भी कोई ऐसी हरकत करता है तो सरकार बाकायादा उसके खिलाफ कार्यवाही करती है। ये दूसरों की बात करते हैं। जिस घर में सुप्रिया जैसा कांड हो रहा हो वे लोगों को क्यो बताएंगे। क्या सुप्रिया जैसा कांड कोई छोटी बात है? (शोर)इनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है लेकिन फिर भी ये दूसरे लोगों की बात करते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्षः यह केस चूकि सब–जूडिस है इसलिये इस बारे में बात न की जाए।

चौधरी भजन लालः सी० बी० आई० इसकी इन्कवायरी कर रही है रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने कह दी कि सिरसा जिले में जाने की भजन लाल की हिम्मत नहीं भजन लाल की हिम्मत इसलिये नहीं क्योंकि वह डरपोक और बहुत कमजोर आदमी है। इनको इतना तो पता होना चाहिये कि इस देश में अगर किसी को खतरा रहा है और हिट लिस्ट में सब से टोप पर जिसका नाम है उसका नाम भजन लाल है। क्या आपने तथा आपके लीडर ने आज तक एक लफ्ज भी

उग्रवादियों के खिलाफ बोला? भजन लाल उनके खिलाफ डट कर कहता है मैंने उनके खिलाफ सख्त से सख्त बात कही है और. आज भी कहता– हूं और सौ से ज्यादा चिट्ठियां रोज मेरे पास आती होंगी कि आप फलां जगह जाओ तो मार देंगे। मैं उसी जगह पहुंचता हूं और उसी टाईम पर पहुंचा हूं। (शोर)जो लोग उग्रवादियों की वकालत करने वाले हैं हमने उनके साथ पगड़ी नहीं बदल रखी, हमने उनके खिलाफ हमेशा ऐक्शन लेने की बात की है। (शोर)आपने नेहरा साहब के बारे में भी कह दिया। नेहरा साहब ने खुद अपने आपको डिफैड किया है और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी तरह से नहीं कि कितना ही बड़ा बदमाश क्यों न हो उसको शैल्टर करें। (शोर)अजमेर सिंह एक अच्छा आदमीं है। उसके लड़कों के बारे में आयीं कि उनके घर में आकर उग्रवादी ठहरे और पंजाब की पुलिस ने आ कर उनको पकड़ा। तो हमने उनको भी गिरफतार किया। हमने किसी को माफ नही किया चाहे वह कितना ही पुराना कांग्रेसी क्यों न हो। जिसने भी जैसा गुनाह किया उसके खिलाफ वैसा ही ऐक्शन लिया है। हमने आपकी तरह से फिटनेस का सर्टिफिकेट दे करके बचाने की कोशिश नहीं की है। (विष्य)फिर आपने एक बात कह दी कि बिना हथियारों के पुलिस के चार नौनगन मारे गए। अध्यक्ष महोदय वे 13 पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने जा करके रेड किया था। उनके पास बाकायदा स्टेनगन, ए० के० 47 राइफल यानी पूरा असला था लेकिन उनसे गलती यह हो गई कि उनके पास जो बड़ा असला था उसको अपनी गाड़ी में ही छोड़ कर रेड के लिये चने गए और

केवल पिस्तोल अपने साथ ले गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पूरा असला नहीं था। उनके पास पूरा असन था लेकिन उनसे यही गल्ती हो गई कि दे वह बड़ा असला आनी गाड़ी में ही छोड़ गर और. अगे साथ केवल पिस्तोल ले कर चने गए जिसके कारण उन 13 पुलिस अधिकारियों को केवल एक ही आदमी मार कर चला गया। यह बड़ी भारी अचम्भे की बात है कि एक ही आदमी उनको मार कर चला गया। लेकिन हमारे बहादुर नौजवानों ने उसका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वे मारे गए उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनको हमने बाकायदा एक एक लाख रुपए दिए हैं और उनके परिवारों के एक एक आदमी को नौकरी भी देंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः आप उनके परिवारों के एक एक आदमी को कौन सी नौकरी देंगे?

चौधरी भजन लालः उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी देंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः यदि कोई इन्स्पैक्टर मारा गया है तो आप उसकी जगह उसके परिवार के आदमी को इंस्पैक्टर लगाओ?

चौधरी भजन लालः आप जानते है कि जिस रैक का कोई आदमी मारा जाता है उसकी जगह उसके परिवार के आदमी को एक रैक कम नौकरी दी जाती है।

प्रो० सम्पत सिंहः आप यह भी जानते हैं कि एक डी० एस० पी० मारा गया था उसकी जगह उसके परिवार के आदमी को डी० एस० पी० लगाया गया था।

चौधरी भजन लालः हमने तो जो बात कही है वह करेंगे। आपकी तप से कोई गलत बात नहीं कहते।

प्रो० सम्पत सिंहः डी० एस०पी० की जगह डी० एस० पी० लगाया गया था, इसमें मैंने गलत बात क्या कही है?

चौधरी भजन लालः लगा दिया होगा हमने तो जो बात कही है वह कर देंगे।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, पहले जो पुलिस के लोग मारे गए थे उनको दो दो लाख रुपए दिए गए थे इसलिये इनको भी मुख्य मन्त्री वी दो दो लाख रुपए ही दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पहले यदि दो–दो लाख रुपए दिए गए थे तो इनको भी दो दो लाख रुपए ही दिए होंगे, इस समय मुझे ध्यान नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं इनको भी दो दो लाख रुपए ही हमारे नौर्म के अनुसार दिये जायेगे। अध्यक्ष महोदय, एक यह भी जिक्र आया कि एक टेक चन्द पहलवान है उसको टाडा में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अध्यक्ष महोदय, उसने आदमी को गोली मार दी और आदमी मर गया। यदि गोली मारने से आदमी मर गया तो क्या उसको टाडा के अधीन पकड़ेंगे? वह तो 302 में पकड़ा जाता है। इनको इतना

तो पता होना चाहिए कि जिस आदमी को 302 में पकड़ा जाता है उसे फांसी तक हो जाती है लेकिन टाड? वाला तो कुछ महीनों के बाद छूट भी सकता है।

प्रो० सम्पत सिंहः 302 वा ने की जमानत हो जाती है, टाडा वाले की जमानत नहीं होती।

चौधरी भजन लालः 302 में जमानत नहीं हो सकती। अगर तफशीश में यह लिखा जाए कि यह बेगुनाह है तो उसकी जमानत हो जाती है वरना 302 के केस में जमानत नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने कहा कि बिजली बोर्ड ने बिजली के रेट बढ़ा दिए उसके बारे में मैंने इनको बता दिया है दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी बिजली बोर्ड ऐसा नही है जो बगैर बिजली के रेट बढ़ाए लोगों को बिजली दे सके। सभी बिजली बोर्डों ने बिजली के रेट बढ़ाए हैं। बिजली के रेट बढ़ाने के बारे में बाकायदा भारत सरकार ने एक सम्मेलन बुला कर फैसला लिया था कि रेट बढ़ाये जायें। उस सम्मेलन में सरकारों के नुमायदे, बी० जे० पी० और सी० पी० आई० शामिल थे। वहां बाकयदा यह फैसला लिया गया था कि बिजली के रेट बढ़ेंगे और 50 पैसे पर यूनिट से कम बिजली नहीं मिलेगी, ताकि बिजली बोर्ड के हालात ठीक हो सकें। फिर चौधरी बंसी लाल ने एक किताब निकाल कर कह दिया कि इन्होंने ही एस० वाई एल० कैनाल क। काम ज्यादा किया। चौधरी साहब हम इस बात से इन्कार नहीं करते। काम चाहे आपने किया हो या

भजन लाल ने किया हो इन्दिरा जी ने फैसला किया और राजीव गांधी ने फैसला दिया तब उसका काम हुआ है। फिर आप कहते हो कि एस० वाई० एल० कैनाल का काम आपके वक्त में ज्यादा हुआ। चौधरी साहब, जब काम स्टार्ट हो जाता है तो उसका अकाउंट मेनटेन होता है और वह काम एम० बी० में दो तीन महीने के बाद चढ़ता है। फिर आपने खुद कहा है कि उस कैनाल के लिए पैसा आपके वक्त में दिया गया इसलिए आपको यह मानना चाहिए कि उसका काम तो मेरे वक्त में हुआ है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट औफ आर्डर है। यह सी० ए० जी० की रिपोर्ट है और इसके पेज 90 पर जो लिखा है वह मैं बता देता हूं–

"From 26th March, 1987 onwards, the Central Government started releasing funds on behalf of both the Governments (Punjab and Haryana)... ....."

इसके साथ साथ यह लिखा है कि तेजी के साथ जो काम हुआ वह मार्च 1987 के बाद हुआ।

चौधरी भजन लालः तब तो आप भी चले गए थे।

श्री बंसी लालः मार्च, 1987 के बाद ही उस कैनाल के काम ने जोर पकड़ा है।

चौधरी भजन लालः मई, 1987 में तो आप मुख्य मली नहीं रहे थे।

श्री बंसी लालः चौधरी साहब, मैं गया हू 20 जून, 1987 को अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे लिखा है –

"The progress of work was tardy upto 1984-85 and it picked from March, 1987....."

चौधरी भजन लालः चौधरी साहब, मैं कब कहता हू कि आपने कुछ नहीं किया आपने तो बहुत कुछ किया है। आप एक बात कहा करते थे कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूं मैं तो डाकिए का काम करता हूं। इन्दिरा जी पैसा देती हैं उस पैसे को मैं आगे खर्च करता हूं। अब आपकी यह 'मैं मैं' समझ में नहीं आती कि इस मैं का मतलब क्या है? आप कहते थे कि मैं तो डाकिया हूं आज आप कहते है कि सब कुछ मैंने ही किया है। जो डाकिये का काम करते थे आज मैं की बात करते हैं। (विध्न)

श्री बंसी लालः आप पैसा ले कर दिखाये।

चौधरी भजन लालः क्या इस पर 570 करोड़ रुपया वैसे ही खर्च हो गया ? (विघ्न) स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात कही कि इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट भजन लालू के जाने के 8 महीने के बाद आई। अध्यक्ष महोदय, ट्रिब्यूनल मेरे वक्त में बना। उस वक्त बड़ी मीटिंगें हुई। रिपोर्ट लिखने में आप जानते हैं कुछ समय लगता है। आज कोई केस सुप्रीम कोर्ट सुने या हाई कोर्ट सुने तो उसका फैसला लिखवाने में 6 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है। उन्होंने फैसला तो बाद में लिखा होगा लेकिन बाकायदा पूरी वकालत करके, उनको ब्रीफ करके हमने हरियाणा को ज्यादा पानी

दिलवाया यानि न्याय दिया गया। यह रिकार्ड की बात है। इस पर भी आप कहें कि कोई खास बात नहीं है तो ठीक नहीं है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, किसी कमीशन की रिपोर्ट 8 महीने पैण्डिग नहीं रहती। जबे इनका केस बिगड़ रहा था तो एम० सी० गुप्ता मेरे पास आये, मैंने पालकीवाला को फोन किया, पालकीवाला ने पूरी बहस की और एक पैसा भी नहीं लिया। लेकिन इन्होंने श्री हीरा लाल सिब्बल, जो ऐडवोकेट जनरल होता था, उसके लड़के को वकील किया था और उसे 40— 50 लाख रुपये फीस के दिए थे। मैंने इराडी को 10— 15 बार मिल करके एक एक बात ऐक्सप्लेन की। जब मैं इस बारे में इराडी साहब से मिला तो वे कहने लगे कि आपके पहले का चीफ मिनिस्टर तो 4. 22 एम० ए० एफ० पानी पंजाब को देना कन्सीड किए बैठा है, इसलिए मैं अब आपको ज्यादा कैसे दूं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर इनको कोई पूछने वाला हो और मैं ही पूछ लूं कि पालकीवाला इनकी बात इसलिए सुनते थे कि इन्दिरा गांधी जी ने इनको रेलवे मती बना रखा था। अब आप उससे बात करके देखो। (विध्न)

श्री बंसी लालः आपको भी चीफ मिनिस्टर इन्दिरा गांधी जी ने बता रखा था और आपके चीफ सैक्रेटरी, एम० सी० गुप्ता, जब पालकीवाला के पास गये तो Palkiwala refused to see the papers.

चौधरी भजन लालः मैं तो कहता हू कि आपने कह दिया होगा। आपकी इन्दिरा गांधी के बिना क्या हैसियत थी? (विष्य)अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने यह कि जब पंजाब का ऐकौर्ड हो रहा था तो उस समय भजन लाल को बाहर बैठाये रखा था। इसमें क्या मुश्किल है? ये भाई सॉमने बैठे हैं। पहले इन्दिरा गांधी का ऐवार्ड हुआ तो इन्हेंने कह दियॉ कि नहीं हम इन्दिरा गाधी ऐवार्ड को नही मानते। आन्दोलन शुरू कर दिया। आज ये कह रहे हैं कि इन्दिरा गांधी ऐवार्ड लागू होना चाहिए। फिर इराडी कमीशन की बात आ गई। इनमें से कई भाई कहते हैं कि इराडी कमीशन लागू होना चाहिए। इराडी कमीशन का जो फैसला है वह बिल्कुल सही है और ठीक फैसला है। कई भाई यह भी कहते हैं कि राजीव लौंगोवाल ऐकौर्ड हुआ वह भी बहुत शानदार है क्योंकि उसमें नहर बनाने की वात है और एरिया लेने देने की बात है। उसमें ऐसी कौन सी बात है जो हरियाणा के हितों के खिलाफ जाती है? अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने कह दिया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नही है। हरियाणा में शानदार कानून व्यवस्था है। स्पीकर साहब, फिर इन्होंने कह दिया कि डी० जी० पी० का पुलिस में विश्वास नहीं है। ऐसी बात कहना क्या ऐसे सीनियर महानुभाव को शोभा देता है? यह तो पुलिस में एक किस्म की बगावत करवाने की बात है। हमारे बहुत शानदार डी० जी० पी० हैं और हमें अपनी पुलिस पर फखर है कि वह बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सारी ऐडमिनिस्ट्रेशन बड़े बढ़िया ढंग से

काम कर के कानून व्यवस्था को कन्ट्रोल में रख रही टब। हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब में आज किस तरह के हालात हो रहे हैं यह सब को मालूम है। पंजाब के गांव हरियाणा के गांवों के साथ लगे हुए हैं। उधर पंजाब में उग्रवादियों पर सुरक्षा बलों का प्रैशर जब पड़ता है तो वे पंजाब से इधर आ जाते हैं और हरियाणा में इक्का दुक्का वारदातें भी उन्होंने की हैं। स्पीकर साहब, मुझे हाउस में यह बात कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज तक हरियाणा में उग्रवाद की जितनी भी वारदातें हुई हैं, वारदातें करने वाले एक आदमी को छोड कर बाकी सभी उग्रवादियों को हमारी बहादुर पुलिस ने मुकाबला करके या तो मार दिया या उनको गिरफ्तार कर लिया है। जहां तक कि जिन उग्रवादियों ने पंजाब में वारदातें कीं उनको भी हमारी पुलिस ने पकड़ा और मनचन्दा के कातिल तक को भी हमारी पुलिस ने गिरफ्तार करके बहुत ही शानदार काम कियो है।

एक ट्रक यूनियन की बात भी यहां पर आई। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं कि क्या बात है? ऐसी बातों से मुख्य मंत्री का क्या ताल्लुक है। इनकी तो एक ही बात है कि कोई भी काम हो यह भजन लाल ने किया है। यहां तक कि अगर किसी की भैस दूध न दे तो यह कह देते है कि भजन लाल के कारण ऐसा हुआ है। (विघ्न)

बंसी लाल जी ने जो बातें कहीं उनमें उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि जी० टी० रोड पर गश्त होनी चाहिए। मैं

यह बताना चाहूंगा कि जी० टी० रोड पर गश्त पहले ही हे। फिर भी इन्होंने यह बात बिल्कुल ठीक कही है और मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ राम बिलास शर्मा जी ने एक बात कही कि हरियाणा के मन्त्रियों ने हरियाणा के केस को कमजोर कर दिया, ऐसा ही सम्पत सिंह जी ने भी कहा कि हरियाणा के मन्त्रियों ने हरियाणा के केस को कमजोर कर दिया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि किसी ने कोई केस कमजोर नहीं किया। सभी लोग एक टीम की तरह से मिल कर काम कर रहे है और डट कर हरियाणा के हितों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोगों की तरह से नही कि हरियाणा के हितों को बेच देंगे। हम लोग हरियाणा के हितों की पूरी रक्षा करेंगे और हरियाणा के किसानों को पानी ला कर देगे और टैरीटरी भी ले कर देंगे। चण्डीगढ़ पंजाब को तब देंगे जब उसके बदले फाजिल्का–अबोहर का इलाका हरियाणा को मिलेगा वरना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। (विध्न)अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्होंने कहा कि स्टैड बदल लिया। हमारे किसी स्टैंड में कोई चौंज नहीं आई। हमारा जो स्टैड पहले था आज भी वही है और हम उसी स्टैंड पर कायम हैं। लॉ एण्ड आर्डर की बात आई और रेप की बात भी आई। इसके साथ ही रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी और यमुनानगर म्यूनिसिपल कमेटी का भी यहां पर जिक्र आया। आप जानते हैं कि आपकी पार्टी के लोग वहां प्रैजीडैंट बने हुए थे। हमारे यहां प्रजातन्त्र है और आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र में जिसके साथ बहुमत होगा वही बनेगा। बहुमत आपके खिलाफ

हो गया और दूसरे आदमी चुने गए और इससे आपको तकलीफ हो गई होगी। इसीलिए 2– 3 दफा मुझे टेलीफोन किया। रोहतक और यमुनानगर के बारे में मैंने बाकायदा अधिकारियों को आदेश दिया। (शोर एव व्यवधान)आप जानते हैं कि अगर कोई मीटिंग होती है और उस में कोरम पूरा न हो तो वह मीटिंग दोबारा बुलाई जाती है। इस बारे में दोबारा मीटिंग बुला ली गई है और यह मीटिंग अब पोस्टपोन नहीं होगी तथा टाईम पर चुनाव होगा। इसकी डेट मेरे ख्याल में 18 है। (विघ्न) सारे लोग मुझे कल मिले थे। मैं यह कहता हूं कि कायदे के मुताबिक सब कुछ हुआ और कोई गलत काम नहीं हुआ। यह डेट आगे बिछल पोस्टपोन नहीं होगी और इलैक्शन होगा तथा जिसके साथ बहुमत होगा वह बनेगा और सरकार इसमें कोई दखल नहीं देगी। (विघ्न) जहां कहीं भी कोई झगड़ा हुआ है या ज्यादती हुई है बाकायदा हमने केस दर्ज किए हैं और इन्कवायरी करके जिन का दोष होगा उन दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ पूरा ऐक्शन लिया जाएगा। इन्होंने एक बात हिमाचल के बारे में कही और बिजली के रेट्स के बारे में कहा कि किसानों में बहुत गुस्सा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि किसानों में कोई गुस्सा नहीं है बल्कि जब आप जोर से बोलते हैं और०ंची आवाज में भाषण देते हैं तो जितना आपका कद है उससे ज्यादा आपकी आवाज है। हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। (हंसी)जो आदमी लम्बा होता है उसकी आवाज जरा धीमी होनी चाहिए क्योंकि अगर आवाज धीमी होगी तो लोगों को गुस्सा कम आएगा। (हंसी)मेहरबानी करके

लोगों को गुस्सा मत दिलाएं, प्रदेश का वातावरण अच्छा बनाएं, इसको बिगाड़े नही। ब्राहमण का तो वैसे ही धर्म बनता है कि आशीर्वाद दें, हवन करें, यज्ञ करें और थोड़ी बरसात करवाएं। (हंसी)

प्रो० राम विलास शर्माः आप ऐसे काम करें जिससे वातावरण बिगड़ ही नहीं। आप हम को मौका ही क्यों देते हैं। (विध्न)

चौधरी भजन लालः एक आपने जिक्र कर दिया प्रजातन्त्र की रक्षा का। प्रजातन्त्र के रक्षक तो ये सामने बैठे हुए हैं और आप भी इनके साथ थे। क्या हालत थी हांसी की म्यूनिसीपल कमेटी में और बाकी की म्यूनिसीपल कमेटियों में? रातों रात गांव के एक आदमी को उठाकर लाए और बोर्ड बनवाकर इलैक्शन करवा दिया और बूथ कैप्चर करके उसी को गांव का प्रधान बना दिया। क्या ऐसा महौल कहीं मिलेगा? क्या हालत खंडेलवाल की हांसी में हुई थी। ऐसी–ऐसी बातें तो आप जानते – हैं फिर भी आप इनकी वकालत करते हैं।

श्री बंसी लालः रोहतक में जो नौ–कान्फीडैंस पास हुआ था उसमें कितने क्लर की स्याही का इस्तेमाल किया था?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, स्याही से अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होते हैं। बाकायदा चुने हुए लोग सामने खड़े होंगे तब अविश्वास प्रस्ताव आएगा। यह स्याही से अविश्वास प्रस्ताव

आप पास करवाया करते थे अब वह जमाना चला गया है। दूसरे मेहम में इलैक्शन के वक्त किस तरह प्रजातन्त्र की रक्षा हुई थी यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्दर सिंहः अब तो ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट भो आ गई है।

चौधरी भजन लालः हां–हां ग्रेवाल की भी रिपोर्ट आ गई है, और भी रिपोर्टे आ जाएंगीं। एक इन्होंने कैथल कांड की चर्चा की हालांकि यह मामला सब– जुडिस है। इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा नही कहूंगा। इसमें जो भी कार्यवाही सरकार कर सकती थी वह सरकार ने की है। एक बात चन्द्रावती जी ने शिक्षा बोर्ड के बारे में कही, जिसका मैंने अभी जिक्र कर दिया है, फिर इन्होंने कोआप्रेटिव महकमें के बारे में बातें कहीं हैं। हम उसकी इन्क्रवायरी करेंगे और जहां जरूरत होगी आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश करेगे।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि चौहान साहब आए थे और एस० वाई० एल० के बारे में पैकेज की बात कह गए हैं। इसका मैं जवाब दे चुका हूं। एक बात लोहारी राघव के सरपंच के बारे में कही गई कि झूठा केस दर्ज कर दिया। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है इसमें एक महिला को पीटा गया है और उसको पीटने की वजह से उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन हो सकता है कि गलत करा दिया गया हो। उसकी हम

जांच करवाएंगे अगर वह दोषी है तो सजा मिलेगी अगर दोषी नही है तो गलत कार्यवाही नहीं होगी। मैं सदन के सामने आपको विश्वास दिलाता हूं। एक इन्होने कह दिया कि नारनौंद हल्के की सड्कों की मरम्मत नही हुई। आप हल्के में तो जाते नहीं है, शहर में ही रहते हैं 1 (विष्य)आपने कहा कि नारनौद हल्के से मार्किटिंग कमेटी का कोई मैम्बर ही नही है। इसकी हम जांच करवाएंगे और वहां से मार्किटिंग कमेटी का मैम्बर अवश्य होना चाहिए क्योंकि अगर कोई मार्किटिंग कमेटी का मैम्बर नहीं होगा तो पंचायत समिति में जो एक मैम्बर मार्किटिंग कमेटी से जाता है वह कैसे जाएगा। इसके लिए यह जरूरी है कि उस हल्के से मार्किटिंग कपटी का मैम्बर अवश्य होना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट औफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में दो मार्किटिंग कमेटीज बनी हुई हैं और दोनों के सारे के तारे ग्रोअर्ज एक ही कम्यूनिटी के लगाए हुए है। इस बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाने से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी कहा था। इसके बावजूद भी वहां पर एक ही कम्यूनिटी के ग्रोअर्ज और चेयरमैन बनाए हुए हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि मार्किटिंग कमेटी से और डिप्टी कमीश्नर से जो नाम आते हैं उन पर बाकायदा विचार करके फैसला किया जाता है। उसमें कोई जात–पात का सवाल ही नहीं। कही पर ब्राह्मण बन गया होगा, कहीं पर कोई बनिया बन गया होगा, कहीं

पर पंजाबी बन गया होगा और कही जाट बन गया होगा, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश मेरी सरकार करती है।

श्री बंसी लालः तोशाम की पंचायत समिति के चुनाव में आपके दो आदमियों की जव सिक्योरिटी जमा नही की गई तो आपने डी० सी० को दो बार फोन किया कि उनकी सिक्योरिटी जमा करवाओ। लेकिन डी० सी० ने जब कहा कि मैं यह नही कर सकता, तो आपने इसी वति पर उसका तबादला कर दिया।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई तबादला नहीं हुआ ओर न ही मैंने डिप्टी कमिश्नर को सिक्योरिटी जमा कराने के लिए कोई टेलोफोन किया। आप जानते है कि इलैक्शन का एक कायदा होता है। यह रिटनिग औफिसर को देखना होता है कि सिक्योरिटी जमा हुई या नहीं या सिक्योरिटी ठीक थी या नहीं। इसको देखना मेरा काम नहीं है। चौधरी साहब, आप तो अपने जमाने में फार्म अपने सामने भरवाया करते थे और कहते थे कि इसको रद्द कर दें और उसका रख दें। यह काम आज की सरकार नहीं करती है, ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हमने तबादला एक औफिसर का नहीं बल्कि दो तीन अफसरों का किया है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जब डिप्टी कमिश्नर ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने उसका तबादला कर दिया।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नही हुआ। धीरपाल जी ने ण्स० वाई० एल० के बारे में, कर्जा वसूली करने के बारे में, ग्रीन वैल्ट के बारे में तथा बिजली दिन में न आने के बारे में बातें कहीं। इन सारी बातों का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि बिजली की जहां कहीं भी दिक्कत होगी, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लहरी सिंह जी ने कहा कि सड्कों की मरम्मत नही हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमने 31 मार्च तक सड्कों की मरम्मत सब जगह कीं है। बरसात की वजह से एक महीने का समय और बढ़वाया है। फिर भी अगर कही पर सड़क टूटी हुई शै तो इसको हम दिखवा लेंगे और मरम्मत करवा देंगे। इसके अलावा एक बात लहरी सिंह जी ने गन्ने के बारे में कही। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले महीने की 18 तारीख को मिल बंद हो जाने थे लेकिन हमने बाकायदा 18 दिन के लिए मिल और आगे चलवाये हैं ताकि किसानों का गन्ना पेला जा सके और किसानों का नुक्सान न हो।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, अब भी किसानों का कम से कम 10 लाख क्विटल गन्ना रह गया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने एक जात पात की बात कह दी कि वह जाट है, वह ब्राहम्ण है। हमें जात पात की बात नहीं करनी चाहिए। आप और हम 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर और 36 बिरादरी के लेगों के वोट लेकर इस सदन में पहुंचे हैं। जातपात का कोई सवाल ही

नहीं है। जात पात वाला तो कुछ भी नही कर सकता है लेकिन अगर नौन कम्यूनिटी का व्यक्ति होगा तो वह ज्यादा ध्यान रखेगा क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं उस पर कोई इल्जाम न लगा दे। (विष्य)लहरी सिंह जी हरिजनों से मुझे भी पूरी हमदर्दी है, हम भी उनसे वोट लेकर आते हैं।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के०पर जुल्म करने का यह तरीका ठीक नही है। हम सब हरिजन एम० एल० एज० भी मुख्य मंत्री जी से मिले थे लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। अब हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में हमारे प्रदेश के जो मेहनती कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बड़ी लग्न के साथ काम करके इस प्रदेश का नाम०ंचा किया है मुझे आशा है कि आगे भी वे इसी लग्न और मेहनत के साथ काम करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह अविश्वास प्रस्ताव आज इस सदन में रखा है इसको मेहरबानी करके ये वापस ले लें ताकि इसको वापस न लेकर के इनकी बेइज्जती न हो। स्पीकर साहब, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद तथा इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मुख्य मंत्री जी एक महीना पहले 30 मई को जब दादरी गये थे तो इन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अन्दर अन्दर सारे जोहड़ो में पानी भर दिया जायेगा। क्या मुख्य मैली जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन से जोहडों में पानी भर गया है? इसके अलावा, दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में बताया है कि नाथुपुर पंचायत का सारा काम कायदे कानून से हुआ। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक दरख्वास्त है यह दरख्वास्त श्री आर० के० यादव जो कि एक वकील है, की है। इस वकील ने पहले यह दरख्वास्त बी० डी० ओ० को दी। वहां से इनको इसकी नकल नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने यह दरख्वास्त एस० डी० एम० को दी। एस० डी० एम० ने यह दरख्वास्त ग्राम सचिव को मार्क कर दी लेकिन यहां भी श्री यादव को नकल नहीं मिली। यह दरख्वास्त 10—6— 1992 को वकील ने डी० सीं० को दी। इस दरख्वास्त के०पर डी० सी० के दस्तखत हैं जिसका एक फोटो स्टेट कापी मेरे पास है। डी० सी० ने यह दरख्वास्त एस० डी० एम० को रैफर कर दी। यह 10 जून की बात है। एक सप्ताह पहले तक यह नकल श्री यादव को नहीं मिली थी। तो मुख्य मंत्री जी इसको भी देख ले।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने कहीं कि जोहड़ो में पानी नहीं भरा है। इस बारे में हमने बाकायदा स्टैन्डिग आर्डर दिये हुए हैं कि इस समय चूंकि सूखा है, बरसात

नहीं हुई है इसलिए पशुओं के पीने के लिए पानी हर हालत में सारे जोहड़ों में सात दिन के अन्दर अन्दर भर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 95 परसैन्ट जोहड़ों में पानी पहुंच गया है। मैंने 5 परसैन्ट कम इसीलिये कहा है क्योंकि कुछ जगह जौहड भरने से रह रहे हें। वहां पर या तो नहरों के अन्दर पानी अवेलेबल नही होगा या कोई और दिक्कत होगी। जैसे दो बार नहर टूट गयी। (व्यवधान व शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, ये 95 परसैट तालाब भरने की बात कह रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहां पर एक भी तालाब भरा नही गया है। ये कैसे बिना किसी आधार के यह बात कह रहे हें? (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी जौहड भरने बाकी रह गये हैं, उन्हें हर हालात में 7 दिन अन्दर–अन्दर भर दिया जायेगा चाहे हमें दूसरी जगहों से नहर को बन्द करके लिये पानी देना पड़े। ऐसा कोई भी तालाब नहीं रहेगा, जहां से नहर गुजर रही है नहर में पानी हो और पानी से उसे न भरा गया हो। (व्यवधान व शोर)इसीलिये यह कहा है कि अगर नहर में पानी हो तो वे भरे जायेगे। अगर ही नहीं होगा तो कहां से भरेंगे?

श्री अमर सिंहः अगर नहर में पानी ही न हो तो आप क्या करोगे।

चौधरी भजन लालः मैंने इसीलिये कहा है कि नहर में पानी हो तो जायेगे।

श्री अध्यक्षः अमर सिंह जी, आप बैठिए, अब इन्होंने अश्योरैस दे दिया है

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनकी दूसरी बात का जवाब रह है। जहां तक उसका ताल्लुक है, मैं उस बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। महोदय, पता नहीं चौधरी बंसी लाल को नाथुपुर गांव के नाम से क्या गया है। मुझे तो पता ही नहीं कि नाथुपुर गांव कहां है और कहां बसता है। पंचायत का मामला है। पंचायत जमीन देने वाली है और पंचायत ही जमीन वाली है। इनके दिमाग में पता नहीं क्या है? मैं समझ नहीं सका कि फोबिया किस बात का हो रहा है? (शोर एवं व्यवधान)इस बात के कहने से फर्क पड़ता है चौधरी साहब। पंचायत प्रस्ताव पास करती है। मान लीजिए आप जमीन है और आप उसे नीलाम करके बेचना चाहो तो भजन लाल उसको कैसे देगा? क्या अधिकार है भजन लाल को रोकने का? आपने कहा कि नकल नही यह रिकार्ड भी आपको पंचायत के पास मिलेगा। यह ठीक है कि उसकी एक ... डी० सी० या एस० डी० एम० के दफ्तर में होगी। असली रिकार्ड पंचायत के मिलेगा। पंचायत प्रस्ताव पास करती है।

श्री बंसी लालः पंचायत के पास तो रिकार्ड ही नहीं है। उनका ... रिकार्ड एस० डी० एम० ले गया।

चौधरी भजन लालः तो फिर वहां से नकल मिल जायेगी। इसमें दिक्कत है? (विघ्न) मैंने आपसे कहा है कि आज हम आदेश दे देंगे और ज्यादा से जल्दी इसकी नकल मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बंसी लालः मैंने आपको जो. ऐप्लीकेशन दिखाई है वह डी० सी० ऐड्रैस है और डी० सी० ने उसको एस० डी० एम० को रैफर किया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने जोहड़ों को पानी से भरने के बाकायदा एक सरकुलर जारी किया है। (व्यवधान व शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय 30 मई को दादरी में गये थे। वहां पर भी यह कहा था कि सारे भिवानी जिले के जौहड एक हफ्ते में भर दिये जायेंगे। एक रिकार्ड की बात है। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः नहर में पानी आयेगा, तभी तो भरेंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, 19 जून तक भिवानी जिले में बूंद भी नहर का पानी नहीं गया। जब वहां पर पानी गया ही नहीं, तो इन्होंने भर दिये? वहां पर पानी की बहुत ही किल्लत है। वहां पर पानी की हालत हैं कि पीने के लिये भी

पानी नहीं है। ये तो 95 परसैन्ट जौहड़ भरने की बात हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर इन्होंने 5 परसैन्ट तालाब भी भरे हों तो कोई बात है। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः यहां पर और एम० एल० एज० भी बैठे हुए हैं, आप पूछ लें। (व्यवधान व शोर)मैंने इसीलिये कहा है कि 95 परसैट भरे हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश में फर्ज करो 5,000 जौहड हैं, तो 5 फीसदी हिसाब से 250 जौहड तो अभी भरने रह गये हैं। (व्यवधान व शोर)दो जगह टूट गयी। नहर आयेगी तभी तो हम पानी भरेंगे। नहर आगे तक न पहुंचे तो कैसे पानी भरेंगे। कई जगहों पर तो नालियां बनाने की वजह से प्रौब्लम है। इनको शायद पता ही होगा कि जौहड़ भरने के लिये माईनर में पानी जायेगा तभी पानी जौहड़ों में भरा जायेगा। गांव वालों को नालियां बनानी पड़ती हैं। कोई कहता है कि यहां से नही निकलेगी, कोई कुछ और कहता है। ऐसी कुछ वजूहात इनकी वजह से जौहड भरने रह रहे हैं। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः मेन प्रौब्लम भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिले की है, उसी बारे में बता रहे हैं। (व्यवधान व शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहानः जो कुछ ये कह रहे हैं, यह सब गलत कह रहे है। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः आप मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः चौधरी अमर सिंह जी, आप बैठें। वह भिवानी और महेन्द्रगढ की बात ही बता रहे हैं।

चौधरी भजन लालः तो क्या यह काम, नकल देने का, चीफ मिनिस्टर का है? आप भी तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। असर ऐसी बात कोई अनजान आदमी कहे तो कुछ, बात जंचती है लेकिन आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं।

श्री बंसी लालः यह काम चीफ मिनिस्टर का तो नहीं है परन्तु भजन लाल का तो है। सारा गांव कहता है कि चीफ मिनिस्टर के हुक्म से नकल नहीं मिल रही **चौधरी भजन लालः** चौधरी साहब, आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। अगर ऐसा आदमी जो चीफ मिनिस्टर न रहा हो या सम्पत सिंह जैसे आदमी ऐसी बात कहें तो कुछ समझ में आ सकती है। आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। आपको तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। क्या नकल चीफ मिनिस्टर देता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लालः यह काम चीफ मिनिस्टर के हुक्म से नहीं बल्कि भजन लाल के हुक्म से हुआ है। यह चीफ मिनिस्टर का काम तो नहीं है लेकिन यह काम भजन लाल का है और इसे बिल्कुल आपने ही करवाया है।

चौधरी भजन लालः कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी तरह गलत बात नही बोलता। इसका आपने

ठेका ले रखा होगा। इस बात के लिए एक आदमी भी कह देगा तो जो भी सजा कहोगे, भुगतने के लिए तैयार हो जाउंगा। आपको तो इस बात के लिए फोबिया हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। (शोर एवं व्यवधान)

मन्त्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker : Now, I will put the motion to the vote of the House.

Question is—

That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers headed by Chaudhri Bhajan Lal.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker announced that 'Noes' have it, whereupon division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who were for 'Aye' and those who were for No', respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion was lost.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned sine-die.

***17,15 hrs.**

(The Sabha then *adjourned sine-die.)